



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-II

2020-2021



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वित्त लेखे
खण्ड-II

2020-21

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

विषय सूची

		पृष्ठ
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(v-vii)
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	(ix-xvi)
खण्ड-I		
1	वित्तीय स्थिति का विवरण....	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय	18-19
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	20-32
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	33-38
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	39-46
8	सरकार के निवेशों का विवरण	47
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	48

विषय सूची-(जारी)

खण्ड-II

	पृष्ठ
10 सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	49
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	50-51
12 वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	52-58
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	59-61
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	62-94
भाग-I	
14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण ...	96-124
15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	125-178
16 लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	179-262
17 उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	263-278
18 सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	279-306
19 सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	307-332
20 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण	333-339
21 आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण	340-358
22 चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	359-362

विषय सूची-(समाप्त)

खण्ड-II

पृष्ठ

भाग-II

परिशिष्ट

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	364-370
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	371-372
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्थान-वार और योजना-वार)	373-376
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	377-378
V	योजनाओं पर व्यय-	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)	379-382
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	383-386
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	387-389
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)	390-391
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	392-393
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची	394-404
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय	405-411
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	412
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	413-414
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	415-419

खण्ड-II

भाग-I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)			
क- कर राजस्व #-			
(क) वस्तु एवं सेवा कर-			
0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)-			
101- कर	14,72,30.09	7,67,75.43	
102- ब्याज	3,77.87	5,20.88	
103- दण्ड	1,73.83	97.32	
104- शुल्क	9,33.71	10,73.47	
106- आईजीएसटी के प्रभाजन-एसजीएसटी को कर घटक का हस्तांतरण	33,10,99.60	13,20,07.08	
500- अन्य लघु शीर्षों में प्रतीक्षित प्राप्तियाँ हस्तांतरण	41,18.59	10,98.91	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1.65	1.74	
	कुल-0006	21,15,74.83	
	(क) वस्तु एवं सेवा कर-	21,15,74.83	
(ग) संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर-			
0029- भू-राजस्व-			
101- भू-राजस्व/ कर	12,49.03	2,27.72	
103- भूमि पर दरें तथा उपकर	22,44.55	26,57.98	
800- अन्य प्राप्तियाँ	25,63.01	19,45.99	
	कुल- 0029	48,31.69	

धन वापसी पर विचार करने के बाद आँकड़े निवृत्त हैं।

* वर्ष 2019-20 हेतु पूरे विवरण सं. 14 में केवल पाँच महीनों के आँकड़े होने के कारण लागू नहीं।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
(ग) संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त)			
0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-			
<i>01- स्टाम्प- न्यायिक-</i>			
101- स्टाम्प से वसूलीकृत न्यायालय शुल्क	1,34.75	62.35	
102- स्टाम्प की बिक्री	3,10.12	3,60.42	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.09	5.00	
	कुल-01	4,46.96	
<i>02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-</i>			
102- स्टाम्प की बिक्री	2,56,95.67	99,10.64	
103- दस्तावेजों की छपाई पर शुल्क	1,30.84	1,50.01	
800- अन्य प्राप्तियाँ	31.22	17.62	
	कुल-02	2,58,57.73	
<i>03- पंजीकरण शुल्क-</i>			
104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क	26,54.52	5,66.78	
800- अन्य प्राप्तियाँ	35,94.42	6,81.04	
	कुल-03	62,48.94	
	कुल-0030	3,25,53.63	
कुल-(ग)-संपत्ति पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर	3,86,10.22	1,65,85.55	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-			
0039- राज्य उत्पाद शुल्क-			
101- देशी स्पिट्स	6,31.34	-	
104- शराब	-	14,36.35	
105- विदेशी शराब तथा स्पिट्स	13,31,67.53	5,72,47.44	
800- अन्य प्राप्तियाँ	9,43.20	83.29	
	कुल-0039	5,87,67.08	
0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-			
102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	14,95,61.04	7,82,31.87	
103- मोटर स्पिट्स एवं लुब्रीकेंट्स की बिक्री पर कर	0.06	11.08	
	कुल-0040	7,82,42.95	
0041- वाहनों पर कर-			
102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	4,88,38.04	2,46,08.13	
	कुल -0041	2,46,08.13	
0042- माल एवं यात्रियों पर कर-			
102- सड़कों पर पथकर	86.13	1,57,52.17	
106- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर	-	44.93	
800- अन्य प्राप्तियाँ	4.30	50.12	
	कुल -0042	1,58,47.22	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(समाप्त)			
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(समाप्त)			
0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क-			
101- विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर	3,19,21.54	23.19	
103- सिनेमा घरों के विद्युतीय निरीक्षण हेतु शुल्क	0.08	-	
कुल-0043	3,19,21.62	23.19	
कुल-(घ)-वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	36,51,53.26	17,74,88.57	
कुल-क-कर राजस्व	88,76,98.82	40,56,48.95	
ख- गैर-कर- राजस्व-			
(ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ			
0049- ब्याज प्राप्तियाँ-			
<i>04- राज्य विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ-</i>			
107- खेतीहरों से ब्याज	-	38.33	
110- रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	10.63	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	17,75.54	8,85.24	
<i>कुल-04</i>	<i>17,86.17</i>	<i>9,23.57</i>	
कुल-0049	17,86.17	9,23.57	
कुल(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	17,86.17	9,23.57	
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-			
(झ) सामान्य सेवाएं-			
0055- पुलिस-			
101- अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस	2.39	-	
102- अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस	4,99.71	5,55.00	
103- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती	4.32	0.03	
104- शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	-	42.35	
105- राज्य-मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियाँ	33,02.73	13,84.88	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,82.26	16,03.16	
कुल -0055	39,91.41	35,85.42	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(झ) सामान्य सेवाएं-(जारी)			
0056- कारावास-			
102- कारावास में विनिर्माण की बिक्री	45.55	17.30	
कुल-0056	45.55	17.30	
0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-			
101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ	1,56.43	2,60.40	
102- राजपत्रों इत्यादि की बिक्री	1,72.20	1,21.77	
200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ	1,76.39	1,89.61	
कुल-0058	5,05.02	5,71.78	
0059- लोक निर्माण-			
<i>01- कार्यालय भवन-</i>			
011- किराया	5,86.00	3,19.50	
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	32.18	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	16,87.66	3,99.83	
कुल-01	23,05.84	7,19.33	
<i>60- अन्य भवन-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,42.84	59.99	
कुल-60	1,42.84	59.99	
<i>80- सामान्य-</i>			
011- किराया	0.68	0.08	
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	12.23	0.59	
800- अन्य प्राप्तियाँ	87.60	15.82	
कुल-80	1,00.51	16.49	
कुल-0059	25,49.19	7,95.81	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(झ) सामान्य सेवाएं-(जारी)			
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
<i>01- न्याय प्रशासन-</i>			
102- जुर्माना एवं जब्ती	4,05.84	4,47.44	
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	1.18	0.49	
800- अन्य प्राप्तियाँ	9,30.68	4,94.17	
	<i>कुल-01</i>	13,37.70	9,42.10
<i>02- चुनाव-</i>			
101- निर्वाचन प्रपत्रों और दस्तावेजों की विक्रय प्राप्तियाँ	0.03	0.03	
104- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती	8.05	9.05	
105- मतदाता पहचान पत्रों को जारी करने के प्रति अंशदान	0.87	0.74	
800- अन्य प्राप्तियाँ	28.44	1,68.66	
	<i>कुल-02</i>	37.39	1,78.48
<i>60- अन्य सेवाएं-</i>			
101- केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ	0.57	-	
102- नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.95	0.28	
105- होम गार्ड	0.04	0.03	
109- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	1.60	0.15	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)			
(झ) सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)			
111- मादक द्रव्य नियंत्रण	0.71	0.26	
114- मोटर गैराजों इत्यादि से प्राप्तियाँ	76.30	26.89	
115- अतिथि गृहों, सरकारी छात्रावासों आदि से प्राप्तियाँ	1,16.79	1,30.59	
118- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	0.45	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	3,41.54	99.67	
	<i>कुल-60</i>	5,39.95	2,57.87
	कुल-0070	19,15.04	13,78.45
0071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियाँ-			
01- नागरिक-			
101- अभिदान एवं अंशदान	5,43.24	2,38.11	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.48	-	
	<i>कुल-01</i>	5,45.72	2,38.11
	कुल-0071	5,45.72	2,38.11
0075- विविध सामान्य सेवाएं-			
101- अदावी जमा	12.27	0.12	
800- अन्य प्राप्तियाँ	60.29	60,35.21	
	कुल-0075	72.56	60,35.33
	कुल-(i)-सामान्य सेवाएं	96,24.49	1,26,22.20

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-			
01- सामान्य शिक्षा-			
101- प्रारंभिक शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	39,23.49	1,56.40	
102- माध्यमिक शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	1,43.85	36.65	
103- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	32.06	18.23	
105- भाषा विकास	1.56	-	
600- सामान्य	0.28	1.93	
800- अन्य प्राप्तियाँ	3.27	-	
	<u>कुल-01</u> 41,04.51	<u>2,13.21</u>	
02- तकनीकी शिक्षा-			
101- ट्यूशन एवं अन्य शुल्क	5.03	0.81	
800- अन्य प्राप्तियाँ	6.90	9.80	
	<u>कुल-02</u> 11.93	<u>10.61</u>	
03- खेल एवं युवा सेवाएं-			
101- शारीरिक शिक्षा-खेल एवं युवा कल्याण	5.15	0.05	
800- अन्य प्राप्तियाँ	5.21	0.98	
	<u>कुल-03</u> 10.36	<u>1.03</u>	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)			
04- कला एवं संस्कृति-			
101- अभिलेखागार और संग्रहालय	1.10	0.15	
800- अन्य प्राप्तियाँ	5.06	1.82	
	<u>कुल-04</u> 6.16	<u>1.97</u>	
	<u>कुल-0202</u> 41,32.96	<u>2,26.82</u>	
0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-			
020- अस्पताल और औषधालय सेवाओं हेतु मरीजों से प्राप्तियाँ	14,13.05	8,74.42	
104- चिकित्सा भण्डार आगार	80.07	1,68.66	
107- औषध विनिर्माताओं से प्राप्तियाँ	2,09.66	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,46.14	-	
	<u>कुल-01</u> 19,48.92	<u>10,43.08</u>	
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	12.29	25.41	
	<u>कुल -02</u> 12.29	<u>25.41</u>	
03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105- एलोपैथी	1.85	-	
	<u>कुल-03</u> 1.85	<u>-</u>	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)			
04- जन स्वास्थ्य-			
104- शुल्क एवं जुर्माना इत्यादि	3,19.94	43.36	
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	0.07	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	51.97	-	
	कुल-04	3,71.98	
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	46.61	19.93	
	कुल-80	46.61	
	कुल-0210	23,81.65	11,31.78
0211- परिवार कल्याण-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.34	1.23	
	कुल-0211	0.34	1.23
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-			
01- जलापूर्ति-			
102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	83,83.75	43,80.71	
103- शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	1,42.31	4,23.46	
104- शुल्क, जुर्माना आदि	33.59	7.18	
800- अन्य प्राप्तियाँ	8,23.57	11,33.38	
900- कटौती- प्रतिदाय	(-)1.39	-	
	कुल-01	93,81.83	59,44.73

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-(समाप्त)			
02- सीवरेज एवं स्वच्छता-			
103- सीवरेज योजनाओं से प्राप्तियाँ	7.14	8.86	
कुल -02	7.14	8.86	
कुल-0215	93,88.97	59,53.59	
0216- आवास-			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
106- सामान्य पूल आवास	0.02	-	
700- अन्य आवास	1,59.20	45.15	
कुल-01	1,59.22	45.15	
03- ग्रामीण आवास-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,65.11	56.68	
कुल-03	1,65.11	56.68	
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	84.09	82.20	
कुल-80	84.09	82.20	
कुल-0216	4,08.42	1,84.03	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
0217- शहरी विकास-			
<i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	26.87	-	
<i>कुल-60</i>	<u>26.87</u>	<u>-</u>	
0217- शहरी विकास-			
<i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	10.41	2,17.85	
<i>कुल-60</i>	<u>10.41</u>	<u>2,17.85</u>	
कुल-0217	<u>37.28</u>	<u>2,17.85</u>	
0220- सूचना एवं प्रचार-			
<i>60- अन्य-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.98	1.01	
<i>कुल -60</i>	<u>0.98</u>	<u>1.01</u>	
कुल-0220	<u>0.98</u>	<u>1.01</u>	
0230- श्रम एवं रोजगार-			
101- श्रम कानून के अंतर्गत प्राप्तियाँ	5,54.99	42.90	
102- व्यापार संगठनों के पंजीकरण हेतु शुल्क	0.34	0.38	
103- स्टीम बॉयलर के निरीक्षण हेतु शुल्क	-	0.03	
104- कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शुल्क वसूली	-	0.22	
800- अन्य प्राप्तियाँ	3,79.89	17.00	
कुल-0230	<u>9,35.22</u>	<u>60.53</u>	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(समाप्त)			
0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
01- पुनर्वास			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,19.99	-	
	<i>कुल-01</i>	-	
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-	2,19.99	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,27.23	1,44.35	
	<i>कुल-60</i>	1,44.35	
	कुल-0235	1,44.35	
0250- अन्य समाज सेवाएं-			
102- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	-	0.12	
800- अन्य प्राप्तियाँ	8.06	-	
	कुल-0250	0.12	
	कुल-(ii)-समाज सेवाएं	79,21.31	
(iii) आर्थिक सेवाएं-			
0401- फसल पैदावार-			
103- बीज	1,96.22	68.59	
104- कृषि फार्मों से प्राप्तियाँ	66.97	28.50	
108- वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियाँ	8.05		
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलों से प्राप्तियाँ	9,23.38	6,51.04	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,34.29	1.66	
	कुल-0401	7,49.79	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख. गैर-कर राजस्व (जारी)			
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0403- पशुपालन-			
102- मवेशी एवं भैंस विकास से प्राप्तियाँ	4,18.89	1,00.72	
103- मुर्गी पालन विकास से प्राप्तियाँ	96.79	43.27	
104- भेड़ एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँ	2,94.52	90.40	
105- सुअर पालन विकास से प्राप्तियाँ	1.78	0.14	
106- चारा और खाद्य विकास से प्राप्तियाँ	9.03	1.31	
108- अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियाँ	4.43	1.91	
501- सेवाएं और सेवा शुल्क	70.24	5.60	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,23.89	99.37	
	कुल-0403	11,19.57	3,42.72
0405- मत्स्यपालन-			
102- लाइसेन्स शुल्क, जुर्माना आदि	61.73	57.47	
103- मछली, मछली के बीज आदि की बिक्री	4,44.47	1,96.02	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,75.50	90.07	
	कुल-0405	7,81.70	3,43.56

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-			
<i>01- वानिकी-</i>			
101- इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री	86,95.83	6,34.93	
102- सामाजिक एवं कृषि वानिकी से प्राप्तियाँ	88.15	0.40	
103- पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियाँ	2,06.82	68.37	
800- अन्य प्राप्तियाँ	38,42.03	78.01	
	<i>कुल-01</i>	<u>1,28,32.83</u>	<u>7,81.71</u>
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन</i>			
112- सार्वजनिक उद्यान	2,08.02	49.54	
800- अन्य प्राप्तियाँ	22,56.28	62.55	
	<i>कुल-02</i>	<u>24,64.30</u>	<u>1,12.09</u>
	कुल-0406	<u>1,52,97.13</u>	<u>8,93.80</u>
0408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	7,55.27	47.16	
	कुल-0408	<u>7,55.27</u>	<u>47.16</u>

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0425- सहायता-			
101- लेखापरीक्षा शुल्क	6.74	3.90	
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.28	0.06	
कुल-0425	7.02	3.96	
0435- अन्य कृषिगत कार्यक्रम-			
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	23.85	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	8.84	22.37	
कुल-0435	32.69	22.37	
0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	33.86	8.06	
कुल-0515	33.86	8.06	
0701- मध्यम सिंचाई-			
01- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक-			
601- रणबीर नहर	-	1.00	
602- प्रताप नहर	-	3.12	
619- मार्तण्ड नहर	-	0.19	
631- आजी नहर	-	0.73	
632- जैनगीर नहर	-	0.20	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1.15	-	
कुल-01	1.15	5.24	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त)			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	9,96,64.85	6,06,67.44	
	कुल-80	9,96,64.85	6,06,67.44
	कुल -0701	9,96,66.00	6,06,72.68
0702- लघु सिंचाई-			
01- सतही जल-			
101- जल टैंकों से प्राप्तियाँ	66.47	-	
102- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से प्राप्तियाँ	8.94	-	
103- दिक्परिवर्तन योजनाओं से प्राप्तियाँ	1.49	-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	3.70	-	
	कुल-01	80.60	-
02- धरातलीय जल			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1.24	-	
	कुल-02	1.24	-
04- बाढ़ नियंत्रण			
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.11	-	
	कुल-04	0.11	-

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0702- लघु सिंचाई-(समाप्त)			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	8,60.15	1,94.88	
	<i>कुल-80</i> 8,60.15	1,94.88	
	कुल-0702 9,42.10	1,94.88	
0801- विद्युत-			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	23,49,73.94	11,96,65.66	
	<i>कुल-80</i> 23,49,73.94	11,96,65.66	
	कुल-0801 23,49,73.94	11,96,65.66	
0851- ग्राम एवं लघु उद्योग-			
101- औद्योगिक संपदा	26.79	8.09	
102- लघु पैमाना उद्योग	6.31	0.70	
103- हथकरघा उद्योग	3.26	2.93	
104- हस्तशिल्प उद्योग	1,04.89	99.04	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	87.67	1,02.64	
800- अन्य प्राप्तियाँ	33.64	1.15	
	कुल-0851 2,62.56	2,14.55	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-			
102- खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी	51,37.88	3,87.20	
103- कैल्शियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.15	-	
104- खदान विभाग	17,54.60	3,58.52	
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,58,96.89	7,15.62	
	कुल-0853	2,27,90.52	14,61.34
1452- पर्यटन-			
103- पर्यटक परिवहन से प्राप्तियाँ	0.10	-	
105- किराया एवं खानपान प्राप्तियाँ	2.06	3.37	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,10.80	49.90	
	कुल-1452	2,12.96	53.27
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-			
012- सांख्यिकी	19.06	-	
101- एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत वसूल किया गया शुल्क	2.24	-	
102- एकस्व शुल्क	0.02	-	
103- व्यापार चिह्नों के पंजीकरण हेतु शुल्क	1.77	-	
104- प्रमाणीकरण चिहनीकरण और परीक्षण शुल्क से प्राप्तियाँ	2.50	-	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)			
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)			
106- तौल और माप पर मोहर लगाने का शुल्क	91.85	48.50	
200- अन्य व्यवसाय उपक्रमों का विनियमन	0.01		
202- माप विज्ञान	1,20.76		
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,44.02	87.50	
कुल-1475	3,82.23	1,36.00	
कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं	37,85,86.46	18,48,09.80	
कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व	40,58,52.05	20,53,53.31	
कुल-ख-गैर-कर राजस्व	40,76,38.22	20,62,76.88	
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान -			
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-			
कृषि मंत्रालय-			
राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन	3,95.34		
राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन	72,18.06	64,99.00	
राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना	74.99	-	
राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता परियोजना	5,92.27	-	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
कृषि मंत्रालय-			
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-प्रति बूंद अधिक फसल	10,00.00	29,40.00	
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	1,00.00	-	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	-	7,93.60	
कृषिगत विस्तारण पर उप-योजना	8,07.47	-	
कृषिगत यंत्रीकरण पर उप-योजना	7,00.00	-	
बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	8,41.79	86.89	
कुल-कृषि मंत्रालय	1,17,29.92	1,03,19.49	
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-			
हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम	25,72.70	-	
वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	80.93	-	
कुल-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	26,53.63		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं (एचसीडब्ल्यू) एवं फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं का कोविड-19 टीकाकरण	4,13.14	-	
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	3,40,99.00	46,81.00	
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	22,85.75	-	
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	7,80,36.87	2,55,08.37	
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	11,07.00	3,92.00	
कुल-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	11,59,41.76	3,05,81.37	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
<i>गृह मंत्रालय-</i>			
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	-	45,12.86	
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	8,55,35.00	10,28,49.00	
	<i>कुल-गृह मंत्रालय</i>	10,73,61.86	
<i>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-</i>			
राष्ट्रीय वृत्ति सेवा	54.85	-	
	<i>कुल-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</i>	-	
<i>विधि एवं न्याय मंत्रालय-</i>			
न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	6,64.64	5,00.00	
राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया निधि)	-	56.25	
	<i>कुल-विधि एवं न्याय मंत्रालय</i>	5,56.25	
<i>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-</i>			
जल जीवन मिशन (जेजेएम)/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	53,72.49	2,01,21.54	
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम -ग्रामीण)	24,88.91	42,95.04	
	<i>कुल-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</i>	2,44,16.58	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
<i>मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय-</i>			
मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	18,28.68	7,88.63	
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	18,58.69	-	
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	17,47.25	-	
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,78.51	-	
<i>कुल-मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय</i>	<u>78,13.13</u>	<u>7,88.63</u>	
<i>आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i>			
100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु कार्यक्रम	1,36,00.00	-	
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- राज्य घटक	3,66.94	-	
राज्य/ यूटी घटक की अन्य मदें-पीएमएसवाई शहरी	1,52.63 (क)	10.83	
स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी	-	4,82.34	
शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर	40.00	-	
<i>कुल-आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i>	<u>1,41,59.57</u>	<u>4,93.17</u>	
<i>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i>			
कौशल विकास	10,10.89	-	
औद्योगिक मूल्य बढ़ोतरी हेतु कौशल सशक्तिकरण	6,12.00	-	
<i>कुल-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i>	<u>16,22.89</u>	<u>-</u>	
<i>पंचायती राज मंत्रालय -</i>			
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	25,00.00	6,19.00	
<i>कुल-पंचायती राज मंत्रालय</i>	<u>25,00.00</u>	<u>6,19.00</u>	

(क) 31 मार्च 2021 को मंत्रालय द्वारा निर्माचित ₹ 1,05,07.20 लाख परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में जमा किये गये को सम्मिलित नहीं करता है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
ग्रामीण विकास मंत्रालय-			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेन्शन योजना	52.05	32.39	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	35,53.43	21,92.25	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	1,94.79	1,12.92	
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	-	8,10.00	
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	3,42,15.26	3,91,67.83	
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	17.46	44.01	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,31,92.17	17,88.64	
प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई)	6,22,72.22	-	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	17,27,29.61	3,53,00.00	
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक	91,21.00	-	
	कुल-ग्रामीण विकास मंत्रालय	7,94,48.04	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय-			
विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	1,59,60.26	1,22.35	
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	4,13.02 (क)	57,19.03	
अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	1,05.30	-	
समग्र शिक्षा	3,04,58.24 (क)	7,48,41.14	
	कुल-मानव संसाधन विकास मंत्रालय	8,06,82.52	

(क) 31 मार्च 2021 को मंत्रालय द्वारा निर्माचित ₹ 81,77.86 लाख (आरयूएसए के कारण ₹ 78.67 लाख और समग्र शिक्षा के कारण ₹ 80.99 लाख) परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में जमा किये गये को सम्मिलित नहीं करता है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
<i>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय-</i>			
मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु राष्ट्रीय नीति			
वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना	-	75.00	
पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति-ओबीसी	-	1,50.32	
एससी विद्यार्थियों हेतु-पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	2,60.37	-	
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2,30.00	-	
दिव्यांगजनों के लिए योजना	-	1,86.58	
	कुल-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	4,90.37	4,11.90
<i>जनजातीय मामले मंत्रालय-</i>			
उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति- जनजातीय	8,05.44	-	
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	2,06.51	-	
	कुल-जनजातीय कार्य मंत्रालय	10,11.95	-
<i>जल संसाधन मंत्रालय-</i>			
बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	10,07.24	41,79.78	
हर खेत को पानी	96,68.64	-	
सिंचाई गणना	-	16.02	
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	20,00.00	-	
	कुल-जल संसाधन मंत्रालय	1,26,75.88	41,95.80

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(समाप्त)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(समाप्त)			
<i>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-</i>			
आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)	2,89,02.02	7,86.84	
बाल सुरक्षा योजना	14,90.54	-	
राष्ट्रीय शिशुगृह योजना	6,39.14	-	
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)	-	20.73	
राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)	4,92.24	-	
किशोर बालिकाओं हेतु योजना	23.04	-	
स्वाधार गृह	27.77	-	
<i>कुल-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</i>	<i>3,15,74.75</i>	<i>8,07.57</i>	
कुल-101	63,85,74.56	34,06,82.18	
102- बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान			
बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	96,25.53	-	
भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	51,49.00	-	
कुल-102	1,47,74.53	-	
कुल-06	65,33,49.09	34,06,82.18	
<i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-</i>			
104- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान			-
108- केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	79,40.00	49,48.00	

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-			
113- विशेष सहायता-			
गृह मंत्रालय-			
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं-			
पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	-	58,92,50.00	
स्थानीय ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान	-	7,25,00.00	
संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि-जेएण्डके को अंशदान के प्रति अनुदान	2,79,00.00	1,39,50.00	
कर-सहभाजन	-	49,71,77.00	
	कुल- अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	2,79,00.00	1,17,28,77.00
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता	3,04,78,00.00	-	
महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	-	5,73.38	
	कुल-गृह मंत्रालय	3,07,57,00.00	1,17,34,50.38
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय-			
पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	1,00.00	-	
	कुल-मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय-	1,00.00	-
	कुल-113	3,07,58,00.00	1,17,34,50.38

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2020-21	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(समाप्त)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(समाप्त)			
08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-(समाप्त)			
114- जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति	21,71,22.30	12,47,27.53	
कुल-08	3,30,08,62.30	1,30,31,25.91	
कुल-1601	3,95,42,11.39	1,64,38,08.09	
कुल ग - सहायता अनुदान और अंशदान	3,95,42,11.39	1,64,38,08.09	
कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,24,95,48.43	2,25,57,33.92	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-			
4000- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ-			
01- नागरिक-			
105- सहकारी सोसाइटियों/ बैंकों की पूँजी/ विनिवेश की निवृत्ति	-	-	
कुल-4000	-	-	
कुल प्राप्तियाँ- (पूँजीगत लेखा)	-	-	
कुल योग	5,24,95,48.43	2,25,57,33.92	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-					
क- सामान्य सेवाएं-					
(क) राज्य के अंग-					
2011- संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल-					
02- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-विधानमण्डल-					
101- विधान सभा	9.25	-	9.25	3.67	
102- विधान परिषद्	-	-	-	-	
103- विधान सचिवालय	23,50.24	-	23,50.24	8,87.56	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.32	-	(-)0.32	-	
	<u>कुल-02</u>	<u>-</u>	<u>23,59.17</u>	<u>8,91.23</u>	
	कुल-2011	-	23,59.17	8,91.23	
2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-					
03- राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-					
090- सचिवालय	10,95.27	-	10,95.27	4,31.95	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.27	-	(-)0.27	-	
	<u>कुल-03</u>	<u>-</u>	<u>10,95.00</u>	<u>4,31.95</u>	
	कुल-2012	-	10,95.00	4,31.95	

* वर्ष 2019-20 हेतु पाँच महीनों के लेखे होने के कारण पूरे विवरण में लागू नहीं है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(क) राज्य के अंग-(समाप्त)					
2014- न्याय-प्रशासन-					
102- उच्च न्यायालय	7,45.88	-	56,73.03	22,14.58	
	<i>49,27.15</i>				
103- विशेष न्यायालय	12,93.68	-	12,93.68	8,36.80	
105- दीवानी एवं सत्र न्यायालय	1,64,53.46	-	1,64,53.46	70,32.27	
114- विधिक सलाहकार एवं परामर्शदाता	19,43.62	-	19,43.62	8,94.19	
116- राज्य प्रशासनिक अधिकरण	82.27	-	82.27	33.89	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)8.64	-	(-)8.64	(-)5.94	
कुल-2014	2,05,10.27	-	2,54,37.42	1,10,05.83	
	<i>49,27.15</i>				
2015- चुनाव-					
102- निर्वाचन अधिकारी	1,04,34.07	-	1,04,34.07	2,42,64.43	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)83.72	-	(-)83.72	(-)1,08.33	
कुल-2015	1,03,50.35	-	1,03,50.35	2,41,56.10	
कुल-(क)- राज्य के अंग	3,32,19.79	-	3,92,41.94	3,64,85.11	
	<i>60,22.15</i>				

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
ख राजकोषीय सेवाएं-					
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-					
2029- भू-राजस्व-					
800- अन्य व्यय	4,24.23	-	4,24.23	2,62.50	
कुल-2029	4,24.23	-	4,24.23	2,62.50	
2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-					
01- स्टाम्प-न्यायिक-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	6,53.68	-	6,53.68	5,94.35	
101- स्टाम्प की लागत	3.24	-	3.24	2.68	
कुल-01	6,56.92	-	6,56.92	5,97.03	
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-					
101- स्टाम्प की लागत	4,50.39	-	4,50.39	2,86.72	
कुल-02	4,50.39	-	4,50.39	2,86.72	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
ख राजकोषीय सेवाएं-					
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-(समाप्त)					
2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-					
03- पंजीकरण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,37.31	-	1,37.31	52.19	
कुल-03	1,37.31	-	1,37.31	52.19	
कुल-2030	12,44.62	-	12,44.62	9,35.94	
कुल-(ii)- संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	16,68.85	-	16,68.85	11,98.44	
(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण-					
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	26,77.96	-	26,77.96	18,14.04	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.11	-	(-) 0.11	(-)0.43	
कुल-2039	26,77.85	-	26,77.85	18,13.61	
2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	7,25.44	-	7,25.44	1,76.32	
800- अन्य व्यय	1,16.30	-	1,16.30	42.24	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.34	-	(-)1.34	-	
कुल-2040	8,40.40	-	8,40.40	2,18.56	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं- (जारी)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं-(जारी)					
(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण-(समाप्त)					
2041- वाहनों पर कर-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	7,17.31	-	7,17.31	14,31.33	
101- संग्रहण प्रभार	12,99.62	-	12,99.62	7,28.53	
800- अन्य व्यय	76.64	-	76.64	33.71	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.10	-	(-)0.10	(-)0.08	
कुल-2041	20,93.47	-	20,93.47	21,93.49	
2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रभारों का संग्रहण -					
001- निदेशन एवं प्रशासन	4,67,71.07	-	4,67,71.07	2,94,64.83	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.30	-	(-)0.30	(-)0.08	
कुल-2043	4,67,70.77	-	4,67,70.77	2,94,64.83	
2045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-					
104- संग्रहण प्रभार -वस्तुओं और यात्रियों पर कर	26.69	-	26.69	18.59	
कुल -2045	26.69	-	26.69	18.59	
कुल-(iii) - वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण	5,24,09.18	-	5,24,09.18	3,37,09.08	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएँ-(जारी)					
(ख) राजकोषीय सेवाएँ-(समाप्त)					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएँ-					
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ-					
103- लघु बचतों को प्रोत्साहन	1,46.40	-	1,46.40	6,81.00	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)12.35	-	(-)12.35	(-)1.86	
कुल-2047	1,34.05	-	1,34.05	6,79.14	
कुल-(iv)-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1,34.05	-	1,34.05	6,79.14	
कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएँ	5,42,12.08	-	5,42,12.08	3,55,86.66	
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-					
2048- ऋण की कमी एवं परिहार्य हेतु विनियोजन-					
101- ऋण शोधन निधि	55,63.00	-	55,63.00 (क)	-	
कुल-2048	55,63.00	-	55,63.00	-	
2049- ब्याज भुगतान-					
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-					
101- बाजार ऋणों पर ब्याज	31,75,61.14	-	31,75,61.14	12,71,97.80	

(क) ऋण शोधन निधि मुख्य शीर्ष 8222-101-"ऋण शोधन निधि" अंशदान में अंशदान को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8222 के नीचे पाद टिप्पणी घ एवं पैरा 4 (ii) (ख)(क) एवं "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक 'क' को देखें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े				
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
व्यय- शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(जारी)					
2049- व्याज भुगतान-(जारी)					
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-(समाप्त)					
115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	40,13.10	-	40,13.10 (ख)	12,86.52	
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,09,89.40	-	3,09,89.40	1,68,62.83	
200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	6,93,98.93	-	6,93,98.93	1,93,14.35	
305- ऋणों का प्रबंधन	8,94.98	-	8,94.98	3,89.37	
	कुल -01		42,28,57.55	16,50,50.87	
03- लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज					
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	18,45,07.99	-	18,45,07.99	7,91,21.22	
108- बीमा एवं पेन्शन निधि पर ब्याज	65,72.74	-	65,72.74	27,21.50	
	कुल-03		19,10,80.73 (ग)	8,18,42.72	
04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज -					
101- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण पर ब्याज	20,56.21	-	20,56.21	11,53.67	

(ख) डब्ल्यूएमए पर ₹ 34,87.14 लाख के ब्याज तथा ओवरड्राफ्ट पर ₹ 5,25.96 लाख के ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) सरकार द्वारा सूचित किये गये तदर्थ/ संभावित आँकड़ों को दर्शाते हैं। कृपया पैरा 2(ix) "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" तथा अनुलग्नक "क" खण्ड-1 "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय- शीर्ष						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
क सामान्य सेवाएं-(जारी)						
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(समाप्त)						
2049- व्याज भुगतान-(समाप्त)						
04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज-(समाप्त)						
109-	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज		40,06.47	-	40,06.47	23,37.11
112-	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज		3,44.97	-	3,44.97	1,56.36
	कुल-04		64,07.65	-	64,07.65	36,47.14
05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-						
105-	सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज		43,89.03	-	43,89.03 (ग)	25,91.28
	कुल-05		43,89.03	-	43,89.03	25,91.28
60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-						
701-	विविध		1,25,10.76	-	1,25,10.76	31.21
	कुल-60		1,25,10.76	-	1,25,10.76	31.21
	कुल-2049		63,72,45.72	-	63,72,45.72	25,31,63.22
	कुल- ग-ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा		55,63.00	-	64,28,08.72	25,31,63.22
			63,72,45.72			

(ग) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि मुख्य शीर्ष 8121-122-"एसडीआरएफ" पर प्रदत्त ब्याज को दर्शाता है। कृपया खण्ड-11 के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8121 के नीचे पाद टिप्पणी 'क' एवं पैरा 2 (ix) एवं "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के अनुलग्नक 'क' को का अवलोक

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ प्रशासनिक सेवाएं-					
2051- लोक सेवा आयोग-					
102- राज्य लोक सेवा आयोग	8,28.97	-	8,28.97	2,82.21	
कुल-2051	8,28.97	-	8,28.97	2,82.21	
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-					
090- सचिवालय	1,25,73.03	-	1,25,73.03	40,05.73	
092- अन्य कार्यालय	17,78.44	-	17,78.44	6,38.09	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.20	-	(-)5.20	(-)0.11	
कुल-2052	1,43,46.27	-	1,43,46.27	46,43.71	
2053- जिला प्रशासन-					
093- जिला स्थापनाएं	62,00.32	-	62,00.32	19,72.31	
094- अन्य स्थापनाएं	3,96,31.13	-	3,96,31.13	1,48,09.66	
101- आयुक्त	17,91.62	-	17,91.62	6,72.44	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)6.30	-	(-)6.30	(-)7.00	
कुल -2053	4,76,16.77	-	4,76,16.77	1,74,47.41	
2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन-					
003- प्रशिक्षण	4,10.05	-	4,10.05	2,64.13	
095- लेखा एवं कोष निदेशालय	25,62.96	-	25,62.96	12,30.82	
097- कोषागार स्थापना	62,00.38	-	62,00.38	29,85.70	
098- स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	6,16.06	-	6,16.06	2,41.44	
800- अन्य व्यय	50,23.34	-	50,23.34	1,57,95.54	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.49	-	(-)0.49	-	
कुल-2054	1,48,12.30	-	1,48,12.30	2,05,17.63	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी)					
2055 पुलिस-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	8,84,80.16	-	8,84,80.16	3,87,75.69	
003- शिक्षा एवं प्रशिक्षण	1,04,69.72	-	1,04,69.72	47,56.03	
101- आपराधिक जाँच एवं सर्तकता	6,73,48.52	3,01.09	6,76,49.61	2,77,69.18	
104- विशेष पुलिस	13,71,28.97	-	13,71,28.97	5,58,07.76	
109- जिला पुलिस	23,35,26.89	-	23,35,26.89	9,44,77.83	
111- रेलवे पुलिस	1,38,58.03	-	1,38,58.03	62,86.44	
115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	1,96,56.03	-	1,96,56.03	83,71.78	
116- न्यायिक विज्ञान	9,54.85	4.49	9,59.34	4,83.40	
117- आंतरिक सुरक्षा	14,04,63.51	-	14,04,63.51	7,08,11.13	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)9,53.05	-	(-)9,53.05	(-)2,85.75	
कुल-2055	71,09,33.63	3,05.58	71,12,39.21	30,72,53.49	
2056- कारावास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,80.77	-	2,80.77	2,05.23	
101- कारावास	72,84.10	-	72,84.10	30,80.38	
102- कारावास विनिर्माण	32.96	-	32.96	13.74	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.07	-	(-)0.07	-	
कुल-2056	75,97.76	-	75,97.76	32,99.35	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी)					
2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,76.67	-	1,76.67	58.36	
101- लेखन सामग्री भण्डार का क्रय एवं आपूर्ति	4,15.43	-	4,15.43	1,77.26	
103- राजकीय मुद्रणालय	30,68.92	-	30,68.92	28,02.95	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)-1.77	-	(-)-1.77	(-)-1.75	
कुल-2058	36,59.25	-	36,59.25	30,36.82	
2059- लोक निर्माण कार्य-					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	6,36,42.27	-	6,36,42.27	2,71,34.18	
103- साज-सज्जा	7,07.45	-	7,07.45	4,47.25	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)-1.28	-	(-)-1.28	-	
कुल-80	6,43,48.44	-	6,43,48.44	2,75,81.43	
कुल-2059	6,43,48.44	-	6,43,48.44	2,75,81.43	
2062- सतर्कता-					
104- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का सतर्कता आयोग	58.07	-	58.07	1,61.59	
105- अन्य सतर्कता एजेन्सियाँ	53,87.95	-	53,87.95	18,30.99	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)-0.30	
कुल-2062	54,46.02	-	54,46.02	19,92.28	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ प्रशासनिक सेवाएं- (समाप्त)					
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)					
003- प्रशिक्षण	19,78.22	-	19,78.22	6,23.56	
105- विशेष जाँच आयोग	8,79.70	-	8,79.70	2,54.63	
106- नागरिक सुरक्षा	5,34.85	-	5,34.85	2,37.88	
107- होम गार्ड	1,15,93.96	-	1,15,93.96	51,37.28	
108- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	1,52,87.24	-	1,52,87.24	74,46.77	
114- परिवहन की खरीद एवं अनुरक्षण	42,68.13	-	42,68.13	19,46.53	
800- अन्य व्यय	34,91.12	-	34,91.12	18,03.21	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.72	-	(-)0.72	(-)5.61	
	कुल-2070	-	3,80,32.50	1,74,44.25	
	कुल(घ) प्रशासनिक सेवाएं	3,05.58	90,79,27.49	40,34,98.58	
			8,28.97		
(ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-					
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
<i>01- नागरिक-</i>					
101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते	56,42,14.72	-	56,42,14.72	8,76,00.60	
102- पेन्शन की संराशीकृत राशि	9,09,52.91	-	9,09,52.91	2,59,95.10	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)					
(ड) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-(समाप्त)					
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-(समाप्त)					
<i>01- नागरिक-</i>					
104- उपदान	12,05,78.66	-	12,05,78.66	3,95,01.34	
105- परिवार पेन्शन	2,41,15.21	-	2,41,15.21	40,27.86	
111- विधायकों को पेन्शन	10,30.21	-	10,30.21	3,01.16	
115- छुट्टी नकदीकरण	5,91,51.10	-	5,91,51.10	2,97,31.69	
117- पारेभाषित अशदायों पेन्शन योजना (नयी पेन्शन योजना) हेतु सरकारी अंशदान	4,98,53.86	1,86.86	5,00,40.72	2,30,31.38	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)22,72.16	-	(-)22,72.16	(-)6,58.59	
	कुल-01	90,76,24.51	1,86.86	90,78,11.37 (क)	20,95,30.54
	कुल-2071	90,76,24.51	1,86.86	90,78,11.37 (क)	20,95,30.54
2075- विविध सामान्य सेवाएं-					
104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन एवं पुरस्कार	14.81	-	14.81	10.87	
800- अन्य व्यय	1,00.00	-	1,00.00 (ख)	1,00.00	
	कुल-2075	1,14.81	1,14.81	1,10.87	
	कुल-(ड)- पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं	90,77,39.32	1,86.86	90,79,26.18	20,96,41.41
	कुल-क- सामान्य सेवाएं	1,90,75,27.13	4,92.44	2,55,21,16.41 (ग)	93,83,74.98
		64,40,96.84			

(क) 2.00 लाख संघ शासित क्षेत्र सरकार पेन्शन भोगियों को अधिवर्षिता/ परिवार पेन्शन को सम्मिलित करता है जैसा कि सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(ख) एमएच 8235-117 "प्रत्याभूति मोचन निधि" में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया मुख्य शीर्ष-8235 विवरण संख्या 21, खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी 'ड' तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ग) ₹ 77,67,71.16 लाख वेतन तथा ₹ 59,27.72 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
व्यय-शीर्ष- (राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-					
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-					
2202- सामान्य शिक्षा-					
<i>01- प्रारम्भिक शिक्षा-</i>					
101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय	20,53,63.74	-	20,53,63.74	11,54,99.92	
104- निरीक्षण	21,69,71.07	-	21,69,71.07	9,92,72.89	
800- अन्य व्यय	-	52,60.75	52,60.75	1,37.59	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1,28.76	-	(-)1,28.76	(-)40.68	
कुल-01	42,22,06.05	52,60.75	42,74,66.80	21,48,69.72	
<i>02- माध्यमिक शिक्षा-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	34,34,30.20	5,87,47.61	40,21,77.81	17,95,63.46	
107- छात्रवृत्तियाँ	14,72.85	-	14,72.85	9,05.54	
109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय	79,83.78	-	79,83.78	29,26.92	
800- अन्य व्यय	-	46.69	46.69	-	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)27.48	-	(-)27.48	(-)4.81	
कुल-02	35,28,59.35	5,87,94.30	41,16,53.65	18,33,91.11	
<i>03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,65.47	-	1,65.47	1,38.33	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	5,41,34.99	-	5,41,34.99	2,58,25.00	
103- सरकारी महाविद्यालय और संस्थाएं	5,62,60.87	-	5,62,60.87	2,64,82.46	
104- गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता	48,69.53	-	48,69.53	51,64.17	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.17	-	(-)1.17	-	
कुल-03	11,54,29.69	-	11,54,29.69	5,76,09.96	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(जारी)					
2202- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)					
04- प्रौढ़ शिक्षा-					
200- अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	11.70	1,05.30	1,17.00	-	
कुल-04	11.70	1,05.30	1,17.00	-	
80- सामान्य-					
003- प्रशिक्षण	7,07.40	-	7,07.40	3,34.67	
004- अनुसंधान	3,41.77	-	3,41.77	1,46.27	
107- छात्रवृत्तियाँ	13,63.25	-	13,63.25	2,70.88	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)14.66	
कुल-80	24,12.42	-	24,12.42	7,37.16	
कुल-2202	89,29,19.21	6,41,60.34	95,70,79.55	45,66,07.95	
2203- तकनीकी शिक्षा-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,14,09.84	-	1,14,09.84	43,79.49	
112- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	-	-	-	4,04.75	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.02	-	(-)0.02	-	
कुल-2203	1,14,09.82	-	1,14,09.82	47,84.24	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(र लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)					
2204- खेल एवं युवा सेवाएं-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,00,97.05	-	3,00,97.05	1,70,66.38	
101- शारीरिक शिक्षा	51,00.00	-	51,00.00	-	
102- छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	12,44.34	-	12,44.34	4,12.52	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-7.33)	-	(-7.33)	(-6.19)	
कुल-2204	3,64,34.06	-	3,64,34.06	1,74,72.71	
2205- कला एवं संस्कृति-					
102- कला एवं संस्कृति को बढ़ावा	22,43.25	-	22,43.25	9,96.00	
104- अभिलेखागार	8,42.26	-	8,42.26	3,59.22	
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	12,45.13	-	12,45.13	6,14.94	
कुल-2205	43,30.64	-	43,30.64	19,70.16	
कुल (क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	94,50,93.73	6,41,60.34	1,00,92,54.07	48,08,35.06	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
ख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-					
2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-					
<i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i>					
<i>एलोपैथी-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,95,02.29	-	2,95,02.29	1,45,49.31	
104- चिकित्सा भण्डार आगार	4,56.04	-	4,56.04	1,82.01	
109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना	1,79.16	-	1,79.16	85.49	
110- अस्पताल एवं औषधालय	7,30,44.25	-	7,30,44.25	3,26,95.69	
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	6,93.61	-	6,93.61	2,82.61	
800- अन्य व्यय	21.16	78,92.00	79,13.16	-	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)99.08	-	(-)99.08	(-)19.75	
कुल-01	10,37,97.43	78,92.00	11,16,89.43	4,77,75.36	
<i>02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i>					
<i>औषधि की अन्य पद्धतियाँ</i>					
101- आयुर्वेद	71,41.06	-	71,41.06	36,05.51	
103- यूनानी	2,65.52	-	2,65.52	1,29.51	
कुल-02	74,06.58	-	74,06.58	37,35.02	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)					
2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(जारी)					
<i>03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>					
<i>एलोपैथी-</i>					
101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र	1,38,52.54	-	1,38,52.54	57,50.07	
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4,17,35.72	-	4,17,35.72	1,77,47.02	
110- अस्पताल एवं औषधालय	7,21,28.52	1.30	7,21,29.82	1,94,52.23	
800- अन्य व्यय	36,75.00	4,87,11.85	5,23,86.85	1,83,04.52	
	कुल-03	4,87,13.15	18,01,04.93	6,12,53.84	
<i>05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-</i>					
105- एलोपैथी	11,20,98.85	-	11,20,98.85	5,01,10.18	
	कुल-05	-	11,20,98.85	5,01,10.18	
<i>06- जन स्वास्थ्य-</i>					
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	64,63.25	-	64,63.25	28,20.83	
102- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम	3,30.80	-	3,30.80	1,63.07	
104- औषध नियंत्रण	22,47.16	-	22,47.16	10,47.12	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े				
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)					
2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)					
<i>06- जन स्वास्थ्य-(समाप्त)</i>					
107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	7,70.03	-	7,70.03	3,67.16	
112- जन स्वास्थ्य शिक्षा	39.77	-	39.77	22.09	
200- औषधियों की अन्य पद्धतियाँ	3,75.11	-	3,75.11	1,88.25	
800- अन्य व्यय	0.21	-	0.21	0.06	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)5.35	
	कुल-06	1,02,26.33	1,02,26.33	46,03.23	
	कुल-2210	36,49,20.97	42,15,26.12	16,74,77.63	
2211- परिवार कल्याण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	66,16.48	2,14.00	68,30.48	7,44.85	
003- प्रशिक्षण	67.48	-	67.48	31.83	
004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	89.97	89.97	33.49	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)					
2211- परिवार कल्याण-(समाप्त)					
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	25,41.94	-	25,41.94	12,87.26	
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	53.24	53.24	5.54	
104- परिवहन	23.85	-	23.85	10.67	
800- अन्य व्यय	-	1,16,30.53	1,16,30.53	58,72.60	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)4.55	-	(-)4.55	(-)0.12	
कुल-2211	92,45.20	1,19,87.74	2,12,32.94	79,86.12	
कुल (ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	37,41,66.17	6,85,92.89	44,27,59.06	17,54,63.75	
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-					
2215- जलापूर्ति और स्वच्छता-					
01- जलापूर्ति-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	16,18,99.72	-	16,18,99.72	5,78,18.50	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)58.13	-	(-)58.13		
कुल-01	16,18,41.59	-	16,18,41.59	5,78,18.50	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(जारी)					
2215- जलापूर्ति और स्वच्छता-(समाप्त)					
<i>02- सीवरेज और स्वच्छता-</i>					
105- स्वच्छता सेवाएं	-	3.00	3.00	-	
<i>कुल-02</i>	-	3.00	3.00	-	
कुल-2215	16,18,41.59	3.00	16,18,44.59	5,78,18.50	
2216- आवास-					
<i>05- सामान्य पूल आवास-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	66,15.71	-	66,15.71	41,54.59	
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	28,13.29	-	28,13.29	12,08.56	
<i>कुल-05</i>	94,29.00	-	94,29.00	53,63.15	
<i>07- अन्य आवास-</i>					
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	10,22.61	-	10,22.61	3,36.21	
<i>कुल-07</i>	10,22.61	-	10,22.61	3,36.21	
कुल-2216	1,04,51.61	-	1,04,51.61	56,99.36	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(समाप्त)					
2217- शहरी विकास-					
<i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	11,94.98	-	11,94.98	5,82.03	
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	5,45,41.29	-	5,45,41.29	1,84,03.49	
800- अन्य व्यय	-	-	-	6.57	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.36	-	(-)0.36	(-)0.03	
	कुल-03	-	5,57,35.91	1,89,92.06	
<i>05- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	52,33.89	-	52,33.89	29,63.80	
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	3,56,32.22	-	3,56,32.22	1,21,76.08	
	कुल-05	-	4,08,66.11	1,51,39.88	
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	21,13.87	-	21,13.87	9,41.53	
	कुल-80	-	21,13.87	9,41.53	
	कुल-2217	-	9,87,15.89	3,50,73.47	
कुल-(ग)- जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	27,10,09.09	3.00	27,10,12.09	9,85,91.33	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(र लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(घ) सूचनाएं एवं प्रसारण-					
2220- सूचना एवं प्रचार-					
60- अन्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	9,47.81	-	9,47.81	4,17.86	
101- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार	51,92.19	-	51,92.19	29,02.65	
102- सूचना केन्द्र	12,17.31	-	12,17.31	5,31.15	
106- क्षेत्र प्रचार	4,55.17	-	4,55.17	2,19.63	
109- फोटो सेवाएं	1,38.15	-	1,38.15	50.78	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)2.94	
	कुल-60	-	79,50.63	41,19.13	
	कुल-2220	-	79,50.63	41,19.13	
	कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण	-	79,50.63	41,19.13	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं			कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल			
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
व्यय-शीर्ष						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
ख समाज सेवाएं-(जारी)						
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-						
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-						
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-						
102- आर्थिक विकास	-	-	-	-	7.02	
				कुल-01	7.02	
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-						
277- शिक्षा	-	14,39.40	14,39.40	-	3,56.39	
				कुल-02	3,56.39	
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-						
102- आर्थिक विकास	67,12.66	-	67,12.66	-	51,94.44	
277- शिक्षा	1,73.24	-	1,73.24	-	1,49.76	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2.92	-	(-)2.92	-	(-)46.18	
				कुल-03	52,98.02	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)					
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-(समाप्त)					
80- सामान्य-					
800- अन्य व्यय	4,06.62	-	4,06.62	1,98.48	
	<i>कुल-80</i>	-	4,06.62	1,98.48	
	कुल-2225	14,39.40	87,29.00	58,59.91	
कुल- (ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण					
	72,89.60	14,39.40	87,29.00	58,59.91	
(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-					
2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-					
01- श्रम-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	13,27.84	-	13,27.84	5,19.04	
101- औद्योगिक संबंध	73.22	-	73.22	35.85	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-(समाप्त)					
2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-(समाप्त)					
102- कामकाजी स्थितियाँ एवं सुरक्षा	2,26.65	-	2,26.65	1,08.49	
103- सामान्य श्रम कल्याण	5,24.59	-	5,24.59	2,26.53	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.36	-	(-)0.36	-	
	कुल-01		21,51.94	8,89.91	
02- रोजगार सेवा-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	24,54.48	-	24,54.48	10,29.02	
03- प्रशिक्षण					
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-	-	-	-	
	कुल-02		24,54.48	10,29.02	
	कुल-2230		46,06.42	19,18.93	
	कुल-(च)- श्रम एवं श्रम कल्याण		46,06.42	19,18.93	

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यय अनुदानों हेतु मांग के अनुसार मुख्य शीर्ष 2203 "तकनीकी शिक्षा" के अंतर्गत बुक किया गया है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-					
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-					
01- पुनर्वास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	20.98	-	20.98	17.11	
202- अन्य पुनर्वास योजना	10,44.74	-	10,44.74	2,85.22	
	कुल-01	-	10,65.72	3,02.33	
02- समाज कल्याण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	44,95.67	-	44,95.67	22,33.71	
101- दिव्यांगों का कल्याण	70.43	-	70.43	42.07	
102- बाल कल्याण	63,93.72	77,30.40	1,41,24.12	53,23.36	
103- महिला कल्याण	57,02.82	48.48	57,51.30	35,53.30	
104- वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण	9,70,24.41	-	9,70,24.41	3,82,55.10	
106- सुधारात्मक सेवाएं	1.95	-	1.95	0.60	
800- अन्य व्यय	1,37.83	-	1,37.83	99.91	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-1.57)	-	(-1.57)	(-1.64)	
	कुल-02	77,78.88	12,16,04.14	4,95,06.41	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)					
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(समाप्त)					
<i>03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-</i>					
102- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	-	21,11.46	21,11.46	23,35.68	
<i>कुल-03</i>	-	21,11.46	21,11.46	23,35.68	
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>					
102- सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेन्शन (ओएपी)	27.67	-	27.67	4.60	
104- जमा संयुक्त बीमा योजना- सरकारी पी. एफ.	7.50	-	7.50	-	
105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	16,15.01	-	16,15.01	8,39.00	
107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना	2.43	-	2.43	2.27	
200- अन्य कार्यक्रम	-	-	-	41.89	
800- अन्य व्यय	1,36.98	11.92	1,48.90	54.01	
<i>कुल-60</i>	17,89.59	11.92	18,01.51	9,41.22	
कुल-2235	11,66,80.57	99,02.26	12,65,82.83 (क)	5,30,86.19	

(क) 8.62 लाख पेन्शन भोगियों को भुगतान की गई पेन्शन सम्मिलित है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)					
2236- पोषण-					
<i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i>					
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	74,02.85	2,91,82.45	3,65,85.30	2,75,45.25	
800- अन्य व्यय	4,25.10	-	4,25.10	1,95.10	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.02	
कुल-02	78,27.95	2,91,82.45	3,70,10.40	2,77,40.33	
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन					
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	30,06.69	-	30,06.69	11,22.60	
800- अन्य व्यय	5,71.16	-	5,71.16	2,71.29	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.08	-	(-)0.08	(-)0.69	
कुल-80	35,77.77	-	35,77.78	13,93.20	
कुल-2236	1,14,05.72	2,91,82.45	4,05,88.17	2,91,33.53	
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-					
<i>02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-</i>					
101- आनुयाहिक राहत	1,64,34.73	-	1,64,34.73	80,81.61	
कुल-02	1,64,34.73	-	1,64,34.73	80,81.61	

(₹ लाख में)

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(जारी)					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)					
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-(समाप्त)					
<i>05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-</i>					
101- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं का हस्तांतरण-राज्य आपदा					
प्रतिक्रिया निधि	3,10,00.00	-	3,10,00.00 (क)	1,08,50.00	
901- कटौती- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	(-),1,64,34.73	-	(-),1,64,34.73 (क)	(-),80,81.61	
<i>कुल-05</i>	1,45,65.27	-	1,45,65.27	27,68.39	
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,45.30	-	1,45.30	28.99	
102- आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक					
योजनाओं का प्रबंधन	-	12.93	12.93	44.78	
<i>कुल-80</i>	1,45.30	12.93	1,58.23	73.77	
कुल-2245	3,11,45.30	12.93	3,11,58.23	1,09,23.77	
कुल-(छ)-समाज कल्याण एवं पोषण	15,92,31.59	3,90,97.64	19,83,29.23	9,31,43.49	

(क) एमएच 8121-122 "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" को हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया एमएच-8121 विवरण संख्या 21-खण्ड-II तथा "अनुलग्नक 'क' लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के नीचे पाद टिप्पणी (क) एवं (ख) का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेख)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) अन्य-					
2250- अन्य समाज सेवाएं-					
102- धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	1,34.41	-	1,34.41	39.73	
800- अन्य व्यय	1,71.05	-	1,71.05	83.13	
कुल-2250	3,05.46	-	3,05.46	1,22.86	
2251- सचिवालय-समाज सेवाएं-					
090- सचिवालय	42,24.25	-	42,24.25	14,19.54	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.70	-	(-)0.70	-	
कुल-2251	42,23.55	-	42,23.55	14,19.54	
कुल-(ज) -अन्य	45,29.01	-	45,29.01	15,42.40	
कुल-ख-समाज सेवाएं	1,77,38,76.24	17,32,93.27	1,94,71,69.51 (म)	86,14,74.00	

(म) ₹ 1,26,30,45.52 लाख वेतन एवं ₹ 29,99,60.53 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े				
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
व्यय -शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-					
2401- फसल पैदावार-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,30,05.69	-	2,30,05.69	1,09,36.32	
103- बीज	6,96.18	-	6,96.18	3,87.63	
104- कृषिगत फार्म	11,02.29	-	11,02.29	8,35.92	
105- खाद एवं उर्वरक	3,04.12	-	3,04.12	1,75.89	
107- पौध संरक्षण	35,88.64	-	35,88.64	18,18.42	
108- वाणिज्यिक फसलें	5,89.15	-	5,89.15	3,79.90	
109- विस्तारण तथा कृषकों का प्रशिक्षण	40,08.87	-	40,08.87	19,54.09	
111- कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	35.63	-	35.63	19.30	
113- कृषि अभियांत्रिकी	5,00.78	-	5,00.78	2,69.45	
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	1,62,87.83	-	1,62,87.83	76,26.28	
800- अन्य व्यय	1,35.35	-	1,35.35	1,38.15	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)12.41	-	(-)12.41	(-)8.26	
कुल-2401	5,02,42.12	-	5,02,42.12	2,45,33.09	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)					
2402- मृदा एवं जल संरक्षण					
001- निदेशन एवं प्रशासन	38,03.80	-	38,03.80	19,16.82	
101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	11,25.42	1,42.83	12,68.25	6,43.82	
102- मृदा संरक्षण	25,17.11	-	25,17.11	14,06.40	
103- भूमि सुधार एवं विकास	17.38	-	17.38	13.32	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-11.87)	-	(-11.87)	(-1.38)	
कुल-2402	74,51.84	1,42.83	75,94.67	39,78.98	
2403- पशुपालन-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,06,07.96	-	5,06,07.96	2,70,80.60	
107- चारा एवं खाद्य विकास	6,90.04	-	6,90.04	3,53.88	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-1.85)	-	(-1.85)		
कुल-2403	5,12,96.15	-	5,12,96.15	2,74,34.48	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)					
2405- मत्स्यपालन-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	89,85.61	-	89,85.61	39,06.89	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.05	-	(-)0.05	-	
कुल-2405	89,85.56	-	89,85.56	39,06.89	
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-					
<i>01- वानिकी-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,88,90.73	-	5,88,90.73	1,97,59.03	
004- अनुसंधान	13,70.72	-	13,70.72	6,25.27	
070- संचार एवं इमारतें	38.52	-	38.52	17.56	
101- वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान	83.15	-	83.15	25.68	
102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी	2,27,51.19	-	2,27,51.19	1,00,03.98	
105- वन उत्पाद	4,83.85	-	4,83.85	2,90.67	
800- अन्य व्यय	44.52	-	44.52	-	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)15.93	-	(-)15.93	(-)3.90	
कुल-01	8,36,46.75	-	8,36,46.75	3,07,18.29	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)					
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-(समाप्त)					
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	23,58.90	-	23,58.90	33,77.22	
110- वन्य जीवन परिरक्षण	41,87.96	-	41,87.96	21,00.45	
112- सार्वजनिक उद्यान	68,95.14	-	68,95.14	14,85.07	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)12.52	-	(-)12.52	(-)1.34	
कुल-02	1,34,29.48	-	1,34,29.48	69,61.40	
<i>04- वन-रोपण और पारिस्थितिकी-</i>					
103- राज्य प्रतिकर वन-रोपण (एससीए)	1,07,91.97	-	1,07,91.97	-	
कुल-04	1,07,91.97	-	1,07,91.97	-	
कुल-2406	10,78,68.20	-	10,78,68.20 (क)	3,76,79.69	

(क) कृपया पैरा 4 (ii) (ख) और लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I अनुलग्नक झ का संदर्भ लें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)					
2408- खाद्य, संग्रहण एवं भण्डारण-					
<i>01- भोजन-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,42,89.88	-	1,42,89.88	68,55.99	
101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति	-	-	-	5,01.06	
कुल-01	1,42,89.88	-	1,42,89.88	73,57.05	
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-</i>					
101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	-	-	1,90.69	
800- अन्य व्यय	1,05.12	-	1,05.12	40.05	
कुल-02	1,05.12	-	1,05.12	2,30.74	
कुल-2408	1,43,95.00	-	1,43,95.00	75,87.79	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त)					
2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा					
<i>01- फसल पैदावार</i>					
004- अनुसंधान	3,47.08	-	3,47.08	1,83.29	
	कुल-01		3,47.08	1,83.29	
<i>80- सामान्य</i>					
120- अन्य संस्थानों को सहायता	3,86,28.84	-	3,86,28.84	2,34,94.00	
	कुल-80		3,86,28.84	2,34,94.00	
	कुल-2415		3,89,75.92	2,36,77.29	
2425- सहकारिता					
001- निदेशन एवं प्रशासन	32,12.00	-	32,12.00	14,74.82	
101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	8,83.60	-	8,83.60	4,00.88	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	1,25.00	-	1,25.00	2,25.00	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.09	-	(-)0.09	-	
	कुल-2425		42,20.51	21,00.70	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त)					
2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-					
<i>01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-</i>					
101- विपणन सुविधाएं	24,93.50	-	24,93.50	11,25.00	
102- ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	6,31.41	-	6,31.41	3,23.47	
800- अन्य व्यय	3,56.66	-	3,56.66	1,97.89	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-).3.25	-	(-).3.25	(-).0.14	
	कुल-01	-	34,78.32	16,46.22	
	कुल-2435	-	34,78.32	16,46.22	
	कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,42.83	28,70,56.45	13,25,45.13	
(ख) ग्रामीण विकास-					
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-					
<i>02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	19,92.70	1,00.00	20,92.70	23,38.75	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(र लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ख) ग्रामीण विकास-(समाप्त)					
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-					
02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम-					
800- अन्य व्यय	2,65.09	-	2,65.09	1,01.60	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.77	
	कुल-02	22,57.79	1,00.00	23,57.79	24,39.58
	कुल-2501	22,57.79	1,00.00	23,57.79	24,39.58
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,38,40.44	-	1,38,40.44	65,01.74	
102- सामुदायिक विकास	2,13,46.16	-	2,13,46.16	1,06,04.33	
800- अन्य व्यय	72,66.60	-	72,66.60	33,78.97	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)4.74	-	(-)4.74	(-)1.95	
	कुल-2515	4,24,48.46	-	4,24,48.46	2,04,83.09
	कुल-(ख)-ग्रामीण विकास	4,47,06.25	1,00.00	4,48,06.25	2,29,22.67

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-					
2700- प्रमुख सिंचाई-					
<i>01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	7,69.72	-	7,69.72	2,37.86	
601- रणबीर नहर	-	-	-	71.99	
602- प्रताप नहर	-	-	-	12.98	
603- कठुआ फीडर नहर	-	-	-	8.99	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.61	-	(-)0.61	-	
कुल-01	7,69.11	-	7,69.11	3,31.82	
कुल-2700	7,69.11	-	7,69.11	3,31.82	
2701- मध्यम सिंचाई-					
<i>04- मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	52,52.55	-	52,52.55	22,39.03	
612- तवी लिफ्ट सिंचाई	15,87.19	-	15,87.19	3,80.31	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)7.04	-	(-)7.04	-	
कुल-04	68,32.70	-	68,32.70	26,19.20	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(जारी)					
2701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त)					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,62.29	-	2,62.29	1,01.20	
कुल-80	2,62.29	-	2,62.29	1,01.20	
कुल-2701	70,94.99	-	70,94.99	27,20.54	
2702- लघु सिंचाई-					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,89,95.92	-	3,89,95.92	1,61,86.44	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)3.16	-	(-)3.16	-	
कुल-80	3,89,92.76	-	3,89,92.76	1,61,86.44	
कुल-2702	3,89,92.76	-	3,89,92.76	1,61,86.44	
2705- कमान क्षेत्र विकास-					
602- कमान क्षेत्र कश्मीर	6,24.51	-	6,24.51	3,27.53	
603- कमान क्षेत्र जम्मू	22,03.62	-	22,03.62	10,00.81	
800- अन्य व्यय	2,63.79	-	2,63.79	1,24.17	
कुल-2705	30,91.92	-	30,91.92	14,52.51	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)					
2711- बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह-					
01- बाढ़ नियंत्रण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,12,35.85	-	1,12,35.85	46,52.11	
	<i>कुल-01</i>		1,12,35.85	46,52.11	
	कुल-2711		1,12,35.85	46,52.11	
कुल-(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,11,84.63	-	6,11,84.63	2,53,43.43	
(ङ) ऊर्जा-					
2801- विद्युत-					
01- जल विद्युत उत्पादन-					
101- विद्युत की खरीद	16,99,93.38	-	16,99,93.38	18,57,22.35	
	<i>कुल-01</i>		16,99,93.38	18,57,22.35	
05- संचारण एवं वितरण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	11,05,88.70	-	11,05,88.70	5,36,22.10	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(जारी)					
2801- विद्युत-(जारी)					
05- संचारण एवं वितरण-					
602- संचारण लाइन, सोपौर	-	-	-	65.15	
603- संचारण लाइन, बेमिना, श्रीनगर	-	-	-	60.66	
604- संचारण लाइन, जानीपुर	-	-	-	68.42	
605- संचारण लाइन, ग्लाडनी	-	-	-	62.63	
606- संचारण लाइन, ऊधमपुर	-	-	-	94.50	
607- संचारण लाइन, पंपोर	-	-	-	1,06.42	
609- लोड डिस्पैच, एमटी जम्मू	-	-	-	16.01	
610- लोड डिस्पैच, एमटी श्रीनगर	-	-	-	29.43	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)22.59	
कुल-05	11,05,88.70	-	11,05,88.70	5,41,02.73	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े				
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			

व्यय -शीर्ष

(राजस्व लेखा)-(जारी)

ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)

(ड) ऊर्जा-(जारी)

2801- विद्युत-(जारी)

06- ग्रामीण विद्युतीकरण- (जारी)

001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	2,87.52
611- ग्रामीण विद्युतीकरण, जम्मू	-	-	-	8,83.78
612- ग्रामीण विद्युतीकरण, कठुआ	-	-	-	2,59.59
613- ग्रामीण विद्युतीकरण, पंछ	-	-	-	97.52
614- ग्रामीण विद्युतीकरण, राजौरी	-	-	-	2,24.49
615- ग्रामीण विद्युतीकरण, उधमपुर	-	-	-	3,03.84
616- ग्रामीण विद्युतीकरण, बटोट	-	-	-	56.62
617- ग्रामीण विद्युतीकरण, डोडा	-	-	-	96.44
618- ग्रामीण विद्युतीकरण, श्रीनगर	-	-	-	9,61.26
619- ग्रामीण विद्युतीकरण, अनंतनाग	.	.	.	1,52.01
620- ग्रामीण विद्युतीकरण, अवंतीपुरा	-	-	-	1,01.96

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(जारी)					
2801- विद्युत-(जारी)					
<i>06- ग्रामीण विद्युतीकरण-(समाप्त)</i>					
621- ग्रामीण विद्युतीकरण, पुलवामा	-	-	-	2,02.60	
622- ग्रामीण विद्युतीकरण, बारामूला	-	-	-	1,38.61	
623- ग्रामीण विद्युतीकरण, बडगाम	-	-	-	1,61.86	
624- ग्रामीण विद्युतीकरण, हंदवाडा	-	-	-	1,63.45	
625- ग्रामीण विद्युतीकरण, कुलगाम	-	-	-	1,14.22	
626- ग्रामीण विद्युतीकरण, सुंबल	-	-	-	67.89	
627- ग्रामीण विद्युतीकरण, सोपोर	-	-	-	3,05.39	
628- ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजबेहरा	-	-	-	2,07.97	
629- ग्रामीण विद्युतीकरण, गांदरबल	-	-	-	1,72.58	
630- ग्रामीण विद्युतीकरण, विजयपुर	-	-	-	1,02.49	
633- ग्रामीण विद्युतीकरण, किशतवाड	-	-	-	81.14	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.03	
<i>कुल-06</i>	-	-	-	51,43.20	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(समाप्त)					
2801- विद्युत-(समाप्त)					
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,41.24	-	2,41.24	1,11.77	
004- अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	40.52	
005- जाँच पड़ताल	5,52.32	-	5,52.32	3,39.01	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	1.57	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)91.25	-	(-)91.25	-	
<i>कुल -80</i>	<u>7,02.31</u>	<u>-</u>	<u>7,02.31</u>	<u>4,92.87</u>	
कुल-2801	28,12,84.39	-	28,12,84.39	24,54,61.15	
कुल-(ड)-ऊर्जा	28,12,84.39	-	28,12,84.39	24,54,61.15	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) (₹ लाख में)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(च)- उद्योग एवं खनिज-					
2851- गांव एवं लघु उद्योग-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	6,95.88	-	6,95.88	3,33.46	
003- प्रशिक्षण	4,00.00	-	4,00.00	3,00.00	
004- अनुसंधान एवं विकास	8,66.93	-	8,66.93	4,03.21	
101- औद्योगिक संपदा	1,68.05	-	1,68.05	80.23	
102- लघु पैमाना उद्योग	50,99.44	-	50,99.44	24,15.47	
103- हथकरघा उद्योग	21,14.85	-	21,14.85	10,51.89	
104- हस्तशिल्प उद्योग	98,67.85	-	98,67.85	51,12.49	
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	24,79.50	-	24,79.50	13,40.00	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	87,28.25	-	87,28.25	39,89.15	
800- अन्य व्यय	-	-	-	(-)7.40	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.51	-	(-)0.51	-	
कुल-2851	3,04,20.24	-	3,04,20.24	1,50,18.50	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय-शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(च)- उद्योग एवं खनिज-(समाप्त)					
2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग-					
02- खानों का विनियमन एवं विकास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	54,08.43	-	54,08.43	23,63.02	
कुल-02	54,08.43	-	54,08.43	23,63.02	
कुल-2853	54,08.43	-	54,08.43	23,63.02	
कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज	3,58,28.67	-	3,58,28.67	1,73,81.52	
3054- सड़कें एवं पुल-					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,30,97.16	-	1,30,97.16	58,01.92	
797- आरक्षित निधि/ जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण	79,40.00	-	79,40.00 (क)	49,48.00	
कुल-80	2,10,37.16	-	2,10,37.16	1,07,49.92	
कुल-3054	2,10,37.16	-	2,10,37.16	1,07,49.92	
कुल-(छ)- परिवहन	2,10,37.16	-	2,10,37.16	1,07,49.92	

(क) "केन्द्रीय सड़क निधि" से एमएच 8449-103 संसहायिकी को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया एमएच-8449 विवरण संख्या 21 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी "ग" तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के अनुलग्नक "क" का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-					
3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-					
<i>04- प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण-</i>					
103- वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम	29,46.28	-	29,46.28	12,17.92	
800- अन्य व्यय	12,47.28	-	12,47.28	4,66.64	
	<i>कुल-04</i>		41,93.56	16,84.56	
	कुल-3454		41,93.56	16,84.56	
	कुल-(झ)- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		41,93.56	16,84.56	
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-					
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-					
090- सचिवालय	72,99.10	-	72,99.10	27,34.89	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-).1.74	-	(-).1.74	(-).0.12	
	कुल-3451		72,97.36	27,34.77	

(ख) कृपया पैरा 2 (xiii) (ख) तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के अनुलग्नक "झ" का संदर्भ लें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
3452- पर्यटन-					
01- पर्यटक अवसंरचना-					
101- पर्यटन केन्द्र	6,38.57	-	6,38.57	4,09.76	
102- पर्यटक आवास	12,80.89	-	12,80.89	6,39.13	
800- अन्य व्यय	47,62.29	-	47,62.29	39,70.07	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)7,90.50	
	कुल-01	-	66,81.75	42,28.46	
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	43,02.37	-	43,02.37	42,45.11	
104- प्रोत्साहन एवं प्रचार	3,88.27	-	3,88.27	1,74.31	
800- अन्य व्यय	21,31.07	-	21,31.07	9,83.02	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.45	-	(-)0.45		
	कुल-80	-	68,21.26	54,02.44	
	कुल-3452	-	1,35,03.01	96,30.90	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-					
01- जनगणना-					
001- निदेशन और प्रशासन	3,80.44	-	3,80.44	1,52.57	
	कुल-01		3,80.44	1,52.57	
02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-					
110- राजपत्र एवं सांख्यिकीय संस्मरण	64.96	-	64.96	41.37	
112- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी	50,72.75	-	50,72.75	23,01.53	
201- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	6,74.07	-	6,74.07	3,42.50	
205- राज्य सांख्यिकीय अभिकरण	5,55.89	-	5,55.89	23,084	
800- अन्य व्यय	18.23	-	18.23	7.26	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.60		(-)0.60	-	
	कुल-02		63,85.30	29,23.50	
	कुल-3454		67,65.74	30,76.07	

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(समाप्त)					
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)					
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-					
106- वजन एवं माप का नियमन	9,96.18	-	9,96.18	4,57.34	
115- अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता	1,20.00	-	1,20.00	10.00	
800- अन्य व्यय	-	16.17	16.17	96.90	
कुल-3475	11,16.18	16.17	11,32.35	5,64.24	
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,86,82.29	16.17	2,86,98.46	1,60,05.98	
कुल-ग-आर्थिक सेवाएं	76,38,30.57	2,59.00	76,40,89.57 (घ)	47,20,94.35	
कुल-व्यय शीर्ष	4,44,52,33.94	17,40,44.71	5,26,33,75.49	2,27,19,43.33	
(राजस्व लेखा)	64,40,96.84				
वेतन	2,36,10,35.03	1,78,02.32	2,38,50,25.96	1,07,07,38.08	
	61,88.61				
सहायिकियाँ	-	19.27	19.27	-	
सहायता अनुदान	51,70,28.74	12,99,98.48	64,70,27.22	39,66,95.50	

(घ) ₹ 34,52,09.28 लाख वेतन, ₹ 19.27 लाख सहायिकी एवं ₹ 34,11,38.97 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त)

विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक "ख"

वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न मुख्य योजनाओं के लिए निधियों का निर्माण (क)

योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्माचित राशि	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप में निर्माचित केन्द्रीय अंश	कमी (-) अधिकता (+)	वित्त पोषण प्रतिमान के अनुसार यूटी अंश	निर्माचित यूटी अंश	कमी (-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि	व्यय
(₹ लाख में)								

(क) संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीकित (अगस्त 2021)।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-								
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-								
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-								
	039- राज्य उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
		4,07.12	-	-	-	-	4,07.12	-
	कुल-4047	4,07.12	-	-	-	-	4,07.12	-
4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-								
	117- आंतरिक सुरक्षा	-	-	-	-	-	-	-
		1,44,29.18	-	-	-	-	1,44,29.18	-
	207- राज्य पुलिस	2,10,79.46	-	1,63,12.84	97.56	1,64,10.40	3,74,89.86	-
		11,80,48.57	-	-	-	-	11,80,48.57	-
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		32,09.38	-	-	-	-	32,09.38	-
	कुल-4055	2,10,79.46	-	1,63,12.84	97.56	1,64,10.40	3,74,89.86	-
		13,56,87.13	-	-	-	-	13,56,87.13	-
4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय-								
	001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		97.60	-	-	-	-	97.60	-
	103- सरकारी मुद्रणालय	2,18.33	-	2,74.20	-	2,74.20	4,92.53	-
		29,88.77	-	-	-	-	29,88.77	-
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		4,09.29	-	-	-	-	4,09.29	-
	कुल-4058	2,18.33	-	2,74.20	-	2,74.20	4,92.53	-
		34,95.66	-	-	-	-	34,95.66	-

* वर्ष 2019-20 हेतु पाँच महीनों के लेखे होने के कारण पूरे विवरण सं. 16 में लागू नहीं है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-								
<i>01- कार्यालय भवन-</i>								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	2,73,42.50	-	1,82,48.51	1,92,19.07	3,74,67.58	6,48,10.08	
		17,44,40.11					17,44,40.11	
051-	निर्माण	-	-	-	-	-	-	
		2,80,29.84					2,80,29.84	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		10,93.61					10,93.61	
201-	भूमि का अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-	
		2.85					2.85	
799-	उचंत्	-	-	-	-	-	-	
		0.12					0.12	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		2,55,11.73					2,55,11.73	
	<i>कुल-01</i>	<u>2,73,42.50</u>	<u>-</u>	<u>1,82,48.51</u>	<u>1,92,19.07</u>	<u>3,74,67.58</u>	<u>6,48,10.08</u>	
		22,90,78.26					22,90,78.26	
<i>60- अन्य भवन</i>								
051-	निर्माण	-	-	13.30	-	13.30	13.30	
		9,58.87					9,58.87	
117-	आंतरिक सुरक्षा	-	-	-	-	-	-	
		2,52.15					2,52.15	
800-	अन्य व्यय	1,08,73.21	-	1,35,41.42	10,62.74	1,46,04.16	2,54,77.37	
		36,38,90.55					36,38,90.55	
	<i>कुल-60</i>	<u>1,08,73.21</u>	<u>-</u>	<u>1,35,54.72</u>	<u>10,62.74</u>	<u>1,46,17.46</u>	<u>2,54,90.67</u>	
		36,51,10.57					36,51,10.57	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		44,01.32					44,01.32	
051-	निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
		18,83.58					18,83.58	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
		4,10.64					4,10.64	
201-	भूमि का अधिग्रहण	2,14.36	-	3,83.59	-	3,83.59	5,97.95	
		81,51.65					81,51.65	
800-	अन्य व्यय	62,91.28	-	6,88.26	-	6,88.26	69,79.54	
		63,05.66					63,05.66	
	कुल-80	65,05.64	-	10,71.85	-	10,71.85	75,77.49	
		2,11,52.85					2,11,52.85	
	कुल-4059	4,47,21.35	-	3,28,75.08	2,02,81.81	5,31,56.89	9,78,78.24	
		61,53,32.68					61,53,32.68	
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-								
003-	प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-
		57.71					57.71	
800-	अन्य व्यय	4,14.38	-	7,36.60	-	7,36.60	11,50.98	
		1,03,80.47					1,03,80.47	
	कुल-4070	4,14.38	-	7,36.60	-	7,36.60	11,50.98	
		1,04,38.18					1,04,38.18	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-							
204- आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण							
	-	-	-	-	-	-	-
	36.19					36.19	
800- अन्य व्यय	69,23.13	-	70,45.67	-	70,45.67	1,39,68.80	
	1,62,85.12					1,62,85.12	
	कुल-4075		70,45.67		70,45.67	1,39,68.80	
	1,63,21.31					1,63,21.31	
	कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		5,72,44.39		2,03,79.37	7,76,23.76	
	78,16,82.08					78,16,82.08	
ख- सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-							
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-							
<i>01- सामान्य शिक्षा-</i>							
201- प्रारंभिक शिक्षा	31,13.11	-	59,29.98	-	59,29.98	90,43.09	
	21,47,49.84					21,47,49.84	
202- माध्यमिक शिक्षा	33,29.92	-	69,04.60	-	69,04.60	1,02,34.52	
	10,85,40.95					10,85,40.95	
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	1,37,35.92	-	3,57,30.51	2.00	3,57,32.51	4,94,68.43	
	18,41,31.47					18,41,31.47	
204- प्रौढ़ शिक्षा	-	-	-	-	-	-	
	1,27.81					1,27.81	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)								
600- सामान्य		-	-	-	-	-	-	
		6,88.69					6,88.69	
800- अन्य व्यय		35,50.39	-	2,19.82	92,62.97	94,82.79	1,30,33.18	
		10,60,34.49					10,60,34.49	
	कुल-01	2,37,29.34	-	4,87,84.91	92,64.97	5,80,49.88	8,17,79.22	
		61,42,73.25					61,42,73.25	
02- तकनीकी शिक्षा-								
103- तकनीकी विद्यालय		-	-	-	-	-	-	
		44,81.94					44,81.94	
104- पॉलिटेक्निक		-	-	-	-	-	-	
		86,55.62					86,55.62	
105- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान		3,61.87	-	13,18.40	-	13,18.40	16,80.27	
		4,16,47.20					4,16,47.20	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		6,19.15					6,19.15	
	कुल-02	3,61.87	-	13,18.40	-	13,18.40	16,80.27	
		5,54,03.91					5,54,03.91	
03- खेल एवं युवा सेवाएं-								
101- युवा छात्रावास		-	-	-	-	-	-	
		15,09.81					15,09.81	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
<i>03- खेल एवं युवा सेवाएं-(समाप्त)</i>							
102- खेल स्टेडियम	-	-	-	-	-	-	-
	18,23.48					18,23.48	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	1,16,54.40					1,16,54.40	
	1,49,87.69					1,49,87.69	
<i>कुल-03</i>							
	1,49,87.69					1,49,87.69	
<i>04- कला एवं संस्कृति-</i>							
101- ललित कला शिक्षा	2,00.00	-	-	-	-	2,00.00	
	1,05,11.36					1,05,11.36	
104- अभिलेखागार	1,93.49	-	2,61.02	-	2,61.02	4,54.51	
	5,85.26					5,85.26	
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	1,98.73	-	1,44.94	-	1,44.94	3,43.67	
	1,75.20					1,75.20	
106- संग्रहालय	-	-	-	-	-	-	-
	9,17.42					9,17.42	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	14,03.26					14,03.26	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय--(समाप्त)							
04- कला एवं संस्कृति-(समाप्त)							
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
	(-4.65)					(-4.65)	
कुल-04	5,92.22	-	4,05.96	-	4,05.96	9,98.18	
	1,35,87.85					1,35,87.85	
कुल-4202	2,46,83.43	-	5,05,09.27	92,64.97	5,97,74.24	8,44,57.67	
	69,82,52.70					69,82,52.70	
कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा	2,46,83.43	-	5,05,09.27	92,64.97	5,97,74.24	8,44,57.67	
	69,82,52.70					69,82,52.70	
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-							
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-							
109- विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
	70.02					70.02	
110- अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	-	-	-	-
	1,19,50.31					1,19,50.31	
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	20,09.80	-	15,00.00	-	15,00.00	35,09.80	
	43,89.42					43,89.42	
800- अन्य व्यय	1,27,74.53	-	1,55,56.94	2,72.42	1,58,29.36	2,86,03.89	
	36,26,88.22					36,26,88.22	
कुल-01	1,47,84.33	-	1,70,56.94	2,72.42	1,73,29.36	3,21,13.69	
	37,90,97.97					37,90,97.97	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-								
101-	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	-	-	-	-	-	-	
		7,47.29					7,47.29	
102-	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	
		80.31					80.31	
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	37.08	-	97,08.83	-	97,08.83	97,45.91	
		3,23,42.78					3,23,42.78	
104-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	
		4.37					4.37	
110-	अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	-	-	-	
		21,19.50					21,19.50	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप योजना	-	-	-	-	-	-	
		0.33					0.33	
800-	अन्य व्यय	63,88.50	-	-	52,14.84	52,14.84	1,16,03.34	
		38,34.70					38,34.70	
	<i>कुल-02</i>	64,25.58	-	97,08.83	52,14.84	1,49,23.67	2,13,49.25	
		3,91,29.28					3,91,29.28	
03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान								
101-	आयुर्वेद	-	-	-	-	-	-	
		1.00					1.00	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-(समाप्त)</i>								
105- एलोपैथी		1,48,42.45	-	15,24.29	1,23,61.15	1,38,85.44	2,87,27.89	
		5,93,73.40					5,93,73.40	
200- अन्य प्रणालियाँ		31,63.23	-	39.00	9,62.48	10,01.48	41,64.71	
		9,55.62					9,55.62	
	<i>कुल-03</i>	1,80,05.68	-	15,63.29	1,33,23.63	1,48,86.92	3,28,92.60	
		6,03,30.02					6,03,30.02	
<i>04- जन-स्वास्थ्य-</i>								
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण		4,05.54	-	-	57,98.05	57,98.05	62,03.59	
		31,03.00					31,03.00	
106- सेरा/ टीका का विनिर्माण		-	-	-	-	-	-	
		70.37					70.37	
107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं		2.96	-	-	46.52	46.52	49.48	
		23,17.55					23,17.55	
112- जन स्वास्थ्य शिक्षा		-	-	-	-	-	-	
		8,64.53					8,64.53	
200- अन्य कार्यक्रम		-	-	-	-	-	-	
		12,10.29					12,10.29	
	<i>कुल-04</i>	4,08.50	-	-	58,44.57	58,44.57	62,53.07	
		75,65.74					75,65.74	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		44,98.71					44,98.71	
	कुल-80	-	-	-	-	-	-	
		44,98.71					44,98.71	
	कुल-4210	3,96,24.09	-	2,83,29.06	2,46,55.46	5,29,84.52 \$	9,26,08.61	
		49,06,21.72					49,06,21.72	
4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-								
101- ग्रामीण परिवार कल्याण								
		-	-	-	-	-	-	
		1,07.15					1,07.15	
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं								
		-	-	-	-	-	-	
		1,08.96					1,08.96	
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		5,80.93					5,80.93	
	कुल-4211	-	-	-	-	-	-	
		7,97.04					7,97.04	
	कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	3,96,24.09	-	2,83,29.06	2,46,55.46	5,29,84.52	9,26,08.61	
		49,14,18.76					49,14,18.76	

\$ सहायता अनुदान पर ₹ 9,62.47 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-								
4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-								
<i>01- जलापूर्ति-</i>								
101- शहरी जलापूर्ति-								
	जलापूर्ति जम्मू शहर	-	-	-	-	-	-	-
		66,40.30					66,40.30	
	ट्यूबवैल श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-
		30,94.16					30,94.16	
	श्रीनगर संवर्धन शहर की जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान	-	-	-	53,72.49	53,72.49	53,72.49	
		1,23,57.15					1,23,57.15	
	मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
		1,46,66.59					1,46,66.59	
	निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं	-	-	-	-	-	-	-
		26,26.98					26,26.98	
	कुल-101	-	-	-	53,72.49	53,72.49	53,72.49	
		3,93,85.18					3,93,85.18	
102- ग्रामीण जलापूर्ति-								
	कश्मीर प्रभाग की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार/ संवर्धन	35,64.13	-	1,07,76.31	-	1,07,76.31	1,43,40.44	
		16,74,03.05					16,74,03.05	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- जलापूर्ति-(जारी)								
102- ग्रामीण जलापूर्ति-(समाप्त)								
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर)	1,15,53.62	-	-	-	-	1,15,53.62	
		2,49,64.69					2,49,64.69	
	जम्मू प्रभाग की शहर जलापूर्ति का सुधार	66,76.48	-	65,60.12	-	65,60.12	1,32,36.60	
		11,29,89.39					11,29,89.39	
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू)	1,47,19.32	-	-	84,19.44	84,19.44	2,31,38.76	
		2,99,55.91					2,99,55.91	
	जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	
	त्वरित जलापूर्ति योजना	13,54.70					13,54.70	
		-	-	-	-	-	-	
		4,37,05.76					4,37,05.76	
	उचंत	-	-	-	-	-	-	
		(-1,70.34)					(-1,70.34)	
	निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं	-	-	-	-	-	-	
		35,55,76.29					35,55,76.29	
	कुल-102	3,65,13.55	-	1,73,36.43	84,19.44	2,57,55.87	6,22,69.42	
		73,57,79.45					73,57,79.45	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>01- जलापूर्ति-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	53,80.19					53,80.19	
<i>कुल-01</i>	3,65,13.55	-	1,73,36.43	1,37,91.93	3,11,28.36	6,76,41.91	
	78,05,44.82					78,05,44.82	
<i>02- सीवरेज एवं स्वच्छता-</i>							
101- शहरी स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
	7,85.84					7,85.84	
102- ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
	12,12.01					12,12.01	
106- सीवरेज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
	1,12,75.22					1,12,75.22	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	8,58.31					8,58.31	
<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	-	-	-
	1,41,31.38					1,41,31.38	
कुल-4215	3,65,13.55	-	1,73,36.43	1,37,91.93	3,11,28.36	6,76,41.91	
	79,46,76.20					79,46,76.20	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- सरकारी आवासीय भवन-								
106-	सामान्य प्ल आवास	-	-	-	-	-	-	-
		67,31.80					67,31.80	
700-	अन्य आवास	2,00.00	-	-	-	-	2,00.00	
		2,11,71.12					2,11,71.12	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		1,26.29					1,26.29	
	कुल-01	2,00.00	-	-	-	-	2,00.00	
		2,80,29.21					2,80,29.21	
02- शहरी आवास								
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		80,30.59					80,30.59	
	कुल-02	-	-	-	-	-	-	
		80,30.59					80,30.59	
03- ग्रामीण आवास								
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		4.60					4.60	
	कुल-03	-	-	-	-	-	-	
		4.60					4.60	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)								
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		1,88.72					1,88.72	
191-	आवासीय निगमों में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		3.00					3.00	
201-	आवासीय बोर्डों में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		1,49.75					1,49.75	
800-	अन्य व्यय	3,22.91	-	-	31.95	31.95	3,54.86	
		10,01.23					10,01.23	
	कुल-80	3,22.91	-	-	31.95	31.95	3,54.86	
		13,42.70					13,42.70	
	कुल-4216	5,22.91	-	-	31.95	31.95	5,54.86	
		3,74,07.10					3,74,07.10	
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- राज्य पूँजीगत विकास-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		18.05					18.05	
050-	भूमि	-	-	-	-	-	-	
		1.21					1.21	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-								
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-(समाप्त)</i>								
051- निर्माण		6,00.00	-	-	-	-	6,00.00	
		42.12					42.12	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	
		1,37.51					1,37.51	
191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता		-	-	-	-	-	-	
		8,07.04					8,07.04	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		73.76					73.76	
	<i>कुल-01</i>	6,00.00	-	-	-	-	6,00.00	
		10,79.69					10,79.69	
<i>03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-</i>								
051- निर्माण		1,81,08.79	-	3,19,51.38	24,06.94	3,43,58.32	5,24,67.11	
		5,28,33.39					5,28,33.39	
191- स्थानीय निकास निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों के नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता		-	-	-	-	-	-	
		55,67.34					55,67.34	
800- अन्य व्यय		1,59,05.54	-	57,50.00	1,36,00.00	1,93,50.00	3,52,55.54	
		43,81,59.98					43,81,59.98	
	<i>कुल-03</i>	3,40,14.33	-	3,77,01.38	1,60,06.94	5,37,08.32	8,77,22.65	
		49,65,60.71					49,65,60.71	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)								
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>04- झुग्गीबस्ती क्षेत्र सुधार-</i>								
050- भूमि		-	-	-	-	-	-	
		0.50					0.50	
051- निर्माण		-	-	-	-	-	-	
		36.17					36.17	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		61.72					61.72	
	<i>कुल-04</i>	-	-	-	-	-	-	
		98.39					98.39	
<i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	
		1,23.60					1,23.60	
051- निर्माण		-	-	-	-	-	-	
		7,46.89					7,46.89	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	
		8,80.28					8,80.28	
	<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	-	-	
		17,50.77					17,50.77	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
	कुल-4217	3,46,14.33	-	3,77,01.38	1,60,06.94	5,37,08.32	8,83,22.65	
		49,94,89.56					49,94,89.56	
	कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	7,16,50.79	-	5,50,37.81	2,98,30.82	8,48,68.63	15,65,19.42	
		1,33,15,72.86					1,33,15,72.86	
(घ) सूचना एवं प्रसारण पर पूँजीगत परिव्यय-								
4220- सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय-								
60- अन्य-								
	800- अन्य व्यय	34.80	-	44.03	-	44.03	78.83	
		33,49.14					33,49.14	
	कुल-60	34.80	-	44.03	-	44.03	78.83	
		33,49.14					33,49.14	
	कुल-4220	34.80	-	44.03	-	44.03	78.83	
		33,49.14					33,49.14	
	कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण का पूँजीगत लेखा	34.80	-	44.03	-	44.03	78.83	
		33,49.14					33,49.14	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के								
कल्याण का पूँजीगत लेखा-								
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं								
अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-								
102- आर्थिक विकास		-	-	-	33.53	33.53	33.53	
		77.55					77.55	
793- अनुसूचित जाति घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	-	-	-	
		58.56					58.56	
800- अन्य व्यय		38.83	-	-	3,34.53	3,34.53	3,73.36	
		3,13.34					3,13.34	
	कुल-01	38.83	-	-	3,68.06	3,68.06	4,06.89	
		4,49.45					4,49.45	
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-								
102- आर्थिक विकास		-	-	-	-	-	-	
		1.54					1.54	
277- शिक्षा		-	-	-	-	-	-	
		61.83					61.83	
283- आवास		-	-	-	-	-	-	
		7.53					7.53	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के								
कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं								
अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-(सम्पत्त)</i>								
794- जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	-	-	-	
		1,21.21					1,21.21	
800- अन्य व्यय		15,98.22	-	1,83.21	25,76.63	27,59.84	43,58.06	
		2,75,09.54					2,75,09.54	
	<i>कुल-02</i>	15,98.22	-	1,83.21	25,76.63	27,59.84	43,58.06	
		2,77,01.65					2,77,01.65	
<i>03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-</i>								
102- आर्थिक विकास		-	-	-	-	-	-	
		3,09.95					3,09.95	
283- आवास		-	-	-	-	-	-	
		3.00					3.00	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		3,67.76					3,67.76	
	<i>कुल-03</i>	-	-	-	-	-	-	
		6,80.71					6,80.71	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगमों में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		5,10.00					5,10.00	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	-	-	-	
		92.62					92.62	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		11,03.49					11,03.49	
	कुल-80	-	-	-	-	-	-	
		17,06.11					17,06.11	
	कुल-4225	16,37.05		1,83.21	29,44.69	31,27.90 \$	47,64.95	
		3,05,37.92					3,05,37.92	
	कुल-(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	16,37.05	-	1,83.21	29,44.69	31,27.90	47,64.95	
		3,05,37.92					3,05,37.92	

\$ सहायता अनुदान पर ₹ 3,34.54 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-								
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- पुनर्वास-								
201-	अन्य पुनर्वास योजनाएं	53,87.43	-	4,39,68.29	-	4,39,68.29	4,93,55.72	
		15,71,00.54					15,71,00.54	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		0.82					0.82	
	<i>कुल-01</i>	53,87.43	-	4,39,68.29	-	4,39,68.29	4,93,55.72	
		15,71,01.36					15,71,01.36	
02- समाज कल्याण-								
101-	दिव्यांगों का कल्याण	-	-	-	5.24	5.24	5.24	
		36.33					36.33	
102-	बाल कल्याण-							
	सकल व्यय	7.99	-	13.21	-	13.21	21.20	
		5,70,56.46					5,70,56.46	
	कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
		(-)0.05					(-)0.05	
	निवल व्यय	7.99	-	13.21	-	13.21	21.20	
		5,70,56.41					5,70,56.41	
103-	महिला कल्याण	-	-	-	-	-	-	
		2,55.93					2,55.93	
104-	वृद्ध, अशक्त एवं निराश्रितों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	
		2,24.53					2,24.53	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
02- समाज कल्याण-(समाप्त)								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगम में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		7,79.81					7,79.81	
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	1,22.69	-	2,22.23	-	2,22.23	3,44.92	
		18,26.63					18,26.63	
	कुल-190	1,22.69	-	2,22.23	-	2,22.23	3,44.92	
		26,06.44					26,06.44	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप योजना	-	-	-	-	-	-	
		66.44					66.44	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		20,97.15					20,97.15	
	कुल-02	1,30.68	-	2,35.44	5.24	2,40.68	3,71.36	
		6,23,43.23					6,23,43.23	
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-							
800-	अन्य व्यय							
	चीनी-							
	सकल व्यय	35,80.06	-	-	-	-	35,80.06	
		16,27,93.53					16,27,93.53	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(जारी)							
800- अन्य व्यय-							
चीनी-							
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
	(-12,75,48.24)					(-12,75,48.24)	
निवल व्यय	35,80.06	-	-	-	-	35,80.06	
	3,52,45.29					3,52,45.29	
मिट्टी का तेल-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	85,64.23					85,64.23	
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
	(-94,74.71)					(-94,74.71)	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	(-9,10.48)					(-9,10.48)	
हार्ड कोक -							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	8,20.43					8,20.43	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
	(-7,14.31)					(-7,14.31)	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	1,06.12					1,06.12	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(समाप्त)								
800- अन्य व्यय-(समाप्त)								
अन्य व्यय-								
सकल व्यय								
		-	-	9,96.38	-	9,96.38	9,96.38	
		2,59,05.76					2,59,05.76	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
		(-)20,27.18					(-)20,27.18	
	निवल व्यय	-	-	9,96.38	-	9,96.38	9,96.38	
		2,38,78.58					2,38,78.58	
	कुल-60	35,80.06	-	9,96.38	-	9,96.38	45,76.44	
		5,83,19.51					5,83,19.51	
	कुल-4235	90,98.17	-	4,52,00.11	5.24	4,52,05.35 \$	5,43,03.52	
		27,77,64.10					27,77,64.10	
4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-								
02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-								
102- बाल कल्याण								
		-	-	-	-	-	-	
		41.57					41.57	
	800- अन्य व्यय	19,79.49	-	11,14.83	5,30.34	16,45.17	36,24.66	
		25,35.59					25,35.59	
	कुल-02	19,79.49	-	11,14.83	5,30.34	16,45.17	36,24.66	
		25,77.16					25,77.16	

\$ वेतन पर ₹ 16.53 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>80- सामान्य-</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	3,45,05.14	-	-	-	-	3,45,05.14	-
<i>कुल-80</i>	-	-	-	-	-	-	-
	3,45,05.14	-	-	-	-	3,45,05.14	-
कुल-4236	19,79.49	-	11,14.83	5,30.34	16,45.17	36,24.66	-
	3,70,82.30	-	-	-	-	3,70,82.30	-
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा	1,10,77.66	-	4,63,14.94	5,35.58	4,68,50.52	5,79,28.18	-
	31,48,46.40	-	-	-	-	31,48,46.40	-
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
	0.20	-	-	-	-	0.20	-
101- प्राकृतिक आपदाएं	-	-	-	-	-	-	-
	97,87.62	-	-	-	-	97,87.62	-
191- श्रम सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	-
	2.27	-	-	-	-	2.27	-
201- श्रम	60.72	-	1,75.38	-	1,75.38	2,36.10	-
	7,10.42	-	-	-	-	7,10.42	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ज) अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
203- रोजगार	1,01.26	-	9,10.13	-	9,10.13	10,11.39	
	2,38,58.73					2,38,58.73	
800- अन्य व्यय	4,23.42	-	5,21.84	-	5,21.84	9,45.26	
	29,01.64					29,01.64	
	कुल-4250		16,07.35		16,07.35	21,92.75	
	3,72,60.88					3,72,60.88	
कुल-(ज)-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत लेखा	5,85.40	-	16,07.35	-	16,07.35	21,92.75	
	3,72,60.88					3,72,60.88	
कुल-(ख)- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	14,92,93.21	-	18,20,25.67	6,72,31.52	24,92,57.19	39,85,50.40	
	2,90,72,38.66					2,90,72,38.66	
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-							
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
	46.05					46.05	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
	0.51					0.51	
101- खेती सहकारी समितियाँ	-	-	-	-	-	-	
	26,47.35					26,47.35	
102- खाद्यान्न फसलें	-	-	-	-	-	-	
	0.38					0.38	

§ ₹ 6.96 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
103- बीज-							
सकल व्यय	23,18.28	-	1,33.76	15.78	1,49.54	24,67.82	
	2,52,03.93					2,52,03.93	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
	(-)1,96,27.91					(-)1,96,27.91	
निवल व्यय	23,18.28	-	1,33.76	15.78	1,49.54	24,67.82	
	55,76.02					55,76.02	
104- कृषि फार्म-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	1,90,44.09					1,90,44.09	
कटौती- प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
	(-)37,32.25					(-)37,32.25	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	1,53,11.84					1,53,11.84	
105- खाद एवं उर्वरक-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	50,17.56					50,17.56	
कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
	(-)17,17.96					(-)17,17.96	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	32,99.60					32,99.60	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
107-	पौध संरक्षण- सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		1,08,35.05					1,08,35.05	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		(-37,24.66)					(-37,24.66)	
	निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		71,10.39					71,10.39	
108-	वाणिज्यिक फसलें	-	-	-	-	-	-	-
		23,40.13					23,40.13	
113-	कृषिगत अभियांत्रिकी-							
	सकल व्यय	5,55.55	-	-	25,27.41	25,27.41	30,82.96	
		45,65.64					45,65.64	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		(-1,99.88)					(-1,99.88)	
	निवल व्यय	5,55.55	-	-	25,27.41	25,27.41	30,82.96	
		43,65.76					43,65.76	
114-	तिलहन का विकास	-	-	-	-	-	-	-
		1,05.47					1,05.47	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें- सकल व्यय								
		98,69.52	-	5,43.48	1,28,73.34	1,34,16.82	2,32,86.34	
		3,43,40.91					3,43,40.91	
	कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
		(-6,14.30)					(-6,14.30)	
	निवल व्यय	98,69.52	-	5,43.48	1,28,73.34	1,34,16.82	2,32,86.34	
		3,37,26.61					3,37,26.61	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड								
		-	-	-	-	-	-	
		2,56.18					2,56.18	
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम								
		-	-	-	-	-	-	
		1,20.35					1,20.35	
(iii)- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय								
		-	-	-	-	-	-	
		19,53.86					19,53.86	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	
		23,30.39					23,30.39	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
800- अन्य व्यय-								
सकल व्यय								
		1,69,15.35	-	86,84.32	34,14.43	1,20,98.75	2,90,14.10	
		5,18,51.63					5,18,51.63	
	कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
		(-)2,15.00					(-)2,15.00	
	निवल व्यय	1,69,15.35	-	86,84.32	34,14.43	1,20,98.75	2,90,14.10	
		5,16,36.63					5,16,36.63	
कृषि उत्पादन-								
सकल व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		35,93.91					35,93.91	
	कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
		(-)3,18.72					(-)3,18.72	
	निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	
		32,75.19					32,75.19	
	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		6,28,94.10					6,28,94.10	
	कुल-800	1,69,15.35	-	86,84.32	34,14.43	1,20,98.75	2,90,14.10	
		11,78,05.92					11,78,05.92	
	911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	
		(-)26.29					(-)26.29	
	कुल-4401	2,96,58.70	-	93,61.55	1,88,30.97	2,81,92.52 \$	5,78,51.22	
		19,46,40.11					19,46,40.11	

\$ सहायिकी पर ₹ 1,25,83.90 लाख तथा सहायता अनुदान पर ₹ 10,10.58 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		32,46.43					32,46.43	
101-	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	2,95.32	-	-	95.44	95.44	3,90.76	
		13,31.16					13,31.16	
102-	मृदा संरक्षण	1,73.72	-	1,94.89	-	1,94.89	3,68.61	
		1,58,46.70					1,58,46.70	
203-	भूमि सुधार एवं विकास	-	-	0.40	-	0.40	0.40	
		4.49					4.49	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		1,86,67.22					1,86,67.22	
	कुल-4402	4,69.04	-	1,95.29	95.44	2,90.73 \$	7,59.77	
		3,90,96.00					3,90,96.00	
4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		11,71.60					11,71.60	
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य	39,10.82	-	98,42.09	30,51.75	1,28,93.84	1,68,04.66	
		2,60,74.64					2,60,74.64	
102-	मवेशी एवं भैंस विकास	-	-	-	-	-	-	
		3,60.23					3,60.23	

\$ ₹ 46.29 लाख सहायिकी पर व्यय

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4403- पशुपालन पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
103-	मुर्गी पालन विकास	-	-	-	-	-	-	-
		3,84.27					3,84.27	
104-	भेड़ एवं ऊन विकास	-	-	-	-	-	-	-
		56,35.90					56,35.90	
106-	अन्य पशुधन विकास	-	-	-	-	-	-	-
		12.52					12.52	
107-	चारा एवं खाद्य विकास	1,39.06	-	-	8.19	8.19	1,47.25	
		13,18.55					13,18.55	
109-	विस्तार एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-
		1.72					1.72	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		21,82.98					21,82.98	
	कुल-4403	40,49.88	-	98,42.09	30,59.94	1,29,02.03	1,69,51.91	
		3,71,42.41					3,71,42.41	
4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परियोजनाएं-								
102-	डेयरी विकास परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-
		4,10.85					4,10.85	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
व्यय शीर्ष-								(₹ लाख में)
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- दुग्ध आपूर्ति सहकारिताओं में अंश पूँजी								
		-	-	-	-	-	-	
		5,60.15					5,60.15	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		1,85.44					1,85.44	
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	
		(-)0.30					(-)0.30	
	कुल-4404	-	-	-	-	-	-	
		11,56.14					11,56.14	
4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		10,73.61					10,73.61	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		5.26					5.26	
101-	अंतर्देशीय मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	
		3,79.31					3,79.31	
102-	एस्टुरीन/ ब्रेकिश जलीय मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	
		4.07					4.07	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
103-	समुद्री मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	
		17.33					17.33	
105-	प्रसंस्करण संरक्षण एवं विपणन	-	-	-	-	-	-	
		19.99					19.99	
109-	विस्तारण एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	
		11.48					11.48	
191-	मछुआरों की सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	
		13.30					13.30	
800-	अन्य व्यय	6,91.48	-	8,42.26	26,27.94	34,70.20	41,61.68	
		2,07,05.20					2,07,05.20	
	कुल-4405	6,91.48	-	8,42.26	26,27.94	34,70.20	41,61.68	
		2,22,29.55					2,22,29.55	
4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- वानिकी-								
070-	संचार एवं भवन	-	-	-	-	-	-	
		6,49.06					6,49.06	
101-	वन संरक्षण विकास एवं पुनरुत्थान	-	-	-	20.69	20.69	20.69	
		49.43					49.43	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
01- वानिकी-(समाप्त)								
102-	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	-	-	-	-	-	-	-
		1,13.03					1,13.03	
105-	वन उत्पाद	-	-	-	-	-	-	-
		2,85.78					2,85.78	
800-	अन्य व्यय	15,93.96	-	1,04,57.12	11,60.84	1,16,17.96	1,32,11.92	
		6,08,12.42					6,08,12.42	
	<i>कुल-01</i>	15,93.96	-	1,04,57.12	11,81.53	1,16,38.65	1,32,32.61	
		6,19,09.72					6,19,09.72	
02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		8.10					8.10	
110-	वन्य जीवन	27.78	-	2.35	-	2.35	30.13	
		13,99.61					13,99.61	
112-	सार्वजनिक उद्यान	11,32.34	-	17,14.51	-	17,14.51	28,46.85	
		2,79,62.30					2,79,62.30	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		20,64.29					20,64.29	
	<i>कुल-02</i>	11,60.12	-	17,16.86	-	17,16.86	28,76.98	
		3,14,34.30					3,14,34.30	
	कुल-4406	27,54.08	-	1,21,73.98	11,81.53	1,33,55.51	1,61,09.59	
		9,33,44.02					9,33,44.02	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- खाद्य-								
101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-								
चावल/ धान-								
सकल व्यय								
		60,15.52	-	-	-	-	60,15.52	
		78,11,67.80					78,11,67.80	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ								
		(-)2,55.35	-	-	-	-	(-)2,55.35	
		(-)59,20,52.99					(-)59,20,52.99	
निवल व्यय								
		57,60.17	-	-	-	-	57,60.17	
		18,91,14.81					18,91,14.81	
गेहूँ/ आटा-								
सकल व्यय								
		58,02.13	-	-	-	-	58,02.13	
		29,00,63.58					29,00,63.58	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ								
		-	-	-	-	-	-	
		(-)23,77,82.28					(-)23,77,82.28	
निवल व्यय								
		58,02.13	-	-	-	-	58,02.13	
		5,22,81.30					5,22,81.30	
मक्का-								
सकल व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		13.22	-	-	-	-	13.22	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ								
		-	-	-	-	-	-	
		(-)10,34.71					(-)10,34.71	
निवल व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		(-)10,21.49					(-)10,21.49	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4408-	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
	01- खाद्य- (जारी)							
	101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-(समाप्त)							
	निदेशन एवं प्रशासन- सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		8,46,39.63					8,46,39.63	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		(-1,03,02.20)					(-1,03,02.20)	
	निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		7,43,37.43					7,43,37.43	
	अन्य व्यय- सकल व्यय	0.25	-	93,71.52	-	93,71.52	93,71.77	
		3,53,56.19					3,53,56.19	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		(-42,07.16)					(-42,07.16)	
	निवल व्यय	0.25	-	93,71.52	-	93,71.52	93,71.77	
		3,11,49.03					3,11,49.03	
	कुल-101	1,15,62.55	-	93,71.52	-	93,71.52	2,09,34.07	
		34,58,61.08					34,58,61.08	
103-	खाद्य प्रसंस्करण- सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		12,65.28					12,65.28	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		(-8,54.49)					(-8,54.49)	
	निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		4,10.79					4,10.79	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
<i>01- खाद्य-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	2,02,05.92					2,02,05.92	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
	(-)4,20,27.94					(-)4,20,27.94	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	(-)2,18,22.02					(-)2,18,22.02	
<i>कुल-01</i>	1,15,62.55	-	93,71.52	-	93,71.52	2,09,34.07	
	32,44,49.85					32,44,49.85	
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-</i>							
101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-
	76.27					76.27	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- शीत भण्डारण संयंत्र की स्थापना के लिए शेयर पूँजी निवेश	-	-	-	-	-	-	-
	37.62					37.62	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4408- संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय	16,41.92	-	3,42.17	-	3,42.17	19,84.09	
	21,85.63					21,85.63	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	
	(-0.84)					(-0.84)	
<i>कुल-02</i>	16,41.92	-	3,42.17	-	3,42.17	19,84.09	
	22,98.68					22,98.68	
कुल-4408	1,32,04.47	-	97,13.69	-	97,13.69	2,29,18.16	
	32,67,48.53					32,67,48.53	
4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-							
<i>01- फसल पैदावार</i>							
004- अनुसंधान-सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	5,09.62					5,09.62	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	
	(-18.51)					(-18.51)	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	
	4,91.11					4,91.11	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
	13.19					13.19	
<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	-	-	
	5,04.30					5,04.30	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
03- पशुपालन-								
277- शिक्षा		-	-	-	-	-	-	
		7.83					7.83	
	कुल-03	-	-	-	-	-	-	
		7.83					7.83	
04- डेयरी विकास-								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		0.90					0.90	
	कुल-04	-	-	-	-	-	-	
		0.90					0.90	
80- सामान्य-								
277- शिक्षा		17,69.45	-	14,91.72	-	14,91.72	32,61.17	
		3,30,23.41					3,30,23.41	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		71.00					71.00	
	कुल-80	17,69.45	-	14,91.72	-	14,91.72	32,61.17	
		3,30,94.41					3,30,94.41	
	कुल-4415	17,69.45	-	14,91.72	-	14,91.72	32,61.17	
		3,36,07.44					3,36,07.44	
4416- कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		0.40					0.40	
	कुल-4416	-	-	-	-	-	-	
		0.40					0.40	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		25,07.79					25,07.79	
004-	अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	-	-	-
		32.34					32.34	
106-	बहुदेशीय ग्रामीण सहकारिताओं में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		26.33					26.33	
107-	क्रेडिट सहकारिता में निवेश-							
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		82.27					82.27	
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		81.67					81.67	
(iii)-	प्राथमिक कृषि सहकारिताओं में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		81.40					81.40	
(iv)-	क्रेडिट सहकारिता में अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		1,25.55					1,25.55	
कुल-107		-	-	-	-	-	-	-
		3,70.89					3,70.89	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
108- अन्य सहकारिताओं में निवेश-								
	(i)- भण्डारण एवं विपणन सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	
		49.30					49.30	
	(ii)- प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	
		1,04.47					1,04.47	
	(iii)- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	
		4,11.32					4,11.32	
	(iv)- अन्य सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	
		43,92.94					43,92.94	
	कुल-108	-	-	-	-	-	-	
		49,58.03					49,58.03	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
	(i)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ कश्मीर में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	
		3,68.70					3,68.70	
	(ii)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ जम्मू में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	
		44.08					44.08	
	(iii)- जम्मू एवं कश्मीर सहकारी/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक	3,35.20	-	8,14.63	-	8,14.63	11,49.83	
		2,65,18.50					2,65,18.50	
	कुल-190	3,35.20	-	8,14.63	-	8,14.63	11,49.83	
		2,69,31.28					2,69,31.28	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4425- अन्य सहकारिताओं में निवेश-(समाप्त)								
200- अन्य निवेश-								
(i)- अन्य निवेश								
		-	-	-	-	-	-	-
		18,11.48					18,11.48	
	(ii)- उर्वरक विपणन के लिए मार्जिन मनी	-	-	-	-	-	-	-
		4,99.20					4,99.20	
	कुल-200	-	-	-	-	-	-	-
		23,10.68					23,10.68	
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		30,23.60					30,23.60	
	कुल-800	-	-	-	-	-	-	-
		30,23.60					30,23.60	
	कुल-4425	3,35.20	-	8,14.63	-	8,14.63	11,49.83	
		4,01,60.94					4,01,60.94	
4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-								
	101- विपणन सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-
		3,87.37					3,87.37	
	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		0.41					0.41	
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
		16.87					16.87	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	-
		4,04.65					4,04.65	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>60- अन्य-</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	2.68					2.68	
<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	-	-	-
	2.68					2.68	
कुल-4435	-	-	-	-	-	-	-
	4,07.33					4,07.33	
कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	5,29,32.30	-	4,44,35.22	2,57,95.82	7,02,31.04	12,31,63.34	
	78,85,32.87					78,85,32.87	
(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-							
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-							
101- पंचायती राज	-	-	4,29,00.00	-	4,29,00.00	4,29,00.00	
	19,04,94.77					19,04,94.77	
102- सामुदायिक विकास	69,75.97	-	43,14.10	24,88.91	68,03.01	1,37,78.98	
	7,51,17.07					7,51,17.07	
103- ग्रामीण विकास	2,86,30.59	-	-	28,42.00	28,42.00	3,14,72.59	
	22,10,61.99					22,10,61.99	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
800- अन्य व्यय	3,28,06.90	-	2,31,80.03	12,65,61.46	14,97,41.49	18,25,48.39	
	53,92,62.00					53,92,62.00	
कुल-4515	6,84,13.46	-	7,03,94.13	13,18,92.37	20,22,86.50 \$	27,06,99.96	
	1,02,59,35.83					1,02,59,35.83	
कुल- (ख)- ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा	6,84,13.46	-	7,03,94.13	13,18,92.37	20,22,86.50	27,06,99.96	
	1,02,59,35.83					1,02,59,35.83	
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-							
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-							
02- पिछड़े क्षेत्र-							
253- जिला प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
	20,12.15					20,12.15	
259- लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	
	3,00,85.25					3,00,85.25	
277- शिक्षा	-	-	-	-	-	-	
	83.10					83.10	
280- चिकित्सा	-	-	-	-	-	-	
	38.12					38.12	
282- जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल निर्माण	-	-	-	-	-	-	
	29,67.13					29,67.13	

\$ ₹ 38,51.43 लाख का व्यय सहायता अनुदान के लेखों में सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
02- पिछड़े क्षेत्र-(जारी)								
285-	सूचना एवं प्रचार	5.35	-	-	-	-	-	-
							5.35	
288-	खाद्य की उचित मूल्य की दुकानें	8,82.85	-	-	-	-	-	-
							8,82.85	
298-	सहकारिता	3,04.27	-	-	-	-	-	-
							3,04.27	
305-	कृषि	46.32	-	-	-	-	-	-
							46.32	
306-	लघु सिंचाई	15,54.96	-	-	-	-	-	-
							15,54.96	
307-	मृदा एवं जल संरक्षण	1,81.92	-	-	-	-	-	-
							1,81.92	
309-	खाद्य एवं पोषण	76.17	-	-	-	-	-	-
							76.17	
310-	पशुपालन	15.69	-	-	-	-	-	-
							15.69	
313-	वानिकी	11,37.54	-	-	-	-	-	-
							11,37.54	
314-	सामुदायिक विकास	3,30.46	-	-	-	-	-	-
							3,30.46	
321-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	22.08	-	-	-	-	-	-
							22.08	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
60- अन्य-								
800- अन्य व्यय		5,85.54	-	-	-	-	-	
						5,85.54		
	कुल-60	5,85.54	-	-	-	-	-	
						5,85.54		
	कुल-4575	36,88,81.76	-	-	-	-	-	
						36,88,81.76		
	कुल- (ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	36,88,81.76	-	-	-	-	-	
						36,88,81.76		
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-								
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	
		26,63.66	-	-	-	-	26,63.66	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	
		1,59.81	-	-	-	-	1,59.81	
601- रणबीर नहर की रिमॉडलिंग		-	-	-	-	-	-	
		1,64,56.77	-	-	-	-	1,64,56.77	
602- प्रताप नहर		-	-	-	-	-	-	
		51,42.94	-	-	-	-	51,42.94	
603- कठुआ फीडर		-	-	-	-	-	-	
		18,28.32	-	-	-	-	18,28.32	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-(समाप्त)								
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	-	-	-	-	-	-	-
		28,85.65					28,85.65	
619-	मार्तण्ड नहर	-	-	-	-	-	-	-
		17,70.62					17,70.62	
630-	दादी नहर	-	-	-	-	-	-	-
		23,95.68					23,95.68	
631-	आजी नहर	-	-	-	-	-	-	-
		16,10.55					16,10.55	
632-	जैनगीर नहर	8.75	-	-	-	-	8.75	
		7,73.54					7,73.54	
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ								
		-	-	-	-	-	-	-
		4,15,41.88					4,15,41.88	
	कुल-01	8.75	-	-	-	-	8.75	
		7,72,29.42					7,72,29.42	
02- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		34.03					34.03	
	कुल-02	-	-	-	-	-	-	-
		34.03					34.03	
04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,96.33	-	8,36.10	-	8,36.10	10,32.43	
		3,69,02.44					3,69,02.44	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>								
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	1,98.91	-	2,55.81	-	2,55.81	4,54.72	
		83,56.45					83,56.45	
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ								
		-	-	-	-	-	-	
		4,41.74					4,41.74	
	<i>कुल-04</i>	3,95.24	-	10,91.91	-	10,91.91	14,87.15	
		4,57,00.63					4,57,00.63	
<i>80- सामान्य-</i>								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		18.66					18.66	
005-	सर्वेक्षण एवं जाँच-पड़ताल	-	-	-	-	-	-	
		13.56					13.56	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		90.69					90.69	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		26,75.22					26,75.22	
	<i>कुल-80</i>	-	-	-	-	-	-	
		27,98.13					27,98.13	
कुल-4701		4,03.99	-	10,91.91	-	10,91.91	14,95.90	
		12,57,65.21					12,57,65.21	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4702- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-								
101-	सतही जल	59,88.51	-	13,10.43	24,26.40	37,36.83	97,25.34	
		17,12,28.94					17,12,28.94	
102-	भू-जल	-	-	-	-	-	-	
		17.04					17.04	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		3,48,16.62					3,48,16.62	
	कुल-4702	59,88.51	-	13,10.43	24,26.40	37,36.83	97,25.34	
		20,60,62.60					20,60,62.60	
4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय-								
602-	कमान क्षेत्र कश्मीर	1,92.98	-	8,58.80	-	8,58.80	10,51.78	
		1,75,18.79					1,75,18.79	
603-	कमान क्षेत्र जम्मू	1,85.85	-	7,99.90	-	7,99.90	9,85.75	
		87,30.87					87,30.87	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		59,56.35					59,56.35	
	कुल-4705	3,78.83	-	16,58.70	-	16,58.70	20,37.53	
		3,22,06.01					3,22,06.01	
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- बाढ़ नियंत्रण-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	
		16,20.14					16,20.14	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		15.28					15.28	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)								
103- सिविल निर्माण कार्य		73,82.90	-	65,61.26	17,23.28	82,84.54	1,56,67.44	
		16,68,31.48					16,68,31.48	
799- उचंत		-	-	-	-	-	-	
		(-)4.85					(-)4.85	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		11,17.18					11,17.18	
	कुल-01	73,82.90	-	65,61.26	17,23.28	82,84.54	1,56,67.44	
		16,95,79.23					16,95,79.23	
03- अपवाह-								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	
		16.22					16.22	
103- सिविल निर्माण कार्य		-	-	-	-	-	-	
		6.01					6.01	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		0.05					0.05	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>03- अपवाह-(समाप्त)</i>							
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
	(-)0.54					(-)0.54	
<i>कुल-03</i>	-	-	-	-	-	-	-
	21.74					21.74	
कुल-4711	73,82.90	-	65,61.26	17,23.28	82,84.54	1,56,67.44	
	16,96,00.97					16,96,00.97	
कुल-(घ) - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	1,41,54.23	-	1,06,22.31	41,49.68	1,47,71.99	2,89,26.22	
	53,36,34.79					53,36,34.79	
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-							
<i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
	4,14.58					4,14.58	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
	0.73					0.73	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i) राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
	10.00					10.00	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- जल विद्युत उत्पादन (जारी)								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)								
(ii)- बगलिहार विद्युत परियोजना में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		1,47,81.72					1,47,81.72	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	
		1,47,91.72					1,47,91.72	
799- उंचंत-								
विद्युत केन्द्रीय भण्डार प्रभाग पम्पोर श्रीनगर								
		-	-	-	-	-	-	
		(-)18.07					(-)18.07	
चेनानी जल विद्युत परियोजना								
		-	-	-	-	-	-	
		16,11.48					16,11.48	
निचली झेलम जल विद्युत परियोजना								
		-	-	-	-	-	-	
		1,86,41.55					1,86,41.55	
ग्रिड स्टेशन वानपोह								
		-	-	-	-	-	-	
		17,66.24					17,66.24	
नई सुरंग								
		-	-	-	-	-	-	
		49,41.43					49,41.43	
ऊपरी सिंध जल विद्युत परियोजना-11 (कंगन)								
		-	-	-	-	-	-	
		2,64,91.64					2,64,91.64	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
01- जल विद्युत उत्पादन-(समाप्त)								
799- उर्ध्वत-(समाप्त)								
	सूक्ष्म जल विद्युत स्टेशन कारनाह	-	-	-	-	-	-	
		26,97.24					26,97.24	
	132-ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी	-	-	-	-	-	-	
		14,76.25					14,76.25	
	ग्रिड स्टेशन पम्पोर	-	-	-	-	-	-	
		12,36.92					12,36.92	
	सेवा परियोजना बसोहली	-	-	-	-	-	-	
		1,76,19.48					1,76,19.48	
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	-	-	-	-	-	-	
		2,92,11.80					2,92,11.80	
	कुल-799	-	-	-	-	-	-	
		10,56,75.96					10,56,75.96	
800- अन्य व्यय-								
	(i)- बगलिहार जल विद्युत परियोजना को सहायता	-	-	-	-	-	-	
		2,04,63.39					2,04,63.39 (क)	
	(ii)- अन्य व्यय	3,12.94	-	1,50.00	2,00,00.00	2,01,50.00	2,04,62.94	
		9,12,46.24					9,12,46.24	
	कुल-800	3,12.94	-	1,50.00	2,00,00.00	2,01,50.00	2,04,62.94	
		11,17,09.63					11,17,09.63	
	कुल-01	3,12.94	-	1,50.00	2,00,00.00	2,01,50.00	2,04,62.94	
		23,25,92.62					23,25,92.62 (क)	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गत वर्ष वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹ 167,00.00 लाख की राशि के शेष को प्रोफार्मा कम किया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष -6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
02- ताप विद्युत उत्पादन-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	3,77.15	-	-	-	-	3,77.15	-
		-	-	-	-	-	-	-
	<i>कुल-02</i>	2,10.24	-	-	-	-	2,10.24	-
		-	-	-	-	-	-	-
04- डीजल/ गैस विद्युत उत्पादन-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
		25.70	-	-	-	-	25.70	-
648-	डीजी स्टेशन	-	-	-	-	-	-	-
		38,26.72	-	-	-	-	38,26.72	-
652-	डीजी स्टेशन कारगिल	-	-	-	-	-	-	-
		33,34.96	-	-	-	-	33,34.96	-
	उत्पादन स्टेशन श्रीनगर की अधिप्राप्ति एवं संस्थापन सहित डीजल स्टेशन श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-
		4,90,10.51	-	-	-	-	4,90,10.51	-
	निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-
		40,53.12	-	-	-	-	40,53.12	-
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है।	-	-	-	-	-	-	-
		37,93.51	-	-	-	-	37,93.51	-
	<i>कुल-04</i>	6,40,44.52	-	-	-	-	6,40,44.52	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-								
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,81,92.78	-	3,88,07.50	-	3,88,07.50	5,70,00.28	
		13,41,72.13					13,41,72.13	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		27.47					27.47	
502-	संचारण लाइन ग्लेडनी उधमपुर	-	-	-	-	-	-	
		2.56					2.56	
503-	संचारण लाइन हीरानगर बातल मनवाल	-	-	-	-	-	-	
		10,28.61					10,28.61	
507-	बिस्नाह मिरानसाहिब संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		1,15.54					1,15.54	
536-	बर्म नहर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		66.38					66.38	
537-	बर्म बिस्नाह संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		19,19.89					19,19.89	
540-	132/133 केवी गिड स्टेशन संवर्धन	-	-	-	-	-	-	
		3,23.46					3,23.46	
601-	132-केवी बादामपुरा संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		2,54,53.36					2,54,53.36	
602-	220 केवी ग्लेडनी उधमपुर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		71.26					71.26	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-(जारी)								
604-	बुरान किशनपुर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		18,09.12					18,09.12	
609-	राजौरी, पुंछ संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		16,08.45					16,08.45	
615-	रियासी-कलाकोट संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		8,96.38					8,96.38	
625-	ग्रिड स्टेशन बेमिना	-	-	-	-	-	-	
		13,04.01					13,04.01	
636-	ग्रिड स्टेशन हीरानगर	-	-	-	-	-	-	
		1,01.73					1,01.73	
637-	ग्रिड स्टेशन बुरान	-	-	-	-	-	-	
		43,61.69					43,61.69	
638-	ग्रिड स्टेशन सांबा	-	-	-	-	-	-	
		1.78					1.78	
639-	ग्रिड स्टेशन महानपुर	-	-	-	-	-	-	
		1,59.97					1,59.97	
640-	ग्रिड स्टेशन दरबा/ पुंछ	-	-	-	-	-	-	
		10,28.41					10,28.41	
641-	ग्रिड स्टेशन डोडा	-	-	-	-	-	-	
		46.00					46.00	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-(जारी)								
704-	ग्रिड स्टेशन सीओट	-	-	-	-	-	-	
		19.05					19.05	
705-	ग्रिड स्टेशन पोनी चाक	-	-	-	-	-	-	
		13,45.34					13,45.34	
719-	ग्रिड स्टेशन बर्न पर केवी लाइन बेयस	-	-	-	-	-	-	
		73.85					73.85	
720-	132 बर्न-सीओट कलाकात संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		8,26.51					8,26.51	
721-	132 केवी एस/सी ट्राबा चांडक संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		47.73					47.73	
723-	132 केवी लाइन बेयस 2. न. जी/एस चांडक	-	-	-	-	-	-	
		7.60					7.60	
724-	220/132 केवी जी/एस बिस्नाह	-	-	-	-	-	-	
		1,77.31					1,77.31	
725-	132 केवी डी/सी लिलो मुख्य रिंग से पानी पाउनी चक ग्रिड स्टेशन तक	-	-	-	-	-	-	
		29.99					29.99	
727-	डी/सी बर्न बिस्नाह हीरानगर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	
		1,90.08					1,90.08	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-(समाप्त)								
728-	132 केवी 2 न. लाइन बेयस ट्राबा	-	-	-	-	-	-	
		6.76					6.76	
729-	132/33 केवीजी/ बटाल मनवाल ग्रिड स्टेशन	-	-	-	-	-	-	
		11,32.98					11,32.98	
730-	132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरियाँ कलीथ अखनूर	-	-	-	-	-	-	
		11,88.84					11,88.84	
731-	22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर	-	-	-	-	-	-	
		2,85.35					2,85.35	
750-	120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी	-	-	-	-	-	-	
		29.76					29.76	
799-	उचंत	-	-	-	-	-	-	
		(-)-35.18					(-)-35.18	
800-	अन्य व्यय	15.00	-	-	-	-	15.00	
		64,46,83.39					64,46,83.39	
	अन्य निर्माण कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	-	-	-	-	-	-	
		8,23,84.21					8,23,84.21	
	निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	
		12,09,24.05					12,09,24.05	
	कुल-05	1,82,07.78	-	3,88,07.50	-	3,88,07.50	5,70,15.28	
		1,09,29,19.31					1,09,29,19.31	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-								
001- निदेशन एवं प्रशासन								
		-	-	-	-	-	-	
		1,08,07.43					1,08,07.43	
	052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	
		18.77					18.77	
	799- उचंत	-	-	-	-	-	-	
		0.67					0.67	
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		95.77					95.77	
	अन्य कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है।	-	-	-	-	-	-	
		16,65.63					16,65.63	
	निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	
		11,62.91					11,62.91	
		-	-	-	-	-	-	
		1,37,51.18					1,37,51.18	
कुल-06								
80- सामान्य-								
	004- अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-	
		0.13					0.13	
	799- उचंत	-	-	-	-	-	-	
		6.73					6.73	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-(समाप्त)								
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	-
		1,73,80.09					1,73,80.09	
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
		(-) 1.99					(-) 1.99	
	<i>कुल-80</i>	-	-	-	-	-	-	-
		1,73,84.96					1,73,84.96	
	कुल-4801	1,85,20.72	-	3,89,57.50	2,00,00.00	5,89,57.50	7,74,78.22	
		1,42,12,79.98					1,42,12,79.98 (क)	
	कुल-(ङ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	1,85,20.72	-	3,89,57.50	2,00,00.00	5,89,57.50	7,74,78.22	
		1,42,12,79.98					1,42,12,79.98 (क)	
(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा								
4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय								
001- निदेशन एवं प्रशासन								
		-	-	-	-	-	-	-
		1,95.70					1,95.70	
101-	औद्योगिक संपदा	-	-	-	-	-	-	-
		7,34,55.39					7,34,55.39	
102-	लघु उद्योग	49,58.51	-	93,76.56	-	93,76.56	1,43,35.07	
		4,19,69.19					4,19,69.19	
103-	हथकरघा उद्योग	7,63.58	-	12,28.76	-	12,28.76	19,92.34	
		96,23.50					96,23.50	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च, 2013 ₹ 16700.00 लाख की राशि के शेष का प्रोफॉर्म कर्म कर दिया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष -6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4851- ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
104-	हस्तकला उद्योग	51,46.09	-	11,93.19	-	11,93.19	63,39.28	
		1,68,40.01					1,68,40.01	
105-	खादी एवं ग्रामोद्योग	8,86.19	-	22,58.88	-	22,58.88	31,45.07	
		44,95.08					44,95.08	
107-	रेशम उत्पादन उद्योग	3,23.92	-	4,26.43	-	4,26.43	7,50.35	
		1,01,88.08					1,01,88.08	
108-	पावरलूम उद्योग	-	-	-	-	-	-	
		14.41					14.41	
109-	समग्र ग्राम और लघु उद्योग सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	
		6.20					6.20	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश							
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एसएण्डई) निगम के पूँजीगत शेयर में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		16,16.60					16,16.60	
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		13,29.75					13,29.75	
(iii)-	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		16,29.33					16,29.33	
(iv)-	औद्योगिक क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	
		63.03					63.03	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)							
(v)-	हथकरघा क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		15,38.93					15,38.93	
(vi)-	हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		18.50					18.50	
(vii)-	एसआईडीसीओ में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		30,08.50					30,08.50	
(viii)-	एसआसीओपी में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		1,25.00					1,25.00	
(ix)-	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-
		45.00					45.00	
(x)-	बाजार विकास सहायता	-	-	-	-	-	-	-
		21,66.16					21,66.16	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
		1,15,40.80					1,15,40.80	
200-	अन्य ग्राम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
		4.84					4.84	
800-	अन्य व्यय	15,12.49	-	11,30.00	-	11,30.00	26,42.49	
		1,35,29.42					1,35,29.42	
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
		(-)3.13					(-)3.13	
	कुल-4851	1,35,90.78	-	1,56,13.82	-	1,56,13.82	2,92,04.60	
		18,18,59.49					18,18,59.49	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- खनन-								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		3,68.97					3,68.97	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	
		3,68.97					3,68.97	
02- विनिर्माण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- एसआईसीओपी		96.00	-	2,00.00	-	2,00.00	2,96.00	
		-					-	
(ii)- एसआईडीसीओ		1,72.50	-	3,40.00	-	3,40.00	5,12.50	
		7,12.50					7,12.50	
	कुल-190	2,68.50	-	5,40.00	-	5,40.00	8,08.50	
		7,12.50					7,12.50	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		1,98,42.77					1,98,42.77	
	कुल-02	2,68.50	-	5,40.00	-	5,40.00	8,08.50	
		2,05,55.27					2,05,55.27	
	कुल-4852	2,68.50	-	5,40.00	-	5,40.00	8,08.50	
		2,09,24.24					2,09,24.24	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4853- अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- खनिज उत्खनन और विकास-								
004-	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-	-
		81.73					81.73	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)-	भू-विज्ञान एवं खनन	-	-	81.50	-	81.50	81.50	
		17,46.16					17,46.16	
(ii)-	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	2,00.00	-	1,40.00	-	1,40.00	3,40.00	
		2,74.78					2,74.78	
(iii)-	जेएण्डके सीमेन्ट	-	-	-	-	-	-	
		5,01.08					5,01.08	
	कुल-190	2,00.00	-	2,21.50	-	2,21.50	4,21.50	
		25,22.02					25,22.02	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		51,39.85					51,39.85	
	कुल-01	-	-	2,21.50	-	2,21.50	4,21.50	
		77,43.60					77,43.60	
60-	सामान्य-							
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		25.95					25.95	
	कुल-60	-	-	-	-	-	-	
		25.95					25.95	
	कुल-4853	2,00.00	-	2,21.50	-	2,21.50	4,21.50	
		77,69.55					77,69.55	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा (जारी)								
4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज लिमिटेड पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- सीमेन्ट-								
004- अनुसंधान एवं विकास								
		-	-	-	-	-	-	
		24.06					24.06	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	
		24.06					24.06	
	कुल-4854	-	-	-	-	-	-	
		24.06					24.06	
4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-								
60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- तवी स्कर्ट्स लिमिटेड में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		10.00					10.00	
(ii)- अन्य उद्योग								
		-	-	-	-	-	-	
		1,15.23					1,15.23	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	
		1,25.23					1,25.23	
	कुल-60	-	-	-	-	-	-	
		1,25.23					1,25.23	
	कुल-4858	-	-	-	-	-	-	
		1,25.23					1,25.23	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-								
<i>01- वस्त्र-</i>								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		1,39.40					1,39.40	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	-	-	
		1,39.40					1,39.40	
<i>05- कागज एवं समाचार पत्र मुद्रण-</i>								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		1.52					1.52	
	<i>कुल-05</i>	-	-	-	-	-	-	
		1.52					1.52	
<i>60- अन्य उद्योग-</i>								
600- अन्य- सीमेन्ट		-	-	-	-	-	-	
		15,36.17					15,36.17	
मिट्टी के पात्र		-	-	-	-	-	-	
		28.36					28.36	
ऊन		-	-	-	-	-	-	
		1,59.92					1,59.92	
माचिस कारखाना/ औषधीय		-	-	-	-	-	-	
		4.00					4.00	
जोड़नरी मिल		-	-	-	-	-	-	
		60.00					60.00	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
60- अन्य उद्योग-(समाप्त)								
600- अन्य-(समाप्त)								
जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	-
		9,45.49	-	-	-	-	9,45.49	-
		-	-	-	-	-	-	-
		2,58.91	-	-	-	-	2,58.91	-
	कुल-60	-	-	-	-	-	-	-
		29,92.85	-	-	-	-	29,92.85	-
	कुल-4860	-	-	-	-	-	-	-
		31,33.77	-	-	-	-	31,33.77	-
4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-								
60- अन्य उद्योग-								
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	-
		6.01	-	-	-	-	6.01	-
	कुल-60	-	-	-	-	-	-	-
		6.01	-	-	-	-	6.01	-
	कुल-4875	-	-	-	-	-	-	-
		6.01	-	-	-	-	6.01	-
4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-								
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	-
		30,76.54	-	-	-	-	30,76.54	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-(समाप्त)</i>								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)								
	(ii)- जेएण्डके वित्तीय निगम लिमिटेड में शेयर पूँजीगत हिस्सेदारी	-	-	-	-	-	-	
		40.66					40.66	
	(iii)- जेएण्डके लघु पैमाना औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	
		3,47.50					3,47.50	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	
		34,64.70					34,64.70	
200- अन्य निवेश-								
	(i)- निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता	-	-	-	-	-	-	
		17.27					17.27	
	(ii)- ब्रिकेटिंग संयंत्र	-	-	-	-	-	-	
		14.59					14.59	
	(iii)- भवन उद्योग	-	-	-	-	-	-	
		1,92.05					1,92.05	
	कुल-200	-	-	-	-	-	-	
		2,23.91					2,23.91	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	
		36,88.61					36,88.61	
<i>60- अन्य-</i>								
800- अन्य व्यय-								
	(i)- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	-	-	-	-	-	-	
		4,43.66					4,43.66	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
<i>60- अन्य-(समाप्त)</i>								
800- अन्य व्यय-(समाप्त)								
(ii)- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		1,40.64	-	-	-	1,40.64	-	
	कुल-800	-	-	-	-	-	-	
		5,84.30	-	-	-	5,84.30	-	
	<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	-	-	
		5,84.30	-	-	-	5,84.30	-	
	कुल-4885	-	-	-	-	-	-	
		42,72.91	-	-	-	42,72.91	-	
	कुल-(च)- उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा	1,40,59.28	-	1,63,75.32	-	1,63,75.32	3,04,34.60	
		21,81,15.26	-	-	-	21,81,15.26	-	
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-								
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-								
<i>01- राष्ट्रीय राजमार्ग-</i>								
052- मशीनरी एवं उपकरण								
		-	-	-	-	-	-	
		24.25	-	-	-	24.25	-	
	101- स्थायी पुल	-	-	-	-	-	-	
		1,82.39	-	-	-	1,82.39	-	
	337- सड़क निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	
		50,31.67	-	-	-	50,31.67	-	
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		12,64.44	-	-	-	12,64.44	-	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	-	-	
		65,02.75	-	-	-	65,02.75	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा (जारी)								
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
<i>02- सामरिक एवं सीमावर्ती सड़कें-</i>								
101- पुल		-	-	-	-	-	-	
		10.31					10.31	
337- सड़क निर्माण कार्य		-	-	-	-	-	-	
		8,87.07					8,87.07	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
		37.53					37.53	
	<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	-	-	
		9,34.91					9,34.91	
<i>03- राज्य राजमार्ग-</i>								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	
		1,60.87					1,60.87	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	
		3,18.84					3,18.84	
101- पुल		4,33,29.88	-	5,17,26.25	15,79,22.12	20,96,48.37	25,29,78.25	
		93,24,06.92					93,24,06.92	
337- सड़क निर्माण कार्य		-	-	-	-	-	-	
		2,29,19.40					2,29,19.40	
794- जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	-	-	-	
		2,41.82					2,41.82	
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		-	-	-	-	-	-	
		63.57					63.57	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
<i>03- राज्य राजमार्ग-(समाप्त)</i>							
799- उचंत	-	-	-	-	-	-	-
	4.60					4.60	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	17,82,61.01					17,82,61.01	
	कुल-03		5,17,26.25	15,79,22.12	20,96,48.37	25,29,78.25	
	1,13,43,77.03					1,13,43,77.03	
<i>04- जिला एवं अन्य सड़कें-</i>							
101- पुल	-	-	-	-	-	-	-
	32,90.34					32,90.34	
337- सड़क निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	-
	2,41,25.47					2,41,25.47	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	15,30,36.51					15,30,36.51	
	कुल-04						
	18,04,52.32					18,04,52.32	
<i>05- सड़कें-</i>							
101- पुल	-	-	-	-	-	-	-
	11,73.87					11,73.87	
337- सड़क निर्माण कार्य	1,93,17.95	-	4,74,00.44	-	4,74,00.44	6,67,18.39	
	12,69,73.32					12,69,73.32	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
<i>05- सड़कें-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	3,05.72					3,05.72	
<i>कुल-03</i>	1,93,17.95	-	4,74,00.44		4,74,00.44	6,67,18.39	
	12,84,52.91					12,84,52.91	
80- सामान्य-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
	2,50.86					2,50.86	
004- अनुसंधान	-	-	-	-	-	-	-
	0.38					0.38	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
	60.14					60.14	
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	-	-	-	-
	90.78					90.78	
797- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-
	3,99,59.00					3,99,59.00	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
	50,21.25					50,21.25	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
80- सामान्य-(समाप्त)								
902- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी राशि की कटौती		(-)24,17.66	-	(-)23,63.45	(-)3,72.50	(-)27,35.95 (क)	(-)51,53.61 (ख)	
		(-)12,52,83.82					(-)12,52,83.82	
	कुल-80	(-)24,17.66	-	(-)23,63.45	(-)3,72.50	(-)27,35.95	(-)51,53.61	
		(-)7,99,01.41					(-)7,99,01.41	
	कुल-5054	6,02,30.17	-	9,67,63.24	15,75,49.62	25,43,12.86	31,45,43.03	
		1,37,08,18.51					1,37,08,18.51	
5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-								
050- भूमि एवं भवन		-	-	-	-	-	-	
		5,51.68					5,51.68	
102- बेड़े का अधिग्रहण		-	-	1,75.00	-	1,75.00	1,75.00	
		17,27.37					17,27.37	
103- कार्यशाला सुविधाएं		-	-	-	-	-	-	
		1,58.26					1,58.26	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश		57,51.33	-	81,27.00	-	81,27.00	1,38,78.33	
		1,68,80.44					1,68,80.44	
800- अन्य व्यय		53.60	-	1,71.14	-	1,71.14	2,24.74	
		70,07.27					70,07.27	
	कुल-5055	58,04.93	-	84,73.14	-	84,73.14 (ग)	1,42,78.07	
		2,63,25.02					2,63,25.02	

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से एमएच-8449-103 संसहायिकी को हस्तांतरित राशि दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या-21 में एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी ग और लेखाओं पर टिप्पणियों के खण्ड-I अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ख) 30-10-2019 से 31-03-2021 तक।

(ग) सहायिकी पर ₹ 1,75.00 लाख के व्यय को सम्मिलित करता है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-								
104- नौ परिवहन-								
तुलबुल नौ परिवहन लॉक								
		-	-	-	-	-	-	
		27,74.37					27,74.37	
	कुल-5056	-	-	-	-	-	-	
		27,74.37					27,74.37	
	कुल-(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	6,60,35.10	-	10,52,36.39	15,75,49.62	26,27,86.01	32,88,21.11	
		1,39,99,17.90					1,39,99,17.90	
(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-								
5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-								
101- अन्य संचार सुविधाएं								
		-	-	-	-	-	-	
		0.40					0.40	
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		1.69					1.69	
	कुल-5275	-	-	-	-	-	-	
		2.09					2.09	
	कुल-(ज)- संचार का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-	
		2.09					2.09	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-								
5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-								
208-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,20.83	-	98.89	-	98.89	2,19.72	
		23,89.33					23,89.33	
800-	अन्य व्यय	1,57.40	-	23,24.23	-	23,24.23	24,81.63	
		1,35,44.26					1,35,44.26	
	कुल-5425	2,78.23	-	24,23.12	-	24,23.12	27,01.35	
		1,59,33.59					1,59,33.59	
	कुल-(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	2,78.23	-	24,23.12	-	24,23.12	27,01.35	
		1,59,33.59					1,59,33.59	
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-								
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- पर्यटक अवसंरचना-								
101-	पर्यटक केन्द्र	-	-	-	-	-	-	
		22,69.53					22,69.53	
102-	पर्यटक आवास	-	-	-	-	-	-	
		1,30,73.01					1,30,73.01	
103-	पर्यटक परिवहन	-	-	-	-	-	-	
		1.99					1.99	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	
		44,58.10					44,58.10	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	
		1,98,02.63					1,98,02.63	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
<i>80- सामान्य-</i>								
104-	प्रोत्साहन एवं प्रचार	-	-	-	-	-	-	-
		41,85.42					41,85.42	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	-	-	-	-	-	-	-
		21,12.79					21,12.79	
(ii)-	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	-	-	-	-	-	-	-
		8,39.52					8,39.52	
(iii)-	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटोट	-	-	-	-	-	-	-
		7.00					7.00	
(iv)-	केबल कार निगम	-	-	-	-	-	-	-
		10,28.25					10,28.25	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
		39,87.56					39,87.56	
800-	अन्य व्यय	1,03,37.44	-	76,57.35	-	76,57.35	1,79,94.79	
		20,05,02.13					20,05,02.13	
	कुल-80	1,03,37.44	-	76,57.35	-	76,57.35	1,79,94.79	
		20,86,75.11					20,86,75.11	
	कुल-5452	1,03,37.44	-	76,57.35	-	76,57.35	1,79,94.79	
		22,84,77.74					22,84,77.74	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-								
01- सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंकों, उपक्रमों आदि में निवेश-								
(i)- जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		5,55,31.35					5,55,31.35	
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		44,83.64					44,83.64	
(iii)- कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		2,15.79					2,15.79	
(iv)- जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		1,25.96					1,25.96	
(v)- अन्य निवेश								
		-	-	-	-	-	-	
		3,87.60					3,87.60	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	
		6,07,44.34					6,07,44.34 (ख)	
800- अन्य व्यय								
		-	-	-	-	-	-	
		74.90					74.90	
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	
		6,08,19.24					6,08,19.24	
	कुल-5465	-	-	-	-	-	-	
		6,08,19.24					6,08,19.24	

(ख) प्रोफॉर्म समयोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 28,09.50 लाख की राशि को कम किया गया।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-								
	101- उच्चतम भूमि सीमा (कृषि भूमि के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-
		1,16.64					1,16.64	
	102- नागरिक आपूर्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-
		27.80					27.80	
	103- कृषि भूमि हेतु उच्चतम भूमि-सीमा	-	-	-	-	-	-	-
		64.28					64.28	
	112- सांख्यिकी	38.70	-	19.90	-	19.90	58.60	
		34.92					34.92	
	115- अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता	-	-	98,45.38	-	98,45.38	98,45.38	
		1,00.00					1,00.00	
	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों में निवेश-							
	(i)- जेएण्डके कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		1,71.00					1,71.00	
	(ii)- जेएण्डके ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
		94.00					94.00	
	(iii)- इलाकाई देहाती बैंक	-	-	-	-	-	-	-
		4,83.00					4,83.00	
	कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
		7,48.00					7,48.00	
	202- भूमि धारकों को क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-
		5.77					5.77	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
व्यय शीर्ष- पूँजीगत लेखा (समाप्त)- ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) 800- अन्य व्यय	7,48,00.32 54,85,26.24	-	7,23,76.12	24,26.38	7,48,02.50	14,96,02.82 54,85,26.24	
कुल-5475	7,48,39.02 54,96,23.65	-	8,22,41.40	24,26.38	8,46,67.78	15,95,06.80 54,96,23.65	
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	8,51,76.46 83,89,20.63	-	8,98,98.75	24,26.38	9,23,25.13	17,75,01.59 83,89,20.63	
कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	31,95,69.78 6,61,11,54.70	-	37,83,42.74	34,18,13.87	72,01,56.61	1,03,97,26.39 6,61,11,54.70	
कुल पूँजीगत लेखा	54,22,19.64 10,30,00,75.44	-	61,76,12.80	42,94,24.76	1,04,70,37.56	1,58,92,57.20 10,30,00,75.44 (ग)	
वेतन सहायिकी सहायता अनुदान			16.53 1,84.99 -	- 1,26,20.21 61,59.02	16.53 1,28,05.20 61,59.02		

(ग) प्रोफॉर्मा समायोजन द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 लाख की राशि को कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 4801 एवं 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का अवलोकन करें। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष-6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(इ) लोक ऋण-								
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-								
101- बाजार ऋण (क)	34,15,92.00	-	93,28,00.00	33,08,70.04	94,35,21.96			31,75,61.14
	3,42,90,80.04				3,42,90,80.04			
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)26,64.69	-	-	1,42,99.01	(-)1,69,63.70			98,19.70
	11,48,71.40				11,48,71.40			
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	(-)34.64	-	-	34.64	(-)69.28			9.31
	99.24				99.24			
105- कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण	1,09,64.14	-	3,19,06.84	3,04,84.85	1,23,86.13			1,00,57.32
	19,51,22.49				19,51,22.49			
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र								
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-			
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	-	-	-	-	-			2,84,12.20
	35,37,55.00				35,37,55.00			
कुल-106	-	-	-	-	-			2,84,12.20
	35,37,55.00				35,37,55.00			
109- अन्य संस्थानों से ऋण (क)	(-)20,14.40		2,89.14	28,52.75	(-)45,78.01			2,09,67.79
	4,37,37.40				4,37,37.40			

(क) कृपया ध्यान दें इस विवरण के अनुलग्नक का अवलोकन करें।

* वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखों के कारण पूरे विवरण संख्या 17 में वृद्धि/कमी लागू नहीं।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
(ड) लोक ऋण-(जारी)								
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(समाप्त)								
110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-								
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	1,87,89.00	-	2,40,07,22.00	2,34,79,22.00	7,15,89.00			34,87.14
	6,92,11.00				6,92,11.00			
(ii)- ओवरड्राफ्ट	1,07,29.23	-	67,93,05.69	58,31,69.98	10,68,64.94			5,25.96
	-				-			
कुल-110	2,95,18.23	-	3,08,00,27.69	2,93,10,91.98	17,84,53.94			40,13.10
	6,92,11.00				6,92,11.00			
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ								
	(-)2,16,66.03	-	-	3,48,64.50	(-)5,65,30.53			3,09,89.40
	33,70,32.49				33,70,32.49			
कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	35,56,94.61	-	4,04,50,23.67	3,34,44,97.77	1,05,62,20.51			42,18,29.96
	4,54,29,09.06				4,54,29,09.06			
6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-								
01- गैर-नियोजित ऋण-								
अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भवन								
201- निर्माण अग्रिम	-	-	-	-	-			-
	1,07.59				1,07.59			
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-			-
	95,20.92				95,20.92			
कुल-01	-	-	-	-	-			-
	96,28.51				96,28.51			

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(रु लाख में)								
(ड) लोक ऋण-(जारी)								
6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
02- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु ऋण-								
101- ब्लॉक ऋण	(-)13,95.19	-	-	28,30.87	(-)42,26.06			20,56.21
	4,48,74.58				4,48,74.58			
105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण	(-)44,51.63	-	-	89,03.27	(-)1,33,54.90			40,06.47
	6,06,28.34				6,06,28.34			
	<i>कुल-02</i> (-)58,46.82	-	-	1,17,34.14	(-)1,75,80.96			60,62.68
	10,55,02.92				10,55,02.92			
06- अर्थोपाय अग्रिम-								
800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम-								
बाढ़ राहत हेतु अग्रिम	9,24.54	-	-	-	9,24.54			-
	9,24.54	-	-	-	9,24.54			-
07- 1984-85 से पूर्व ऋण								
101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन	3,35.37	-	-	-	3,35.37			-
102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	15.46	-	-	-	15.46			-
105- लघु बचत ऋण	4,48.57	-	-	-	4,48.57			-

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)								
ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(रू लाख में)								
(ड) लोक ऋण-(जारी)								
6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)								
07- 1984-85 से पूर्व ऋण-(समाप्त)								
107- 25 वर्ष और 30 वर्षीय ऋणों में पुनः समेकित 1979-80 से पूर्व समेकित ऋण अन्य समेकित ऋण								
	28,29.21	-	-	-	28,29.21			-
109- स्वर्णकारों का पुनर्वास	20.43	-	-	-	20.43			-
800- अन्य ऋण								
(i) समेकित ऋण 1984-85	1,29.92	-	-	-	1,29.92			-
	<u>कुल-07</u> 37,78.96	-	-	-	37,78.96			-
09- विधायी योजनाओं सहित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण								
101- ब्लॉक ऋण								
बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता								
	(-)44.42	-	10,69.50	1,00.02	9,25.06			3,44.97
	38,77.47				38,77.47			
बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता								
	-	-	1,72,20.00	-	1,72,20.00			-
जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में राज्य को एक के बाद एक ऋण								
	-	-	20,99,80.00	-	20,99,80.00			-
	<u>कुल-09</u> (-)44.42	-	22,82,69.50	1,00.02	22,81,25.06			3,44.97
	38,77.47				38,77.47			
कुल-6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम								
	(-)58,91.24	-	22,82,69.50	1,18,34.16	21,05,44.10			64,07.65
	12,37,12.40				12,37,12.40			
कुल-ड- लोक ऋण								
	34,98,03.37	-	4,27,32,93.17	3,35,63,31.93	1,26,67,64.61 (ख)			42,82,37.61
	4,66,66,21.46				4,66,66,21.46 (ख)			

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/ ऋण देने वाले संस्थानों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त आयोग (अगस्त 2021) के साथ आकड़े मिलानाधीन हैं।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
अन्य देयताएँ- (क)								
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-								
(ख) भविष्य निधियाँ-								
8009- राज्य भविष्य निधियाँ	9,93,04.22	-	56,20,76.91	45,54,70.59	20,59,10.54			18,45,07.99
	2,61,55,86.49				2,61,55,86.49			
कुल-(ख)- भविष्य निधियाँ	9,93,04.22	-	56,20,76.91	45,54,70.59	20,59,10.54			18,45,07.99
	2,61,55,86.49				2,61,55,86.49			
(ग) अन्य लेखे-								
8011- बीमा एवं पेन्शन निधि	48,75.60	-	3,47,51.68	2,69,41.16	1,26,86.12			65,72.74
	10,05,75.13				10,05,75.13			
कुल-(ग)- अन्य लेखे	48,75.60	-	3,47,51.68	2,69,41.16	1,26,86.12			65,72.74
	10,05,75.13				10,05,75.13			
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधि	10,41,79.82	-	59,68,28.59	48,24,11.75	21,85,96.66			19,10,80.73
	2,71,61,61.62				2,71,61,61.62			
ञ- आरक्षित निधियाँ-								
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-								
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	2,31,46.93	-	7,13,77.02	1,64,34.73	7,80,89.22			43,89.03
	12,60,62.05				12,60,62.05			
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	2,31,46.93	-	7,13,77.02	1,64,34.73	7,80,89.22			43,89.03
	12,60,62.05				12,60,62.05			
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-								
8222- ऋण शोधन निधियाँ	-	-	55,63.00	-	55,63.00			-
	3,55,86.76				3,55,86.76			
8223- अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-			-
	8,66.96				8,66.96			

(क) कृपया ब्यारे हेतु विवरण सख्या 21 का अवलोकन करें।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
अन्य देयताएं-(जारी)								
ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)								
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-								
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास /नवीनीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,46,65.33				6,46,65.33			
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	(-)50,88.29	-	2,63.73	42,13.82	(-)90,38.38			-
	3,43,84.93				3,43,84.93			
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	6,36.19	-	18,63.58	-	24,99.77			-
	1,78,90.93				1,78,90.93			
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	(-)44,52.10	-	76,90.31	42,13.82	(-)9,75.61			-
	15,33,94.91				15,33,94.91			
कुल-ज-आरक्षित निधियाँ	1,86,94.83	-	7,90,67.33	2,06,48.55	7,71,13.61			43,89.03
	27,94,56.96				27,94,56.96			
ट- जमाएं एवं अग्रिम-								
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-								
8336- नागरिक जमाएं	2,95,06.46	-	1,80,19.18	-	4,75,25.64			-
	-				-			
8342- अन्य जमाएं	17,29.53	-	10,37,65.63	10,55,47.32	(-)52.16			-
	53,67.44				53,67.44			
कुल-(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं	3,12,35.99	-	12,17,84.81	10,55,47.32	4,74,73.48			-
	53,67.44				53,67.44			

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(समाप्त)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2021	वर्ष 2020-21* के दौरान	भुगतान ब्याज
	तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वृद्धि	उन्मोचन	को शेष राशि	निवल वृद्धि(+)/कमी(-) राशि प्रतिशत	(₹ लाख में)
अन्य देयताएं-(समाप्त)							
ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)							
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-							
8443- नागरिक जमा	4,41,91.85	-	14,24,22.31	11,74,18.73	6,91,95.43		-
	52,68,76.70				52,68,76.70		
8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	(-)6,05.78	-	7,05,53.25	5,88,31.30	1,11,16.17		-
	10,18,16.64				10,18,16.64		
8449- अन्य जमाएं	25,35.24	-	79,68.27	27,35.95	77,67.56		-
	5,73,62.51				5,73,62.51		
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	4,61,21.31	-	22,09,43.83	17,89,85.98	8,80,79.16		-
	68,60,55.85				68,60,55.85		
कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम	7,73,57.30	-	34,27,28.64	28,45,33.30	13,55,52.64		-
	69,14,23.29				69,14,23.29		
कुल- अन्य देयताएं	20,02,31.95	-	1,01,86,24.56	78,75,93.60	43,12,62.91		19,54,69.76
	3,68,70,41.87				3,68,70,41.87		
कुल-लोक ऋण एवं अन्य देयताएं	55,00,35.32	-	5,29,19,17.73	4,14,39,25.53	1,69,80,27.52 (क)		62,37,07.37 (ख)
	8,35,36,63.33				8,35,36,63.33 (क)		

(क) ऑफ़े राज्य सरकार के साथ मिलानाधीन हैं (अगस्त 2021)।

(ख) ऋण प्रबंधन (₹ 8,94.98 लाख), अस्थायी प्रभारों (₹ 1,32.61 लाख) तथा अन्य दायित्वों (₹ 1,25,10.76 लाख) पर प्रदत्त ब्याज को सम्मिलित नहीं करता है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मु एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक		जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि
	शेष राशि	शेष राशि				
(₹ लाख में)						
(ड) लोक ऋण-						
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)						
101- बाजार ऋण-						
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-						
8.61% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,00,00.00	-	-	-	7,00,00.00
8.83% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
9.06% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.33% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	1,75,00.00	-	-	-	1,75,00.00
8.89% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.00% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2022	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
9.01% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
9.49% जम्मु एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	12,00,00.00	-	-	-	12,00,00.00
7.60% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
7.83% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.27% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
8.66% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.74% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,50,00.00	-	-	-	5,50,00.00
8.80% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.38% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.89% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.96% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.99% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
9.18% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
9.25% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
9.40% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
9.46% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	1,80,00.00	-	-	-	1,80,00.00
8.06% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
8.03% जम्मु एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को
	शेष राशि	शासित क्षेत्र को आंबटित राशि			शेष राशि
					(₹ लाख में)
(ड) लोक ऋण-(जारी)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
8.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	4,50,00.00	-	-	-	4,50,00.00
8.63% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,50,00.00	-	-	-	3,50,00.00
6.97% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,45,00.00	-	-	-	3,45,00.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	55,00.00	-	-	-	55,00.00
7.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.69% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.50% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,90,00.00	-	-	-	3,90,00.00
8.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को
	शेष राशि	शासित क्षेत्र को आंबटित राशि			शेष राशि
					(₹ लाख में)
(ड) लोक ऋण-(जारी)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.52% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	7,00,00.00	-	-	-	7,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,75,40.00	-	-	-	4,75,40.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.86% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,24,60.00	-	-	-	3,24,60.00
8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,84,00.00	-	-	-	5,84,00.00
8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	2,49,00.00	-	-	-	2,49,00.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.22% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,34,00.00	-	-	-	3,34,00.00
7.19% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
(ड) लोक ऋण-(जारी)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(समाप्त)					
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,09,00.00	-	-	-	3,09,00.00
7.30% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.07% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	6,03,00.00	-	-	-	6,03,00.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.95% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	10,74,00.00	-	-	-	10,74,00.00
6.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	8,00,00.00	-	8,00,00.00
6.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	8,00,00.00	-	8,00,00.00
6.62% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	4,00,00.00	-	4,00,00.00
6.65% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	5,00,00.00	-	5,00,00.00
6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	4,00,00.00	-	4,00,00.00
6.79% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	-	-	8,00,00.00	-	8,00,00.00
6.84% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031	-	-	2,01,00.00	-	2,01,00.00
6.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031	-	-	7,00,00.00	-	7,00,00.00
6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032	-	-	10,05,00.00	-	10,05,00.00
7.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032	-	-	5,00,00.00	-	5,00,00.00
6.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035	-	-	6,00,00.00	-	6,00,00.00
6.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035	-	-	10,05,00.00	-	10,05,00.00
6.64% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	5,00,00.00	-	5,00,00.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	6,17,00.00	-	6,17,00.00
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाले ऋण	34,15,92.00	-	93,28,00.00	-	1,27,43,92.00
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाले ऋण	3,24,82,08.00	-	-	-	3,24,82,08.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
(ड) लोक ऋण-(जारी)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण-					
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999	22.04	-	-	22.04 \$	-
11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002	1.00	-	-	-	1.00
14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005	1.00	-	-	-	1.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00	-
8.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	29,38.00	-	-	29,38.00	-
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00	-
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00	-
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	4,79,10.00	-	-	4,79,10.00	-
8.48% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	5,50,00.00	-	-	5,50,00.00	-
8.55% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	7,50,00.00	-	-	7,50,00.00	-
कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण	-	-	-	33,08,70.04	(-)33,08,70.04
	24.04	-	-		24.04
कुल-101- बाजार ऋण	34,15,92.00	-	93,28,00.00	33,08,70.04	94,35,21.96
	3,42,90,80.04				3,42,90,80.04
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)26,64.69	-	-	1,42,99.01	(-)1,69,63.70
	11,48,71.40				11,48,71.40
104- सामान्य भारतीय बीमा निगम से ऋण	(-)34.64	-	-	34.64	(-)69.28
	99.24				99.24

§ वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई द्वारा बड़े खाते झाली गयी राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
ई- लोक ऋण-(समाप्त)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त)					
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,09,64.14	-	3,19,06.84	3,04,84.85	1,23,86.13
	19,51,22.49				19,51,22.49
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-					
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	-	-	-	-	-
	35,37,55.00				35,37,55.00
कुल-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	-	-	-	-	-
	35,37,55.00				35,37,55.00
109- अन्य संस्थानों से ऋण-					
(i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	(-)19,98.40	-	2,89.14	28,36.75	(-)45,46.01
	36,89.40				36,89.40
(ii)- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरन्स कम्पनी से ऋण	(-)16.00	-	-	16.00	(-)32.00
	48.00				48.00
(iii)- विद्युत वित्तीय निगम से ऋण	-	-	-	-	-
	4,00,00.00				4,00,00.00
कुल-109- अन्य संस्थानों से ऋण	(-)20,14.40	-	2,89.14	28,52.75	(-)45,78.01
	4,37,37.40				4,37,37.40

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(समाप्त)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2021 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
ई- लोक ऋण-(समाप्त)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त)					
110- आईबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-					
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	1,87,89.00	-	2,40,07,00.00	2,34,79,22.00	7,15,89.00
	6,92,11.00				6,92,11.00
(ii)- ओवरड्राफ्ट	1,07,29.23	-	67,93,05.69	58,31,69.98	10,68,64.94
	-				-
कुल-110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम	2,95,18.23	-	3,08,00,27.69	2,93,10,91.98	17,84,53.94
	6,92,11.00				6,92,11.00
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)2,16,66.03	-	-	3,48,64.50	(-)5,65,30.53
	33,70,32.48				33,70,32.48
कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	35,56,94.61	-	4,04,50,23.67	3,34,44,97.77	1,05,62,20.51
	4,54,29,09.06				4,54,29,09.06

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2021 को समाप्त) (क)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक)	से ऋण			आरईसी/ पीएफसी	विद्युत बंधपत्र (यूडीएवाई)	जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ एनएसएसएफ	अन्य संस्थानों से ऋण एचडीएफसी	कुल
		एलआईसी	जीआईसी/ ओआईसी/ एनआईसी/ यूआईआईसी	एनएबीएआरडी					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2020-21									
2021-22									
2022-23									
2023-24									
2024-25									
2025-26									
2026-27									
2027-28									
2028-29									
2029-30									
2030-31									
2031-32									
2032-33									
2033-34									
2034-35									
2035-36									
2036-37									
2037-38									
2038-39									
2039-40									
2040-41									
2041-42									
2042-43									
कुल									

(क) यथा सूचित सूचना लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों में प्रभाजित (अगस्त 2021) किया जाना है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल-(समाप्त)

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2021 को समाप्त) (क)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	गैर-नियोजित ऋण	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्रीय योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	1984-85 से पूर्व ऋण	विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
2026-27							
2027-28							
2028-29							
2029-30							
2030-31							
2031-32							
2032-33							
2033-34							
2034-35							
2035-36							
2036-37							
2037-38							
2038-39							

(क) यथा सूचित सूचना लागू नहीं है क्योंकि कि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों में प्रभाजित (अगस्त 2021) किया जाना है।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-								
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-								
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-								
01- सामान्य शिक्षा-								
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.01					0.01		
600- सामान्य	(-)2.20	-	-	4.91	-	(-)7.11		
	1,53.59					1,53.59		
<i>कुल-01</i>	(-)2.20	-	-	4.91	-	(-)7.11		
	1,53.60					1,53.60		
02- तकनीकी शिक्षा-								
800- अन्य ऋण	(-)2.31	-	-	4.64	-	(-)6.95		
	3,88.31					3,88.31		
<i>कुल-02</i>	(-)2.31	-	-	4.64	-	(-)6.95		
	3,88.31					3,88.31		
03- खेल एवं युवा सेवाएं-								
800- अन्य ऋण	(-)0.10	-	-	0.09	-	(-)0.19		
	3.67					3.67		
<i>कुल-03</i>	(-)0.10	-	-	0.09	-	(-)0.19		
	3.67					3.67		
कुल-6202	(-)4.61	-	-	9.64	-	(-)14.25		
	5,45.58					5,45.58		
कुल (क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	(-)4.61	-	-	9.64	-	(-)14.25		
	5,45.58					5,45.58		

(\$ वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखे होने के कारण पूरे विवरण संख्या 18 में लागू नहीं हैं।)

(क) पूरे विवरण में सरकार से सूचना प्रतीकित (अगस्त 2021)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-								
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-								
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-	(-)0.46	-	-	1.48	-	(-)1.94		
800- अन्य ऋण	22.90					22.90		
	(-)0.46	-	-	1.48	-	(-)1.94		
कुल-01	22.90					22.90		
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-								
105- एलोपैथी	-	-	-	-	-	-		
	1,24.72					1,24.72		
200- अन्य प्रणालियाँ	(-)0.48	-	-	0.40	-	(-)0.88		
	0.83					0.83		
कुल-03	(-)0.48	-	-	0.40	-	(-)0.88		
	1,25.55					1,25.55		
04- जन स्वास्थ्य-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	0.07	-	(-)0.07		
	0.14					0.14		
कुल-04	-	-	-	0.07	-	(-)0.07		
	0.14					0.14		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)								
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
800- अन्य ऋण	(-)0.13	-	-	0.85	-	(-)0.98		
	43.94					43.94		
कुल-80	(-)0.13	-	-	0.85	-	(-)0.98		
	43.94					43.94		
कुल-6210	(-)1.07	-	-	2.80	-	(-)3.87		
	1,92.53					1,92.53		
6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-		
	0.09					0.09		
कुल-6211	-	-	-	-	-	-		
	0.09					0.09		
कुल-(ख) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-)1.07	-	-	2.80	-	(-)3.87		
	1,92.62					1,92.62		
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-								
6216- आवास हेतु ऋण-								
02- शहरी आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण-								
मध्यम आय समूह आवास योजनाएं	-	-	-	-	-	-		
	56.81					56.81		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)								
6216- आवास हेतु ऋण-(समाप्त)								
02- शहरी आवास-								
800- अन्य ऋण	(-)0.20	-	-	0.54	-	(-)0.74		
	1,79.47					1,79.47		
	<i>कुल-02</i>							
	(-)0.20	-	-	0.54	-	(-)0.74		
	2,36.28					2,36.28		
03- ग्रामीण आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण	-	-	-	-	-	-		
	2,90.33					2,90.33		
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-		
	1,82.93					1,82.93		
	<i>कुल-03</i>							
	-	-	-	-	-	-		
	4,73.26					4,73.26		
कुल-6216	(-)0.20	-	-	0.54	-	(-)0.74		
	7,09.54					7,09.54		
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-								
01- राज्य का पूँजीगत विकास-								
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-								
(i) नगरपालिकाओं को ऋण								
	-	-	-	-	-	-		
	5,17.45					5,17.45		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							

च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)

ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)

(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)

6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(जारी)

01- राज्य का पूँजी विकास-(समाप्त)

191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-(समाप्त)

(ii) विकास प्रधिकरण, श्रीनगर के ऋण

	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल-191	1,91.78					1,91.78		
	-	-	-	-	-	-	-	-
800- अन्य ऋण	7,09.23					7,09.23		
	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल-800	4,13.72					4,13.72		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	11,22.95					11,22.95		
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-								
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,56.54					7,56.54		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,56.54					7,56.54		
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-								
800- अन्य ऋण-								
(i) फल बाजार के विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,27.11					1,27.11		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त)								
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण-(समाप्त)								
(ii) अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,13.72					8,13.72		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,40.83					9,40.83		
कुल-6217	-	-	-	-	-	-	-	-
	28,20.32					28,20.32		
कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	(-)0.20	-	-	0.54	-	(-)0.74		
	35,29.86					35,29.86		
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य								
पिछड़े वर्ग का कल्याण-								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य								
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-								
01- अनुसूचित जातियों कल्याण-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.20					8.20		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.20					8.20		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य								
पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं								
अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-(समाप्त)								
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.03					4.03		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.03					4.03		
03- अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.42					0.42		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.42					0.42		
कुल-6225	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.65					12.65		
कुल-ड-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं								
अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.65					12.65		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-								
01- पुनर्वास-								
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों को								
राहत एवं पुनर्वास-								
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे एवं सैन्य अभियानों से								
प्रभावित व्यक्तियों को ऋण								
		-	-	-	-	-	-	-
	48.21						48.21	
		-	-	-	-	-	-	-
	3,95.15						3,95.15	
कुल-112	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,43.36						4,43.36	
202- अन्य पुनर्वास योजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.08						61.08	
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,04.44						5,04.44	
02- समाज कल्याण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण								
	(-)24.04	-	1,00.00	3.33	-	72.63		
	87,44.34						87,44.34	
कुल-02	(-)24.04	-	1,00.00	3.33	-	72.63		
	87,44.34						87,44.34	

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-(समाप्त)								
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>								
200- अन्य कार्यक्रम-								
स्वर्णकारों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	37.84						37.84	
800- अन्य ऋण-								
(i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	-	-	-	0.33	-	(-)0.33		
	4,63.58					4,63.58		
(ii) विपत्ति ऋण	-	-	-			-		
	94.78					94.78		
कुल-800	-	-	-	0.33	-	(-)0.33		
	5,58.36					5,58.36		
<i>कुल-60</i>	-	-	-	0.33	-	(-)0.33		
	5,96.20					5,96.20		
कुल-6235	(-)24.04	-	1,00.00	3.66	-	72.30		
	98,44.98					98,44.98		
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-								
<i>03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-</i>								
800- अन्य ऋण-								
(i) आगजनी एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण	-	-	-	-	-	-		
	4,48.20					4,48.20		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)								
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-(समाप्त)								
03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण-(समाप्त)								
(ii) प्राकृतिक आपदाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	60.28					60.28		
कुल-800	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,08.48					5,08.48		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,08.48					5,08.48		
कुल-6245	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,08.48					5,08.48		
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण	(-)24.04	-	1,00.00	3.66	-	72.30		
	1,03,53.46					1,03,53.46		
(ज) अन्य समाज सेवाएं-								
6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण-								
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण-								
रोजगार	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-6250	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-(ज) अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-ख-समाज सेवाओं हेतु ऋण	(-)29.92	-	1,00.00	16.64	-	53.44		
	1,46,47.34					1,46,47.34		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-								
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-								
106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
	38.17						38.17	
111- कृषिगत शिक्षा	(-)0.07	-	-	0.30	-	(-)0.37		
	6,98.49					6,98.49		
113- कृषिगत अभियांत्रिकी	(-)0.23	-	-	0.37	-	(-)0.60		
	2,89.86					2,89.86		
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	-	-	-	-	-	-	-	-
	47.51					47.51		
800- अन्य ऋण								
(i) तकावी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,28.10					1,28.10		
(ii) अन्य कृषि ऋण	(-)0.50	-	-	0.59	-	(-)1.09		
	7,30.54					7,30.54		
कुल-800	(-)0.50	-	-	0.59	-	(-)1.09		
	8,58.64					8,58.64		
कुल -6401	(-)0.80	-	-	1.26	-	(-)2.06		
	19,32.67					19,32.67		
6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण-								
102- मृदा संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.12					5.12		
कुल-6402	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.12					5.12		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)								
6403- पशुपालन हेतु ऋण-								
109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.06						43.06	
800- अन्य ऋण	(-)0.16	-	-	0.66	-	(-)0.82		
	8.25					8.25		
कुल-6403	(-)0.16	-	-	0.66	-	(-)0.82		
	51.31					51.31		
6404- डेयरी विकास हेतु ऋण-								
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.08					30.08		
कुल-6404	-	-	-	-	-	-		
	30.08					30.08		
6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण-								
104- वानिकी- वन हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.64					1.64		
कुल-6404	-	-	-	-	-	-		
	1.64					1.64		
6425- सहकारिता हेतु ऋण-								
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-								
(i) सहकारी बैंकों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	44.95					44.95		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)								
6425- सहकारिता हेतु ऋण-(समाप्त)								
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-(समाप्त)								
(ii) स्थानीय अनाज की खरीद हेतु सहकारी बैंकों को								
अग्रिम								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	77.87						77.87	
(iii) भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.52						65.52	
कुल-107	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,88.34						1,88.34	
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-								
(i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.87						23.87	
(ii) अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,05.26						4,05.26	
(iii) अन्य सहकारिताएं को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,33.67						1,33.67	
कुल-108	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,62.80						5,62.80	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(i) औद्योगिक सहकारिताएं								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	26.33						26.33	
कुल-6425	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,77.47						7,77.47	

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(समाप्त)								
6435- अन्य कृषि कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों								
(जेएण्डकेएचपीएमसी को ऋण)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,66.58						12,66.58	
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,66.58						12,66.58	
कुल-6435	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,66.58						12,66.58	
कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(-)0.96	-	-	-	1.92	-	(-)2.88	
	40,64.87						40,64.87	
(ख) ग्रामीण विकास हेतु ऋण-								
6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
101- पंचायती राज								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.12						1.12	
102- सामुदायिक विकास								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.29						4.29	
कुल-6515	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.41						5.41	
कुल-(ख)- ग्रामीण विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.41						5.41	

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
02- पिछड़े क्षेत्र-								
299- लद्दाख का विकास								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,36.26					1,36.26		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,36.26					1,36.26		
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.88					6.88		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.88					6.88		
कुल-6575	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,43.14					1,43.14		
कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	1,43.14	-	-	-	-	1,43.14		
(ड) ऊर्जा-								
6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण-								
800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	85,04.81					85,04.81		
कुल-6801	-	-	-	-	-	-	-	-
	85,04.81					85,04.81	(क)	
कुल-(ड)-ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-
	85,04.81					85,04.81		

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि के रूप में शेष में प्रोफार्मा वृद्धि की गई। कृपया खण्ड-1 विवरण संख्या-5 के मुख्य शीर्ष-4801 की पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-								
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-								
101- औद्योगिक संपदाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.06						0.06	
102- लघु पैमाना उद्योग-								
(i) औद्योगिक ऋण	(-)0.52	-	-	1.47	-	(-)1.99		
	4,21.41					4,21.41		
(ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	45.13						45.13	
(iii) लघु पैमाना उद्योगों को अन्य विविध ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,59.97					3,59.97		
कुल-102	(-)0.52	-	-	1.47	-	(-)1.99		
	8,26.51					8,26.51		
103- हथकरघा उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,62.47					2,62.47		
105- खादी एवं ग्राम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.12					0.12		
108- पावरलूम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.45					24.45		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)								
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)								
200- अन्य ग्राम उद्योग-								
(i) अन्य ग्राम उद्योग								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	25,53.80						25,53.80	
(ii) अन्य ऋण								
	-	-	-	0.60	-	(-)0.60		
	31.22					31.22		
कुल-200	-	-	-	0.60	-	(-)0.60		
	25,85.02					25,85.02		
कुल-6851	(-)0.52	-	-	2.07	-	(-)2.59		
	36,98.63					36,98.63		
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-								
01- खनिज समन्वेषण एवं विकास-								
800- अन्य ऋण-								
जेएण्डके मिनरल्स को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,86.16					1,86.16		
कुल-01	-	-	-	-	-	-		
	1,86.16					1,86.16		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)								
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य खनन एवं धातुकर्म उद्योग-								
800- अन्य ऋण-								
धातुकर्म उद्योग								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-
कुल-6853	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,98.16	-	-	-	-	-	1,98.16	-
6858 अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण-								
02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84	-	-	-	-	-	33.84	-
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84	-	-	-	-	-	33.84	-
कुल-6858	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84	-	-	-	-	-	33.84	-

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)								
6860 उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण-								
60- अन्य-								
600- अन्य								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	10,04.11					10,04.11		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	10,04.11					10,04.11		
कुल-6860	-	-	-	-	-	-	-	-
	10,04.11					10,04.11		
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-								
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण -								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(i) कृषि उद्योगों को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	44,46.52					44,46.52		
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता	15,14.37	-	28,14.00	-	-	43,28.37		
	86,25.29					86,25.29		
(iii) अर्थोपाय अग्रिम (जेएण्डके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,05,43.43					3,05,43.43		
कुल-190	15,14.37	-	28,14.00	-	-	43,28.37		
800- अन्य ऋण-	4,36,15.24					4,36,15.24		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,08,97.48					2,08,97.48		
कुल-01	15,14.37	-	28,14.00	-	-	43,28.37		
	6,45,12.72					6,45,12.72		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)								
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)								
<i>02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास-</i>								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- अग्रगामी परियोजनाएं (ग्रामीण औद्योगीकरण)		-	-	-	-	-	-	-
	30,48.55						30,48.55	
<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	-	-	-	
	30,48.55						30,48.55	
<i>60- अन्य-</i>								
800- अन्य ऋण	(-)1,87.50	-	-	1,25.00	-	(-)3,12.50		
	74,66.91					74,66.91		
<i>कुल-60</i>	(-)1,87.50	-	-	1,25.00	-	(-)3,12.50		
	74,66.91					74,66.91		
कुल-6885	13,26.87	-	28,14.00	1,25.00	-	40,15.87		
	7,50,28.18					7,50,28.18		
कुल-(च)- उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण	13,26.35	-	28,14.00	1,27.07	-	40,13.28		
	7,99,62.92					7,99,62.92		
(ज) परिवहन-								
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-								
101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण- परिवाहकों हेतु ऋण		-	-	-	-	-		
	2,21,35.04					2,21,35.04		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							

च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)

ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)

(ज) परिवहन-(समाप्त)

7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-(समाप्त)

190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम

लिमिटेड को ऋण

23,00.00 - 32,50.00 - - 55,50.00

3,83,72.76 3,83,72.76

कुल-7055 23,00.00 - 32,50.00 - - 55,50.00

6,05,07.80 6,05,07.80

7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण-

01- सड़कें एवं पुल-

800- अन्य ऋण-

जिला एवं अन्य सड़कें

- - - - - 5,54.42

5,54.42 5,54.42

कुल-7075 - - - - - 5,54.42

5,54.42 5,54.42

कुल-(च) परिवहन 23,00.00 - 32,50.00 - - 55,50.00

6,10,62.22 6,10,62.22

(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-

7452- पर्यटन हेतु ऋण-

60- अन्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण

- - - - - 14,93.68

14,93.68

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	01 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)								
7452- पर्यटन हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,28.37					1,28.37		
कुल-7452	-	-	-	-	-	-	-	-
	16,22.05					16,22.05		
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
101- सामान्य वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,06.97					9,06.97		
102- व्यापारिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,66.75					9,66.75		
कुल-7475	-	-	-	-	-	-	-	-
	18,73.72					18,73.72		
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	34,95.77					34,95.77		
कुल-ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	36,25.39	-	60,64.00	1,28.99	-	95,60.40		
	15,72,39.14					15,72,39.14		
7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण-								
201- गृह निर्माण अग्रिम	(-)15.10	-	-	41.37	-	(-)56.47		
	18,82.93					18,82.93		
202- मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	(-)0.44	-	-	5.63	-	(-)6.07		
	2,01.61					2,01.61		

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(समाप्त)								
7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण-(समाप्त)								
203- अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.27						22.27	
204- कंप्यूटरों की खरीद हेतु अग्रिम	-							
	0.35						0.35	
800- अन्य अग्रिम								
(i) अन्य अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	49.55						49.55	
कुल-7610	(-)15.54	-	-	47.00	-	(-)62.54		
	21,56.71					21,56.71		
कुल योग	35,79.93	-	61,64.00	1,92.63	-	95,51.30		
	17,40,43.19					17,40,43.19 *		

* कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग: 2 अन्य ऋणी अधिष्ठानों से बकायों में पुनर्भुगतान					
ऋणी अधिष्ठान	31 मार्च 2021 को बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2021 को अधिष्ठान के प्रति बकाया कुल ऋण (₹ लाख में)
	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष 2020-21 के दौरान लिये गये नये ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	ऋण की कुल राशि	निबंधन एवं शर्तें	
			ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि, यदि कोई हो

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

1. निम्नलिखित मामले जिनमें ऋणों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में संस्वीकृत किया गया।

(₹ लाख में)				
क्र. स.	संस्वीकृति वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

2. निम्नलिखित ऋणों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, यद्यपि निबंधन एवं शर्तों को अभी तय किया जाना है:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	कुल राशि	पूर्ववर्ती अवधि जिससे ऋण संबंधित है
जेएण्डके, राज्य सड़क परिवहन निगम	12	58,50.00	नवंबर 2019
जेएण्डके, हथकरघा निगम लिमिटेड	6	3,45.00	दिसंबर 2019
एसी/ एसटी/ बीसी निगम लिमिटेड	7	12,64.37	दिसंबर 2019
महिला विकास निगम लिमिटेड	6	4,50.00	दिसंबर 2019
जेएण्डके, सीमेन्ट्स लिमिटेड	3	7,50.00	मार्च 2020
जेएण्डके, हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगम लिमिटेड	4	2,50.00	जनवरी 2020
जेएण्डके, उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	5	4,50.00	जनवरी 2020
जेएण्डके, राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	2	2,19.00	अप्रैल 2020
जेएण्डके, पर्यटन निगम लिमिटेड	1	4,00.00	दिसंबर 2020

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अतिरिक्त प्रकटन-(समाप्त)

वर्ष 2020-21 के दौरान उन ऋणी अधिष्ठानों, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकायों में है, को नये ऋण एवं अग्रिम दिये गये:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान का नाम	वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च 2021 को बकायों की राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया	(वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरण हेतु कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
I. सांविधिक निगम-										
कार्यशील निगम-										
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	1959-60 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	17235400	100	1,72,35.40	99.69	(शून्य)	(शून्य)	2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 3,17.57 लाख का लाभ बुक किया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						1,72,35.40		(शून्य)	(शून्य)	
2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	1976-77 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	शेयरों को जारी नहीं किया गया	-	1,92,95.40	-	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 92,90.21 लाख की हानि बुक की। निगम इसकी अंश पूँजी में पूँजीगत व्यय नियतन को जोड़ रहा है, निगम द्वारा अभी तक की तिथि तक कोई अंश आबंटित नहीं किया गया है।
				(शून्य)	(शून्य)	57,51.33	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	1,38,78.33	-	(शून्य)	(शून्य)	
						1,92,95.40				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
I. सांविधिक निगम-(समाप्त)										
कार्यशील निगम-(समाप्त)										
3	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम	1979-80 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	शेयर जारी नहीं किये गये	अनुपलब्ध	9,03.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	निगम 1 जुलाई 1979 से निगमित किया गया था तथा वर्ष 1996-97 से सीएण्डएजी को लेखापरीक्षा सौंपी गयी थी। वर्ष 2016-17 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 15,55.60 लाख की हानि हुयी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	9,03.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			कुल-1	सांविधिक निगम		1,38,78.33		(शून्य)		
				कार्यशील निगम		3,74,33.80 (क)				
II. ग्रामीण बैंक-										
1	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	1,457,000	10.00	14,57.00	15.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार बैंक को ₹ 1,19,33.88 लाख की हानि हुई।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						14,57.00		(शून्य)	(शून्य)	

(क) 01.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा संशोधित आँकड़े प्रस्तुत करने के कारण वित्तीय लेखा के साथ ₹ 0.90 लाख की भिन्नता।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
II ग्रामीण बैंक-(समाप्त)										
	2 इलाकाई देहाती बैंक		साधारण	31248000	10.00	31,24.80	15.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2020-21 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, बैंक को ₹ 30,87.67 लाख की हानि हुई और 31.03.2020 को संचित हानि ₹ 2,66,62.27 लाख रही।
	2019-20									
	(31-10-2019 से			2350000	10.00	2,35.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
	31-03-2020 तक)			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						2,35.00				
			कुल-II ग्रामीण बैंक			45,81.80				
III सरकारी कम्पनियाँ कार्यशील कम्पनियाँ										
	1 जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1960-61 से 2019-20	इक्विटी			8,00.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2010-11 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी को ₹ 8.38.23 लाख की हानि हुई।
		(31-10-2019 से								
		31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य) (क)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						(शून्य)				
						8,00.00				

(क) जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड (अगस्त 2021) द्वारा संशोधित सूचना प्रस्तुत करने के कारण 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020) के ₹ 2,00.00 लाख तक की कमी।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियाँ (जारी)									
	कार्यशील कंपनियाँ (जारी)									
2	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	1939-40 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	329833032	1	32,98.33	59.23	-	(शून्य)	वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, बैंक ने ₹ 4,32,12.40 लाख का लाभ बुक किया।
				156592546	1	15,65.92	-	-	-	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						15,65.92		(शून्य)		
						32,98.33				
3	जम्मू एवं कश्मीर परियोजनाएं निर्माण निगम लिमिटेड	1965-66 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	15250	1000	1,52.50	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 3,15.89 लाख का लाभ अर्जित किया।
				-	-	-	-	-	-	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-				
						1,52.50				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियों-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)										
4	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1997-98 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	200000	100	2,00.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2014-15 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 12,22.61 लाख का लाभ अर्जित किया।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						2,00.00				
5	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2009-10 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	40600	1000	4,06.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2010-11 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने शून्य लाभ बुक किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,56.00 लाख की राशि के इक्विटी शेयर सरकार को जारी किये थे और ₹ 1,50.00 लाख मूल्य के शेष शेयर अभी तक जारी किये जाने हैं।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						4,06.00				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियाँ (जारी)									
	कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ)	1968-69 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	1764640	1000	17,64.64	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 20,54.05 लाख की हानि बुक की थी। इसके अतिरिक्त, प्रदत्त एवं आबंटित पूँजी ₹ 14,47.39 लाख रही तथा शेयर पूँजी के रूप में ₹ 3,17.25 लाख की राशि प्राप्त की थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						17,64.64				
7	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1975-76 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	259920	100	2,59.92	73.49	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2014-15 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 2,20.00 लाख की हानि बुक की थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						2,59.92				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियाँ (जारी)									
	कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
8	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1969-70 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	50000	10.00	5,00.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6,14.46 लाख की हानि बुक की थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						5,00.00				
9	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात निगम लिमिटेड)	1970-71 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	708120	100	7,08.12	88.83	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 8,59.52 लाख का लाभ अर्जित किया था।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						7,08.12				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्रयम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)										
10	जम्मू एवं कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1963-64 से 30-10-2019	इक्विटी	162664	100	16,26.64	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 36,38.74 लाख की हानि बुक की थी।
		2019-20								
		(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
		2020-21		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						16,26.64				
11	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019 तक	इक्विटी	1499670	100	14,99.67	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2011-12 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 17,98.68 लाख का लाभ अर्जित किया था। अद्यतित सूचना कंपनी से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।
		2019-20								
		(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
		2020-21		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						14,99.67				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)										
12	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम (एसआईसीओपी)	1975-76 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	8991160	100	89,91.16	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2016-17 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 1,56.98 लाख का लाभ बुक किया था।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						89,91.16				
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1978-79 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 तक से 31-03-2020) 2020-21	इक्विटी	600000	100	6,00.00	65.21	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2010-11 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 71,28.34 लाख की हानि हुयी थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						80.00		(शून्य)		
						80.00				
						6,00.00				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियों -(जारी)										
कार्यशील कंपनियों-(जारी)										
14	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1981-82 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	349430	100	3,49.43	69.96	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 1,28.48 लाख की हानि हुयी थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				349430	100	3,49.43	69.96	(शून्य)	(शून्य)	
15	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1985-86 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी		100	19,32.00	40.78	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2017-18 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 5,96.70 लाख की हानि हुयी थी।
			(शून्य)	(शून्य)	25.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	1,20.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					1,45.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				100	19,32.00	40.78	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III	सरकारी कंपनियाँ-(जारी) कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)								
16	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1988-89 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	235700	1000	23,57.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 9,93.70 लाख का लाभ अर्जित किया।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				235700	1000	23,57.00			
17	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	1187850000	10	11,87,85.00 (क)	47.90	(शून्य)	वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 3,17.46 लाख की हानि बुक की थी।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)	
						11,87,85.00 (क)			

(क) कंपनी ने सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 2019 तक (पुनर्गठन पूर्व) निवेश की राशि को अब सूचित किया है, तदनुसार विवरण में (अगस्त 2021) अपनाना गया है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
18	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	1991-92 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	1000000	100	10,00.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 67.31 लाख का लाभ बुक किया था।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				1000000	100	10,00.00			
19	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्तियाँ निगम लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	50000	10	5.00	100.00	(शून्य)	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				50000	10	5.00	100.00	(शून्य)	

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/स ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/स ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)										
20	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	25933443	1000	25,93,34.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 20,41.69 लाख का लाभ अर्जित किया था।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-	-	(शून्य)	-	
				25933443	1000	25,93,34.00	100.00			
21	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1957-58 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	1000	1000	10.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी ने सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				1000	1000	10.00	100.00			

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज का निवेश	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
24	जेएण्डके परिसंपत्ति पुननिर्माण लिमिटेड	28-04-2017 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	निगम को 2019 में दिनांक 24.10.2019 के सरकारी आदेश सं. 43-एफडी के माध्यम बंद किया गया था।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
25	जम्मू स्मार्ट शहर	2019-20 (01-04-2019 से 30-10-2019 तक) 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इन्विटी	100,000	10	10 ^(क)	100	शून्य	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						10.00 ^(क)	शून्य	शून्य	

(क) कंपनी ने अब 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये निवेश की राशि को सूचित किया है, तदनुसार, विवरण में अपनाया गया (अगस्त 2021) है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियों-(जारी)									
कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
26	श्रीनगर स्मार्ट शहर	2019-20	100000	10	10.00	(क) 100	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
	(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
27	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम	2019-20	100000	10	10.00	(क) (शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
	(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	20000	10.00	2.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			20000	10.00	2.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
28	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम	2019-20	20,000	10	2	(क) 100	शून्य	शून्य	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
	(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी							
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					2.00	(क) शून्य	शून्य	शून्य	

(क) कंपनी ने अब 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये निवेश की राशि को सूचित किया है, तदनुसार, विवरण में अपनाया गया (अगस्त 2021) है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण -(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
29	जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास निगम	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			96,47.75		(शून्य)	(शून्य)	सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					-		(शून्य)		
					96,47.75	100			
30	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	50000	10.00	5.00	100	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 0.35 लाख का लाभ अर्जित किया था।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			50000	10.00	5.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
31	कश्मीर विद्युत वितरण लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	49960	10.00	4.99	99.92	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 0.35 लाख का लाभ अर्जित किया था।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					-		(शून्य)		
			49960	10.00	4.99	99.92			

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)									
32	जम्मू विद्युत वितरण लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	50000	10.00	5.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
33	जेएण्डके विद्युत निगम लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी 50000	10.00	5.00	100	शून्य	शून्य	कंपनी ने अभी तक की तिथि (अगस्त 2021) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			50.00						
34	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्त निगम	2019-20 तक (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 6.45 लाख की हानि हुयी थी।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
50.00									

(क) कंपनी ने अब 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये निवेश की राशि को सूचित किया है, तदनुसार, विवरण में अपनाया गया (अगस्त 2021) है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)										
35	जेएण्डके, आईटी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20 तक (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	50000	10.00	50.00 (क)	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6.35 लाख का लाभ बुक किया था।	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
					50.00 (क)					
					17,90.92 (ख)					
			कुल सरकारी कंपनियाँ (कार्यशील कंपनियाँ)		41,46,26.15 (ग)					
गैर-कार्यशील कंपनियाँ-										
1	तवी स्क्वैर लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इक्विटी	804000	10	80.40	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			804000	10	80.40	100.00	शून्य	शून्य		

(क) कंपनी ने अब 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये निवेश की राशि को सूचित किया है, तदनुसार, विवरण में अपनाया गया (अगस्त 2021) है।

(ख) वर्ष 2020-21 (अगस्त 2021) के दौरान सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी परिशोधित सूचना के कारण ₹ 2,00.00 लाख तक कमी की गयी।

(ग) वर्ष 2020-21 (अगस्त 2021) के दौरान प्रस्तुत 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये प्रतीक्षित निवेश के निगमन के कारण ₹ 11,89,12.00 लाख तक वृद्धि हुयी।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियाँ-(समाप्त)									
	गैर-कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)									
2	हिमालय वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1977-78 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	इन्विटी	136500	100	1,36.50	100.00	शून्य	शून्य	कंपनी को दिनांक 16.08.2000 के कैबिनेट निर्णय सं. 129/12 के माध्यम से 2000-2001 में बंद किया गया था और वर्ष 2000-01 हेतु लेखा बकाया था परिसमापन प्रक्रिया का परिणाम प्रतीक्षित (अगस्त 2021) था।
			शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	
			136500	100	1,36.50	100.00				
3	जेएण्डके राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	40000	100	40.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			40000	100	40.00	100.00				
			कुल सरकारी कंपनियाँ (गैर-कार्यशील कंपनियाँ)			2,56.90				
						17,90.92		(शून्य)		
			कुल III सरकारी कंपनियाँ			41,48,83.05				(ख)

(ख) वर्ष 2020-21 (अगस्त 2021) के दौरान प्रस्तुत 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये प्रतीक्षित निवेश के निगमन के कारण ₹ 11,89,12.00 लाख तक वृद्धि होगी।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ										
1	प्लार्ड बोर्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड	1961-62 से 2020-21	साधारण	50000	10	5.00	20.00	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी गैर-कार्यशील है और इसकी नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2021)।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				50000	10	5.00	20.00	(शून्य)	(शून्य)	
2	कश्मीर सेरामिक्स लिमिटेड	1961-62 से 1970-71 तक 2020-21	साधारण	29400	100	29.40	49.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी गैर-कार्यशील थी। नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2021)।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				29400	100	29.40	49.00	(शून्य)	(शून्य)	
			कुल-IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ			34.40		(शून्य)		
V सहकारी बैंकों/ सोसाइटियों में निवेश-										
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर	1965-66 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	6845000	1000	68.45	8.49	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक बैंक खातों को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान बैंक को 15,89,06 लाख का लाभ हुआ।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				6845000	1000	-	-	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	68.45	8.49			

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश (जारी)									
2	नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जम्मू	2019-20	साधारण	26960	25	6.74	0.44	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है। बैंक को ₹ 2,61.48 लाख की हानि हुयी।
		(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
		2020-21		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				26960	25	6.74	0.44	(शून्य)	(शून्य)	
3	जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू	1962-63 से 30-10-2019 तक 2019-20	साधारण			1,50.50	41.08	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है। बैंक की संचित हानि ₹ 2,08,97.53 लाख रही।
		(31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
		2020-21		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-	-	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	1,50.50	41.08	-	-	

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1:: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
V सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश (जारी)										
4	शहरी सहकारी बैंक, लिमिटेड	31-10-2019	साधारण	285	1000	2.85	24.97	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। वर्ष के दौरान अर्जित लाभ ₹ 3.27 लाख रहा।
	अनंतनाग	2019-20								
		(31.10.2019 से 31-03-2020) 2020-21		प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	
				285	1000	2.85	24.97	(शून्य)	(शून्य)	
5	बारामूला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20	साधारण	2715	1000	27.15	34.43	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, और 2019-20 तक लेखापरीक्षा की गयी थी, वर्ष 2020-21 के दौरान हानि ₹ 18,37.86 लाख रही। जबकि संचित हानि ₹ 1,38,44.57 लाख रही।
		(31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				2715	1000	27.15	34.43	(शून्य)	(शून्य)	

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण- (जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण- (समाप्त)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश (जारी)									
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लिमिटेड, श्रीनगर	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण		26,37.40	87.20	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, संचित हानि ₹ 1,02,30.71 लाख रही।	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)		
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)		
			-	-	26,37.40	87.20	(शून्य)	(शून्य)		
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समितियाँ	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21	साधारण	508	100	0.51	33.66	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित		
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित		
			-	-	-	-	शून्य	-		
			508	100	0.51	33.66	-	-		

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण- (जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशों का विवरण- (समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश-(समाप्त)								
8	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) 2020-21			18,89.60		(शून्य)	(शून्य)	अधिष्ठान ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से केवल सहायिकी प्राप्त की थी।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
					18,89.60		(शून्य)	(शून्य)	
					3.35.20	(क)	(शून्य)		
			कुल V- सहकारी बैंक/ सोसायटियाँ		47,83.20				
				(ख)(ग)	1,62,39.45	(घ)	(शून्य)		
			कुल योग I+II+III+IV+V		46,17,16.25	(ङ)			

(क) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सूचित निवेश की राशि को दर्शाते हैं। हालांकि बैंक/ सोसाइटी चार ब्योरा प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2020)।

(ख) विवरण संख्या 19 के आँकड़ों तथा विवरण संख्या 16 के आँकड़ों की संबंधित प्रगतिशील रिपोर्ट में दर्शायी गई भिन्नता जाँच/ मिलानाधीन हैं (अगस्त 2021)।

(ग) आँकड़े अन्तिम हैं चूंकि कुछ संस्थानों से निवेशों के ब्योरे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2021)।

(घ) वर्ष 2020-21 (अगस्त 2021) के दौरान जेएफके निगरल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गयी परिशोधित सूचना के कारण ₹ 2,00.00 लाख तक कमी की गयी।

(ङ) वर्ष 2020-21 (अगस्त 2021) के दौरान प्रस्तुत 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक सरकार द्वारा किये गये प्रतीक्षित निवेश के निगमन के कारण ₹ 11,89,12.00 लाख तक वृद्धि हुयी।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अनुभाग 2:- वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों का विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेश को दर्शाते हैं)

विवरण सं. 19 की क्रम संख्या	मुख्य/ लघु शीर्ष	30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर निवेश	वर्ष 2020-21* के दौरान निवेश	वर्ष 2020-21 के दौरान विनिवेश	31 मार्च 2020 की समाप्ति पर निवेश
					(₹ लाख में)
I/1	4885	190	40.66	-	-
			57,51.33	81,27.00	40.66
I/2	5055	190	1,68,80.44	57,51.33	1,38,78.33
			-	-	1,68,80.44
II/2	5465	190	5,40,64.30	-	-
			2,68.50	-	5,40,64.30
III/6/12	4852	190	6,97.50	2,68.50	8,08.50
			2,00.00	-	6,97.50
III/11	4853	190	25,22.02	2,00.00	4,21.50
			-	-	25,22.02
III/15	4225	190	5,10.00	-	-
			1,22.69	-	5,10.00 \$
III/18	4235	190	19,16.63	1,22.69	3,44.92
			3,35.20	-	19,16.63
V/6	4425	190	2,65,18.50	3,35.20	11,49.83
			-	-	2,65,18.50
V/8	4425	190	-	-	-
			3,68.70	-	3,68.70

* कृपया वित्त लेखे खण्ड-I की लेखाओं पर टिप्पणियाँ के अनुलग्नक छ और पैरा 2 (V) (ख) का संदर्भ लें।

\$ क्रमशः विवरण संख्या 16 और 19 के मध्य मिलान के फलस्वरूप पिछले वित्त लेखे से ₹ 32.50 लाख तक का अंतर है।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण

क श्रेणी वार ब्योरा: [1]

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति अधिकतम राशि		1 अप्रैल 2020 के आरंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान लोप		वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 के अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

श्रेणी-वार ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2020 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान लोप		वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
(₹ लाख में)																
1	विद्युत (3)*															
	(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड	6,53,70.00														
	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	आरईसी लिमिटेड/ भारतीय जीवन बीमा निगम/ विद्युत वित्त निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से ऋण/ बाजार उधार राशि के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति	-	2,29,31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29,31.00	-	-	-
	(ii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम	15,39,71.00	- 13,25,49.00	- 2,14,22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,39,71.00	-	-	-
	विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एचयूडीसीओ, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, कैनरा बैंक और सैन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा बॉण्ड, निवेश और लिये गये ऋण के संबंध में प्रत्याभूति प्रदान की गयी है।	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	- प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	-	-	-	प्रतीक्षित	-	-	-

* पुरे विवरण संख्या 20 में कोष्ठकों में ऑफ़सेट संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

[1] 2004 के सरकारी आदेश संख्या 37-पीडीडी दिनांक 13-02-2004 द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को विकास आयुक्त (विद्युत) को हस्तांतरित कर दिया गया।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2020 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान लोप		वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
(₹ लाख में)																
1 विद्युत (3)* (समाप्त)																
	(iii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	1,10,24,47.00		प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	-	-	-	प्रतीक्षित	-	-	-
	आरईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा विद्युत वित्तीय निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से बाजार उधारियों की उठायी गयी राशि और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में प्रत्याभूति दी गयी है।			प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	-	-	-	प्रतीक्षित	-	-	-
	कुल-1	1,25,64,18.00		13,25,49.00	-	2,14,22.00	-	-	-	-	-	-	15,39,71.00	-	-	-
		6,53,70.00		2,29,31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29,31.00	-	-	-

2-क सहकारी बैंक (2)***(i) जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक****लिमिटेड, जम्मू**

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त नकद क्रेडिट सीमा के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 से ₹ 04 करोड़ की 20 समान किस्तों में पुनर्भुगतान किये जाने वाली प्रत्याभूति

		-	-	32,00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00.00	-	-	-
--	--	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2020 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान लोप		वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

2-क सहकारी बैंक (2)* (समाप्त)

(ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

लिमिटेड, श्रीनगर

57.44

अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त

1,02,16.00

2,79.28

ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति

कुल-2क

57.44

1,02,16.00

34,79.28

2-ख सहकारी सोसाइटियाँ (4)*

(i) पंजीयक सहकारी सोसाइटियाँ, जम्मू एवं कश्मीर

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ii) जम्मू सहकारी थोक बिक्री भण्डार, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) जम्मू एवं कश्मीर भूतपूर्व सैनिक स्टोर, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) जम्मू एवं कश्मीर सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

कुल-2

57.44

1,02,16.00

34,79.28

57.44

34,79.28

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2020 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान लोप		वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्त		
																	प्रत्याभूति
4 अन्य संस्थान (7)* (समाप्त)																	
4-ख सरकारी कंपनियाँ (4)*-(समाप्त)																	
	(ii) जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड																
	अन्य वित्तीय संस्थानों से उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु	1,01,49.89	-	69,20.53													
	(iii) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड																
	अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान	1,18.45	-	1,18.45	1,64.66												
	(iv) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड																
	कंपनी 2000-01 के मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या- 129/12 दिनांक 18-08-2010 के माध्यम से बंद हो गई	40.00	-	40.00													
	कुल-4 (ख)			1,52.94(-)	-	-	-										
		1,03,08.34	-	1,42,94.44	1,64.66												
	कुल-1+2+3+4	1,25,64,18.00		13,24,53.50	-	2,14,22.00											
		9,08,94.34	-	4,52,07.59	1,64.66												

(₹ लाख में)

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) प्रत्याभूति मोचन निधि: सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रत्याभूति मोचन निधि को स्थापित किया था। निधि का विस्तृत लेखा निम्नानुसार है:

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

	(₹ लाख में)
(i) 31.03.2020 तक अथ शेष	1,00.00
	20,42.00
(ii) जोड़िए: वर्ष 2020-21 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	1,00.00
(iii) कुल	2,00.00
	20,42.00
(iv) घटाइए: आहूत प्रत्याभूतियों के उन्मोचन हेतु निधि से प्राप्त राशि	शून्य
(v) 31.03.2021 तक अंत शेष	2,00.00
	20,42.00
(vi) प्रत्याभूति से निर्मित निवेश की राशि	शून्य
(ख) आहूत प्रत्याभूतियों का निवेश	शून्य
(ग) वर्ष 2020-21 के दौरान जारी 'लैटर ऑफ कंफर्ट' का ब्योरा।	शून्य

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग-II आकस्मिकता निधि						
8000- आकस्मिकता निधि						
201 समेकित निधि से विनियोग	-	-	25,00.00	-	25,00.00 (क)	
	क्र. 1,00.00				क्र. 1,00.00	
कुल भाग II-आकस्मिकता निधि	क्र. -	-	25,00.00	-	क्र. 25,00.00	
	क्र. 1,00.00				क्र. 1,00.00	
भाग III-लोक लेखा-						
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि-						
(ख) राज्य भविष्य निधि-						
8009- राज्य भविष्य निधि-						
<i>01- नागरिक-</i>						
101- सामान्य भविष्य निधि	क्र. 9,92,07.10	-	56,20,72.41	45,54,65.59	क्र. 20,58,13.92	
	क्र. 2,60,64,00.20				क्र. 2,60,64,00.20	
102- अंशदायी भविष्य निधि	क्र. 97.12	-	-	-	क्र. 97.12	
	क्र. 55,57.68				क्र. 55,57.68	
104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	क्र. -	-	4.50	5.00	क्र. (-)0.50	
	क्र. 35,28.61				क्र. 35,28.61	
	कुल-01 क्र. 9,93,04.22	-	56,20,76.91 (ख)	45,54,70.59	क्र. 20,59,10.54	
	क्र. 2,61,55,86.49				क्र. 2,61,55,86.49	
	कुल-8009 क्र. 9,93,04.22	-	56,20,76.91	45,54,70.59	क्र. 20,59,10.54 (ग)	
	क्र. 2,61,55,86.49	-			क्र. 2,61,55,86.49 (ग)	
कुल-(ख)- राज्य भविष्य निधि	क्र. 9,93,04.22	-	56,20,76.91	45,54,70.59	क्र. 20,59,10.54	
	क्र. 2,61,55,86.49				क्र. 2,61,55,86.49	

(क) समेकित निधि के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 7999-आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग को डेबिट द्वारा आकस्मिकता निधि (कॉर्पस) में हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ/खण्ड के अनुलग्नक" को देखें।

(ग) आंकड़े मिलानाधीन हैं (अगस्त 2021)।

* वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखे होने के कारण पूरे विवरण संख्या 21 में वृद्धि/कमी लागू नहीं है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III-लोक लेखा-(जारी)						
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि-(समाप्त)						
(ग) अन्य लेखा-						
8011- बीमा एवं पेन्शन निधियाँ-						
105- राज्य सरकार बीमा निधि	क्र. 41,98.08	-	1,22,63.11 (क)	31,94.85	क्र. 1,32,66.34	
	क्र. 8,72,53.99				क्र. 8,72,53.99	
106- अन्य निधि बीमा एवं पेन्शन-						
(i) श्रीनगर नगरपालिका पेन्शन निधि	क्र. (-)2,85.77	-	1,04.90	53,57.96	क्र. (-)55,38.83	
	क्र. 10,83.12				क्र. 10,83.12	
(ii) जम्मू नगरपालिका पेन्शन निधि	क्र. 3,86.80	-	36,43.83	41,17.55	क्र. (-)86.92	
	क्र. 38,55.44				क्र. 38,55.44	
(iii) टीएसी/ एनएसी पेन्शन निधि	क्र. 5,00.69	-	1,77,98.58	1,38,42.49	क्र. 44,56.78	
	क्र. 81,74.58				क्र. 81,74.58	
(iv) अन्य बीमा एवं पेन्शन निधियाँ	क्र. 75.80	-	9,41.26	4,28.31	क्र. 5,88.75	
	क्र. 2,08.00				क्र. 2,08.00	
कुल-106	क्र. 6,77.52	-	2,24,88.57	2,37,46.31	क्र. (-)5,80.22	
	क्र. 1,33,21.14				क्र. 1,33,21.14	
कुल-8011	क्र. 48,75.60	-	3,47,51.68	2,69,41.16	क्र. 1,26,86.12	
	10,05,75.13				क्र. 10,05,75.13	
कुल-(ग)- अन्य लेखा	क्र. 48,75.60	-	3,47,51.68	2,69,41.16	क्र. 1,26,86.12	
	10,05,75.13				क्र. 10,05,75.13	
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	क्र. 10,41,79.82	-	59,68,28.59	48,24,11.75	क्र. 21,85,96.66 (ख)	
	2,71,61,61.62				क्र. 2,71,61,61.62 (ख)	

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड के अनुलग्नक"क" को देखें।

(ख) ऑफ़े मिलानाधीन हैं (अगस्त 2021)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2021 तक	वर्ष 2020-21* के दौरान
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)
		को आंबटित राशि				राशि प्रतिशत
						(₹ लाख में)
भाग-III-लोक लेखा-(जारी)						
ज-आरक्षित निधियाँ-						
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	क्र. (-)1,76,90.33	-	3,57,57.14 (क)	1,64,34.73 (ख)	क्र. 16,32.08	
	क्र. 12,71,48.12				क्र. 12,71,48.12	
126- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा	डे. 10,86.07	-	-	-	डे. -	
					डे. 10,86.07	
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	क्र. 4,08,37.26	-	3,56,19.88	-	क्र. 7,64,57.14	
					क्र. -	
	कुल-8121					
	सकल शेष क्र. 2,31,46.93	-	7,13,77.02	1,64,34.73	क्र. 7,80,89.22	
	क्र. 12,71,48.12				क्र. 12,71,48.12	
	निवेश				डे. -	
	डे. 10,86.07				डे. 10,86.07	
कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ						
	सकल शेष क्र. 2,31,46.93	-	7,13,77.02	1,64,34.73	क्र. 7,80,89.22	
	क्र. 12,71,48.12				क्र. 12,71,48.12 (ग)	
	निवेश				डे. -	
	डे. 10,86.07				डे. 10,86.07 (ग)	

(क) मुख्य शीर्ष-2245-05-101-"आरक्षित निधि और जमाओं को हस्तांतरण " के डेबिट द्वारा ₹ 2,79,00.00 लाख भारत सरकार की हिस्सेदारी, ₹ 31,00.00 लाख संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी तथा ₹ 43,89.03 लाख ब्याज को सम्मिलित करता है। "कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड -1 के पैरा 4 (ii)(क) का अवलोकन करें।

(ख) मुख्य शीर्ष 2245-05-901 "एस डी आर एफ से कटौती राशि " को कटौती डेबिट द्वारा हस्तांतरित राशि को प्रस्तुत करता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 अनुलग्नक 'क' और खण्ड-II के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष 2245 की पाद टिप्पणी क का संदर्भ लें।

(ग) शेष विचारधीन (अगस्त 2021)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2021 तक	वर्ष 2020-21* के दौरान
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)
		को आंबटित राशि				राशि प्रतिशत
						(₹ लाख में)
भाग-III- लोक लेखा -(जारी)						
ज- आरक्षित निधियाँ-(जारी)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8222- ऋण शोधन निधियाँ						
01- ऋण परिहार या अभाव हेतु विनियोजन						
101- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे.	-	-	55,63.00 (घ)	-	क्रे. 55,63.00
	क्रे.	3,55,86.76				क्रे. 3,55,86.76
कुल-8222	क्रे.	3,55,86.76	-	55,63.00	-	क्रे. 55,63.00
						क्रे. 3,55,86.76
8223- अकाल राहत कोष						
101- अकाल राहत कोष	क्रे.	-	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	8,66.96				क्रे. 8,66.96
कुल-8223	क्रे.	-	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	8,66.96				क्रे. 8,66.96
8226- आरक्षित निधि का मूल्यहास/ नवीनीकरण						
101- सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की						
आरक्षित निधियों का मूल्यहास	क्रे.	-	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	5,73,79.34				क्रे. 5,73,79.34
102- सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित						
निधियों का मूल्यहास	क्रे.	-	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	72,85.99				क्रे. 72,85.99
कुल-8226	क्रे.	-	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	6,46,65.33				क्रे. 6,46,65.33

(घ) मुख्य शीर्ष 2048-101- " ऋण शोधन निधि" से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड - II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष-2048 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और खण्ड -I के अनुलग्नक-क का संदर्भ लें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग-III- लोक लेखा -(जारी)							
अ- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)							
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ -(समाप्त)							
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-							
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	
	क्रे.	40,52.06			क्रे.	40,52.06	
109- सहकारी विकास निधियाँ	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	
	क्रे.	0.10			क्रे.	0.10	
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	क्रे.	(-)50,88.29	2,63.73	42,13.82	क्रे.	(-)90,38.38	
	क्रे.	3,03,32.77			क्रे.	3,03,32.77	
	क्रे.	(-)50,88.29	2,63.73	42,13.82	क्रे.	(-)90,38.38	
	क्रे.	3,43,84.93			क्रे.	3,43,84.93	
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-							
105- सामान्य बीमा निधि-जनता बीमा	क्रे.	4,03.58	16,08.73	-	क्रे.	20,12.31	
	क्रे.	41,19.21			क्रे.	41,19.21	
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	क्रे.	1,00.00	1,00.00 (ड)	-	क्रे.	2,00.00	
	क्रे.	20,42.00			क्रे.	20,42.00	
200- अन्य निधियाँ	क्रे.	1,32.61	1,54.85	-	क्रे.	2,87.46	
	क्रे.	1,17,29.72			क्रे.	1,17,29.72	
	क्रे.	6,36.19	18,63.38	-	क्रे.	24,99.77	
	क्रे.	1,78,90.93			क्रे.	1,78,90.93	
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	क्रे.	(-)44,52.10	76,90.31	42,13.82	क्रे.	(-)9,75.61	
	क्रे.	15,33,94.91			क्रे.	15,33,94.91	
कुल-अ- आरक्षित निधियाँ							
सकल शेष	क्रे.	1,86,94.83	7,90,67.33	2,06,48.55	क्रे.	7,71,13.61	
	क्रे.	28,05,43.03			क्रे.	28,05,43.03	
निवेश	डे.	-	-	-	डे.	-	
	डे.	10,86.07			डे.	10,86.07	

(ड) एम एच 2075-800 से अंशदान के रूप में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण सख्या -15 के मुख्य शीर्ष -2075 के नीचे पाद टिप्पणी (ख) को देखें। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-I के अनुलग्नक क को देखें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि प्रतिशत
(₹ लाख में)							
भाग-III- लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमा एवं अग्रिम-							
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-							
8336- नागरिक जमा-							
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा-	₹. 2,95,06.46	-	1,80,19.18	-	₹. 4,75,25.64		
	₹. -				₹. -		
कुल-8336	₹. 2,95,06.46	-	1,80,19.18	-	₹. 4,75,25.64		
	₹. -				₹. -		
8342- अन्य जमा							
117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित पेन्शन अंशदायी योजना (नयी पेन्शन योजना)	₹. 17,29.53	-	10,37,65.63 (क)	10,55,47.32	₹. (-)52.16		
	₹. 53,67.44				₹. 53,67.44		
कुल-8342	₹. 17,29.53	-	10,37,65.63	10,55,47.32	₹. (-)52.16		
	₹. 53,67.44				₹. 53,67.44		
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली जमाएं	₹. 3,12,35.99	-	12,17,84.81	10,55,47.32	₹. 4,74,73.48		
	₹. 53,67.44				₹. 53,67.44		
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं -							
8443- सिविल जमा-(ख)							
101- राजस्व जमा	₹. 2,09,65.01	-	6,67,56.24	6,85,59.30	₹. 1,91,61.95		
	₹. 24,10,09.78				₹. 24,10,09.78		
102- सीमा शुल्क और अफीम जमा	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 70,90.86				₹. 70,90.86		
103- सुरक्षा जमा	₹. 9,76.70	-	35,81.05	17,41.18	₹. 28,16.57		
	₹. 1,59,61.11				₹. 1,59,61.11		
104- सिविल न्यायालयों की जमा राशियाँ	₹. 19.65	-	23,38.15	53.86	₹. 23,03.94		
	₹. 2,54,34.61				₹. 2,54,34.61		
105- आपराधिक न्यायालयों की जमा राशियाँ	₹. 0.06	-	16.16	-	₹. 16.22		
	₹. 18,98.64				₹. 18,98.64		

(क) ₹ 5,37,24.91 लाख की कर्मचारी हिस्सेदारी और ₹ 5,00,40.72 लाख के सरकारी अंश को दर्शाता है।

(ख) कृपया विवरण सं 13 खण्ड-1 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी ख को देखें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमा एवं अयिम-(जारी)							
(ख) ब्याज वहन नहीं वाली जमाएं-(जारी)							
8443- सिविल जमा-(समाप्त)							
108- लोक निर्माण कार्य जमा	क्र. 1,67,33.53	-	4,62,46.07	3,77,48.42	क्र. 4,52,31.18		
	क्र. 15,80,13.85				क्र. 15,80,13.85		
109- वन जमाएं	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 2,84.44				क्र. 2,84.44		
111- अन्य विभागीय जमाएं	क्र. (-)8,81.07	-	9,53.35	79,85.33	क्र. (-)79,13.05		
	क्र. 39,80.48				क्र. 39,80.48		
115- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमाएं	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 34.90				क्र. 34.90		
116- विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों - अनुबंधित श्रम के अधीन जमा (नियामक उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 0.01				क्र. 0.01		
118- सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकायों हेतु किये गये कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 0.20				क्र. 0.20		
121- निर्वाचन संबंधी जमाएं	क्र. 2,04.91	-	0.42	49.48	क्र. 1,55.85		
	क्र. 99.06				क्र. 99.06		
123- शिक्षा संस्थानों की जमाएं	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 2,64.63				क्र. 2,64.63		
124- भविष्य निधि में गैर-दावाकृत जमाएं	क्र. -	-	-	-	क्र. -		
	क्र. 92.35				क्र. 92.35		
800- अन्य जमा	क्र. 61,73.06	-	25,30.87	12,81.16	क्र. 74,22.77		
	क्र. 7,27,11.78				क्र. 7,27,11.78		
	क्र. 4,41,91.85	-	14,24,22.31	11,74,18.73	क्र. 6,91,95.43		
कुल-8443	क्र. 52,68,76.70				क्र. 52,68,76.70		

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	जम्मु एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2021 तक	वर्ष 2020-21* के दौरान
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)						
ट-जमा एवं अधिम-(जारी)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(जारी)						
8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-						
101- जिला निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 22,75.15				₹. 22,75.15	
102- नगरपालिका निधियाँ	₹. 60,25.84	-	7,05,53.25	4,90,52.28	₹. 2,75,26.81	
	₹. 1,33,39.66				₹. 1,33,39.66	
107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 79.04				₹. 79.04	
108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 8.07				₹. 8.07	
109- पंचायत निकाय निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 27.48				₹. 27.48	
110- शिक्षा निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 2,58.98				₹. 2,58.98	
111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 58.02				₹. 58.02	
113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	₹. -	-	-	-	₹. -	-
	₹. 7,87,25.48				₹. 7,87,25.48	
120- अन्य निधियाँ	₹. (-)66,31.62	-	-	97,79.02	₹. (-)1,64,10.64	
	₹. 70,44.76				₹. 70,44.76	
	कुल-8448	₹. (-)6,05.78	7,05,53.25	5,88,31.30	₹. 1,11,16.17	
8449- अन्य जमाएं	₹. 10,18,16.64				₹. 10,18,16.64	
103- केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त संसहायिकी	₹. 25,30.34	-	79,40.00 (ग)	27,35.95 (ग)	₹. 77,34.39	
	₹. 5,73,32.94				₹. 5,73,32.94	

(ग) एम एच 3054-80-797 आरक्षित निधि जमा को हस्तांतरित और एम एच -5054-80-902 "कटौती-केन्द्रीय सड़क निधि" से सरकारी अनुदान से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया विवरण संख्या 15 में एम एस -3054 के नीचे पाद टिप्पणी क का तथा विवरण संख्या 16 खण्ड -II के एम एच -5054 के नीचे क का और लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के अनुलग्नक क का संदर्भ लें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)							
ट- जमा एवं अग्रिम-(समाप्त)							
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(समाप्त)							
8449- अन्य जमा-(समाप्त)							
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमा	₹.	4.90	-	28.27	-	₹.	33.17
	₹.	29.57				₹.	29.57
कुल-8449	₹.	25,35.24	-	79,68.27	27,35.95	₹.	77,67.56
	₹.	5,73,62.51				₹.	5,73,62.51
कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	₹.	4,61,21.31	-	22,09,43.83	17,89,85.98	₹.	8,30,79.16
	₹.	68,60,55.85				₹.	68,60,55.85
(ग) अग्रिम-							
8550- सिविल अग्रिम-							
101- वन अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-
	₹.	6,71.51				₹.	6,71.51
103- अन्य विभागीय अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-
	₹.	2,12.25				₹.	2,12.25
104- अन्य अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-
	₹.	3,85.43				₹.	3,85.43
कुल-8550	₹.	12,69.19	-	-	-	₹.	12,69.19
कुल-(ग)- अग्रिम	₹.	12,69.19	-	-	-	₹.	12,69.19
कुल-ट- जमा एवं अग्रिम	₹.	7,73,57.30	-	34,27,28.64	28,45,33.30	₹.	13,55,52.64
	₹.	69,01,54.10				₹.	69,01,54.10
ठ- उंचंत एवं विविध-							
(ख) उंचंत-							
8658- उंचंत लेखा-							
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उंचंत	₹.	14,45.89	-	1,07.45	43,27.39	₹.	56,65.83
	₹.	3,39,26.93				₹.	3,39,26.93

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)							
ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)							
(ख) उचंत-(जारी)							
8658- उचंत लेखा-(जारी)							
102- उचंत लेखा (सिविल)	₹. 3,24.95	-	8,34.11	50,62.49	₹. 45,53.33		
	₹. 79,11.24				₹. 79,11.24		
107- रोकड़ निपटारा उचंत लेखा	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 6,69.05				₹. 6,69.05		
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	₹. 9.58	-	-	1.13	₹. 10.71		
	₹. 3,03.73				₹. 3,03.73		
110- आरबीआई (उचंत लेखा)	₹. 8.66	-	3.64	95.60	₹. 83.30		
	₹. 1,51.91				₹. 1,51.91		
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	₹. 2,21,91.17	-	7,27,13.51	7,28,04.79	₹. 2,20,99.89		
	₹. 1,09,96.60				₹. 1,09,96.60		
113- भविष्य निधि उचंत	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 2,25.35				₹. 2,25.35		
120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 1,52.56				₹. 1,52.56		
123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	₹. 15.43	-	1.16	70.67	₹. 84.94		
	₹. 2,15.20				₹. 2,15.20		
136- सीमा शुल्क	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 67.00				₹. 67.00		
137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 28,25.68				₹. 28,25.68		

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बॉन्ड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) राशि	कमी (-) प्रतिशत
(₹ लाख में)							
भाग III- लोक लेखा-(जारी)							
ठ- उंचत एवं विविध-(जारी)							
(ख) उंचत-(जारी)							
8658- उंचत लेखा-(समाप्त)							
139- जीएसटी- स्रोत उंचत पर कर कटौती	₹. 32.80	-	14,20.30	9,74.94	₹. 4,12.56		
	₹. -				₹. -		
कुल-8658	₹. 2,03,71.18	-	7,50,80.17	8,33,37.01	₹. 1,21,14.34		
	₹. 3,44,14.18				₹. 3,44,14.18		
कुल-(ख)-उंचत	₹. 2,03,71.18	-	7,50,80.17	8,33,37.01	₹. 1,21,14.34		
	₹. 3,44,14.18				₹. 3,44,14.18		
(ग) अन्य लेखा-							
8671- विभागीय शेष-							
101- नागरिक	₹. 0.02	-	-	-	₹. 0.02		
	₹. 4,96.97				₹. 4,96.97		
कुल-8671	₹. 0.02	-	-	-	₹. 0.02		
	₹. 4,96.97				₹. 4,96.97		
8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय-							
101- नागरिक	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 12.59				₹. 12.59		
कुल-8672	₹. -	-	-	-	₹. -		
	₹. 12.59				₹. 12.59		
8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा-							
101- रोकड़ शेष निवेश लेखा	₹. -	-	1,19,04,12.47	1,19,04,12.47	₹. -		
	₹. 3,83,91.91				₹. 3,83,91.91		
कुल-8673	₹. -	-	1,19,04,12.47	1,19,04,12.47	₹. -		
	₹. 3,83,91.91				₹. 3,83,91.91		
कुल-(ग)- अन्य लेखा	₹. 0.02	-	1,19,04,12.47	1,19,04,12.47	₹. 0.02		
	₹. 3,89,01.47				₹. 3,89,01.47		

§ निवेश का ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)						
ठ- उचंत एवं विविध-(समाप्त)						
(ख) उचंत-(समाप्त)						
(ङ) विविध-						
8680- विविध सरकारी लेखे-						
102- लेखा शीर्ष के अंत शेष से बढ़े खाते में डालना	-	-	22.04 (क)	-	-	-
कुल- 8680						
कुल-(ङ) विविध			22.04			
कुल-ठ - उचंत एवं विविध क्रे.	2,03,71.20	-	1,26,54,92.64	1,27,37,49.48	क्रे. 1,21,14.36 (ख)	
डे.	7,33,15.65				डे. 7,33,15.65	
ड-प्रेषण-						
(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-						
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों						
101- कोषागारों एवं करेंसी चेस्ट्स के मध्य रोकड़ प्रेषण	-	-	-	-	-	-
क्रे.	57,61.34	-	-	-	क्रे. 57,61.34	
102- लोक निर्माण प्रेषण	-	-	-	-	-	-
क्रे.	4,60,41.57	-	-	-	क्रे. 4,60,41.57	
103- वन प्रेषण	-	-	-	-	-	-
क्रे.	52,85.62	-	-	-	क्रे. 52,85.62	
104- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रेषण	-	-	-	-	-	-
डे.	11,19.77	-	-	-	डे. 11,19.77	
108- अन्य विभागीय प्रेषण	-	-	-	-	-	-
क्रे.	1,87,06.55	-	-	-	क्रे. 1,87,06.55	

(क) मुख्य शीर्ष-6003-'आंतरिक ऋण' को डेबिट द्वारा सरकारी लेखा के निकट राशि को प्रस्तुत करता है।

(ख) मुख्य शीर्ष-6003-'आंतरिक ऋण' को डेबिट द्वारा सरकारी लेखा के निकट राशि ₹ 22.04 लाख को सम्मिलित नहीं करता है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2021 तक	वर्ष 2020-21* के दौरान
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)
		को आंबटित राशि				राशि प्रतिशत
						(₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)						
ड-प्रेषण-(जारी)						
(क) धनादेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त)						
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले						
110- विविध प्रेषण	₹. 13,98,23.60	-	19,92,39.93	27,58,06.71	₹. 6,32,56.82	
	₹. 21,09,99.12				₹. 21,09,99.12	
कुल-8782	₹. 13,98,23.60	-	19,92,39.93	27,58,06.71	₹. 6,32,56.82	
	₹. 28,56,74.43				₹. 28,56,74.43	
कुल-(क)- धनादेश एवं अन्य प्रेषण	₹. 13,98,23.60	-	19,92,39.93	27,58,06.71	₹. 6,32,56.82	
	₹. 28,56,74.43				₹. 28,56,74.43	
(ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन-						
8786- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य लेखा	₹. -	-	-	-	₹. -	
	₹. 5,46.43				₹. 5,46.43	
कुल-8786	₹. -	-	-	-	₹. -	
	₹. 5,46.43				₹. 5,46.43	
8793- अंतरराज्यीय उंचत लेखा-	₹. 7.10	-	2.51	(-)1,83.21	₹. 1,92.82	
	₹. 3,79.44				₹. 3,79.44	
कुल-8793	₹. 7.10	-	2.51	(-)1,83.21	₹. 1,92.82	
	₹. 3,79.44				₹. 3,79.44	

(क) आग में अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण मार्च 1977 से पूर्व अयोजित किए गए शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण कठिन है, मामला अभी भी जांच के अधीन है (दिसम्बर 2020)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(समाप्त)						
ड-प्रेषण-(समाप्त)						
कुल-(ख)- अंतर सरकार समायोजन लेखा	क्रे. 7.10	-	2.51	(-)1,83.21	क्रे. 1,92.82	
	डे. 9,25.87				डे. 9,25.87	
कुल-ड - प्रेषण	क्रे. 13,98,30.70	-	19,92,42.44	27,56,23.50	क्रे. 6,34,49.64	
	क्रे. 28,47,48.56				क्रे. 28,47,48.56	
कुल-भाग- III-लोक लेखा			2,48,33,59.64	2,33,69,66.58		
कुल-भाग I, भाग II और भाग III- प्राप्तियाँ/ संवितरण			12,00,89,15.91	12,01,23,75.55		
ढ- रोकड़ शेष- 8999-रोकड़ शेष (क)			14,82,28.24	14,47,68.60		
			(-)4,41,95.18	(-)4,41,95.18		
कुल योग			12,15,71,44.15	12,15,71,44.15		
(क) आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेषों का सार						
			(₹ लाख में)			
	आरंभिक शेष			अंत शेष		
(i) कोषागारों में रोकड़	6,76.64			6,76.64		
(ii) बैंक में रोकड़	21,01.92			21,01.92		
(iii) आरबीआई के पास जमा	14,82,28.24			14,47,68.60 (ख)		
	(-)4,69,73.74			(-)4,69,73.74		
कुल	14,82,28.24			14,47,68.60		
	(-)4,41,95.18			(-)4,41,95.18		

(ख) रिजर्व बैंक के पास जमा के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है जिसमें 10 अप्रैल तक भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शनुसार सरकारी समायोजन शामिल है। लेखाओं में, जैसा कि ऑफ़िसे प्रतिबिंबित हुए हैं, के मध्य ₹ 58.03 लाख

(क्रे) का निवल अंतर है, (₹ 14,47,68.60 लाख (डे) और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है (₹ 14,48,26.63 लाख (क्रे))। यह अंतर आरबीआई के साथ-साथ संघ शासित सरकार के समायोजन के अधीन है (अगस्त 2021)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2021 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	₹.	क्र.			
(क) 8658- उचंत लेखा-					
1 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत					
(i) सीपीएओ, नई दिल्ली	55,51.75	-			बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	3,22,39.34	4,71.59		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
(ii) अन्य	1,14.87	0.79	ये बहुत पुराने शेष हैं, अतः संव्यवहारों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है।		समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी।
	81,33.38	59,74.19		1976-77	
2 102- उचंत लेखा (सिविल)					
(i) सीडीए, पेन्शन, इलाहाबाद	1,03.85	-	राज्य/ संघ शासित सरकार द्वारा रक्षा पेन्शनभोगियों को किया गया भुगतान।		निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
	22,45.79	10,91.52		2003-04	
(ii) सीडीए (डब्ल्यूसी), चण्डीगढ़	6.76	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।		बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा
	1,86.01	-		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
(iii) सीडीए (एससी), पुणे	0.02	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।		बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	88.43	80.02		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)
(₹ लाख में)

क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2021 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	₹.	क्र.			
(क) 8658- उचंत लेखा - (जारी)					
102- उचंत लेखा (सिविल)-(जारी)					
(iv) सीडीए (एनसी), जम्मू	1,09.22	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	5,56.98	2,53.49			
(v) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	9.97	-	उत्तर रेलवे के पेन्शनभोगियों को पेन्शन का भुगतान किया गया।	1998-99	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	3,71.27	9.29			
(vi) पीएण्डटी, कपूरथला	-	-	प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण संव्यवहार।	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	11,13.98	67.13			
(vii) अन्य	45,67.43	2,43,92	पुराना शेष मामला संबंधित अभिकरणों के साथ पत्राचाराधीन।	1976-77	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	3,22,40.13	2,73,89.90			

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)
(₹ लाख में)

क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2021 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	डे.	क्रे.			
(क) 8658- उचंत लेखा-(जारी)					
3 107- रोकड़ समायोजन उचंत लेखा (सिविल)	- 6,69.05	-	लोक/ निर्माण प्रभागों के मध्य स्टॉक/ सेवा संव्यवहारों का अंतिम रोकड़ समायोजन लंबित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
4 110- रिजर्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा	16.11 1,59.27	5.40 4,63.00	वर्ष 2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
5 110- रिजर्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा	91.31 5,34.17	8.01 3,82.26	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
6 112- स्रोत पर कर कटौती	- -	2,20,99.89 1,09,96.60	सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर आदि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ।	2009-10	बकाया क्रेडिट की सीमा तक रोकड़ शेष निकासी पर कम होगा।
7 113- भविष्य निधि उचंत	- 2,25.35	-	सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)
(₹ लाख में)

क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2021 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	₹.	क्र.			
(क) 8658- उचंत लेखा-(समाप्त)					
8 123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	1,69.70	-	केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कटौती/ वसूलियों को समायोजित करती है।	1976-77	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
9 139-जीएसटी स्रोत उचंत पर कर कटौती	1,02.52	5,15.08	केन्द्र और राज्यों/ संघ शासित सरकारों के प्रति सीजीएसटी/ एसजीएसटी/ आईजीएसटी का समायोजन।	2019-20	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
(ख) 8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन					
1 102- लोक निर्माण प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चैकों को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट	1976-77	रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
2 103- वन प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) वन चैक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती है।	1976-77	रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2021 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	डे.	क्रे.			
(ख) 8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त)					
3 108- अन्य विभागीय प्रेषण	-	-	यह शीर्ष उन विभागों जैसे उत्पाद शुल्क इत्यादि द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण संव्यवहार की सुविधा प्रदान की जाती है।	1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
	-	1,87,06.55			
110- विविध प्रेषण	-	6,32,56.82	यह शीर्ष उन विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण लेन देन की सुविधा प्रदान की गयी होती है।	1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
	-	21,09,99.12			
1 8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	-	1,92.82	पेंशन/ टीए इत्यादि के कारण किए गए भुगतान को निरूपित करता है।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	4,01.64	22.20			

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि			31 मार्च 2021 को शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
ज आरक्षित निधियाँ-						
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	(-),1,76,90.33		(-),1,76,90.33	16,32.08	-	16,32.08
	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण कोष	4,08,37.26	-	4,08,37.26	7,65,57.14	-	7,64,57.14
	-		-	-	-	-
कुल-क- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	2,31,46.93		2,31,46.93	7,80,89.22	-	7,80,89.22
	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8222- ऋण-शोधन निधियाँ-						
	-	-	-	55,63.00	-	55,63.00
	3,55,86.76		3,55,86.76	3,55,86.76		3,55,86.76
कुल-8222	-	-	-	55,63.00	-	55,63.00
	3,55,86.76		3,55,86.76	3,55,86.76		3,55,86.76
8223- अकाल राहत कोष-						
101- अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-
	8,66.96		8,66.96	8,66.96		8,66.96
कुल-8223	-	-	-	-	-	-
	8,66.96		8,66.96	8,66.96		8,66.96
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण-						
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास						
	-	-	-	-	-	-
	5,73,79.34		5,73,79.34	5,73,79.34		5,73,79.34
102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	-	-	-	-	-	-
	72,85.99		72,85.99	72,85.99		72,85.99
कुल-8226	-	-	-	-	-	-
	6,46,65.33		6,46,65.33	6,46,65.33		6,46,65.33

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड अंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि			31 मार्च 2021 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
ज आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-						
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	-	-	-	-	-	-
	40,52.06		40,52.06	40,52.06		40,52.06
109- सहकारी विकास निधियाँ	-	-	-	-	-	-
	0.1		0.1	0.10		0.10
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	(-)50,88.29	-	(-)50,88.29	(-)90,38.38	-	(-)90,38.38
	3,03,32.77		3,03,32.77	3,03,32.77		3,03,32.77
कुल-8229	(-)50,88.29	-	(-)50,88.29	(-)90,38.38	-	(-)90,38.38
	3,43,84.93		3,43,84.93	3,43,84.93		3,43,84.93
8235- सामान्य और आरक्षित निधियाँ-						
105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	4,03.58	-	4,03.58	20,12.31	-	20,12.31
	41,19.21		41,19.21	41,19.21		41,19.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	1,00.00	-	1,00.00	2,00.00	-	2,00.00
	20,42.00		20,42.00	20,42.00		20,42.00
200- अन्य निधियाँ	1,32.61	-	1,32.61	2,87.46	-	2,87.46
	1,17,29.72		1,17,29.72	1,17,29.72		1,17,29.72
कुल-8235	6,36.19	-	6,36.19	24,99.77	-	24,99.77
	1,78,90.93		1,78,90.93	1,78,90.93		1,78,90.93
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	(-)44,52.10	-	(-)44,52.10	(-)9,75.61	-	(-)9,75.61
	15,33,94.91		15,33,94.91	15,33,94.91		15,33,94.91
कुल-ज- आरक्षित निधियाँ	1,86,94.83		1,86,94.83	7,71,13.61	-	7,71,13.61
	27,94,56.96	10,86.07	28,05,43.03	27,94,56.96	10,86.07	28,05,43.03

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि			31 मार्च 2021 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
ट-जमाएं एवं अग्रिम-						
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-						
8336- सिविल जमाएं-						
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	2,95,06.46	-	2,95,06.46	4,75,25.64	-	4,75,25.64
	-	-	-	-	-	-
कुल-8336	2,95,06.46	-	2,95,06.46	4,75,25.64	-	4,75,25.64
	-	-	-	-	-	-
कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली जमाएं	2,95,06.46	-	2,95,06.46	4,75,25.64	-	4,75,25.64
	-	-	-	-	-	-
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-						
8449- अन्य जमाएं-						
103- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी	25,30.34	-	25,30.34	77,34.39	-	77,34.39
	5,73,32.93		5,73,32.93	5,73,32.93		5,73,32.93
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमाएं	4.91	-	4.91	33.17	-	33.17
	29.57		29.57	29.57		29.57
कुल-8449	25,35.25	-	25,35.25	77,67.56	-	77,67.56
	5,73,62.50		5,73,62.50	5,73,62.50		5,73,62.50
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	25,35.25	-	25,35.25	77,67.56	-	77,67.56
	5,73,62.50		5,73,62.50	5,73,62.50		5,73,62.50
कुल ट- जमाएं एवं अग्रिम	3,20,41.71	-	3,20,41.71	5,52,93.20	-	5,52,93.20
	5,73,62.50		5,73,62.50	5,73,62.50		5,73,62.50
कुल योग	5,07,36.54		5,07,36.54	13,24,06.81	-	13,24,06.81
	33,68,19.46	10,86.07	33,79,05.53	33,68,19.46	10,86.07	33,79,05.53

(क) ऑफ़ डे मिलानाधीन हैं (अगस्त 2021)।

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

ऋण शोधन निधि का ब्योरा

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का वर्णन	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	राजस्व से विनियोजित राशि का जोड़	निवेश पर ब्याज जोड़	कुल	प्रतिभूतियों के क्रय पर प्रदत्त ब्याज	वर्ष के दौरान कम उन्मोचन	ऋण की परिपक्वता पर विविध सरकारी लेखा में हस्तांतरित	31 मार्च 2021 को शेष	अभ्युक्तियाँ
									(₹ लाख में)
ऋण शोधन निधि	-	55,63.00	-	55,63.00	-	-	-	55,63.00	-
	3,55,86.76	-	-	3,55,86.76	-	-	-	3,55,86.76	-

ऋण शोधन निधि निवेश लेखा का ऋण परिशोधन विवरण

ऋण का वर्णन	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	प्रतिभूतियों का क्रय	कुल	प्रतिभूतियों का विक्रय	31 मार्च 2021 को शेष	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
							(₹ लाख में)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गयी है (31 मार्च 2021)।

भाग-II

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-								
सामान्य प्रशासन	2012-	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	-	-	7,52.99	-	-	2,44.94
			7,52.99			2,44.94		
	2015-	चुनाव	26.29	-	26.29	6.73	-	6.73
	2051-	लोक सेवा आयोग	-	-	6,73.45	-	-	2,04.99
			673.45			2,04.99		
	2052-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,05,02.45	-	1,05,02.45	34,33.47	-	34,33.47
	2062-	सतर्कता	46,85.25	-	46,85.25	15,60.24	-	15,60.24
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,82.49	-	3,82.49	1,25.41	-	1,25.41
	2251-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	36,39.51	-	36,39.51	11,99.72	-	11,99.72
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,77.64	-	1,77.64	40.05	-	40.05
	3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	64,27.16	-	64,27.16	23,70.96	-	23,70.96
3452-	पर्यटन	5,14.77	-	5,14.77	1,80.53	-	1,80.53	
कुल-सामान्य सेवाएं			2,63,55.56	-	2,77,82.00	89,17.11	-	93,67.04
			14,26.44			4,49.93		
गृह	2055-	पुलिस	54,90,70.82	-	54,90,70.82	22,38,95.87	-	22,38,95.87
	2056-	कारावास	63,14.33	-	63,14.33	26,68.14	-	26,68.14
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,48,81.61	-	2,48,81.61	1,08,85.90	-	1,08,85.90
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,14.65	-	6,14.65	2,68.77	-	2,68.77
कुल-गृह			58,08,81.41	-	58,08,81.41	23,77,18.68	-	23,77,18.68
योजना	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,72.16	-	3,72.16	1,05.15	-	1,05.15
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	63,52.31	-	63,52.31	27,95.50	-	27,95.50
कुल-योजना			67,24.47	-	67,24.47	29,00.65	-	29,00.65

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
सूचना	2220-	सूचना एवं प्रचार	25,27.45	-	25,27.45	10,34.43	-	10,34.43
कुल-सूचना			25,27.45	-	25,27.45	10,34.43	-	10,34.43
विद्युत विकास	2801-	विद्युत	7,31.43	-	7,31.43	65,74.71	-	65,74.71
कुल-विद्युत विकास			7,31.43	-	7,31.43	65,74.71	-	65,74.71
शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	76,98,62.20	-	76,98,62.20	36,31,80.82	1,80.29	36,33,61.11
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	9,84.10	-	9,84.10	2,62.43	-	2,62.43
कुल-शिक्षा			77,08,29.30	-	77,08,29.30	36,34,43.25	1,80.29	36,36,23.54
वित्त	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	2,74.07	-	2,74.07	1,14.53	-	1,14.53
	2039-	राज्य उत्पाद शुल्क	23,81.18	-	23,81.18	13,77.52	-	13,77.52
	2040-	बिक्री कर	1,08.30	-	1,08.30	35.20	-	35.20
	2043-	राज्य वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	76,73.50	-	76,73.50	29,39.16	-	29,39.16
	2045-	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	26.61	-	26.61	18.29	-	18.29
	2054-	कोषागार और लेखे प्रशासन	1,34,56.34	-	1,34,56.34	1,79,84.44	-	1,79,84.44
कुल-वित्त			2,39,20.00	-	2,39,20.00	2,24,69.14	-	2,24,69.14
संसदीय मामले	2011-	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	18,81.07	-	18,81.07	6,52.67	-	6,52.67
कुल-संसदीय मामले			18,81.07	-	18,81.07	6,52.67	-	6,52.67

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
विधि	2014-	न्याय प्रशासन	1,73,53.53	-	2,21,15.71	73,28.80	-	90,45.41
			47,62.18			17,16.61		
	2015-	चुनाव	11,52.31	-	11,52.31	12,31.37	-	12,31.37
	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	1,22.49	-	1,22.49	50.24	-	50.24
	2041-	वाहनों पर कर	75.70	-	75.70	31.52	-	31.52
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	44.03	-	44.03	22.71	-	22.71
2230-	श्रम एवं रोजगार	59.90	-	59.90	25.77	-	25.77	
कुल-विधि			1,88,07.96	-	2,35,70.14	86,90.41	-	1,04,07.02
			47,62.18			17,16.61		
उद्योग और वाणिज्य	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	1,53,75.68	-	1,53,75.68	72,75.73	-	72,75.73
	2853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	52,07.32	-	52,07.32	21,93.08	-	21,93.08
कुल-उद्योग और वाणिज्य			2,05,83.00	-	2,05,83.00	94,68.81	-	94,68.81
कृषि	2029-	भू-राजस्व	3,09.06	-	3,09.06	1,47.50	-	1,47.50
	2250-	अन्य समाज सेवाएं	1,59.05	-	1,59.05	74.50	-	74.50
	2401-	फसल पैदावार	3,85,02.59	-	3,85,02.59	1,77,64.75	-	1,77,64.75
	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	21,78.23	-	21,78.23	10,78.62	-	10,78.62
	2403-	पशुपालन	6,51.82	-	6,51.82	3,18.60	-	3,18.60
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	76,21.45	-	76,21.45	37,47.00	-	37,47.00
	2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3,26.83	-	3,26.83	1,68.04	-	1,68.04
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	9,56.64	-	9,56.64	4,61.72	-	4,61.72
	2705-	कमान क्षेत्र विकास	29,56.54	-	29,56.54	13,52.22	-	13,52.22
2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	97,50.34	-	97,50.34	44,34.04	-	44,34.04	
कुल-कृषि			6,34,12.55	-	6,34,12.55	2,95,46.99	-	2,95,46.99
पशु/ भेड़पालन	2403-	पशुपालन	4,71,33.16	-	4,71,33.16	2,44,42.55	-	2,44,42.55
कुल-पशु/ भेड़पालन			4,71,33.16	-	4,71,33.16	2,44,42.55	-	2,44,42.55

परिशिष्ट-I-(जारी)								
वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)								
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)								
विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
राजस्व	2053-	जिला प्रशासन	4,35,18.04	-	4,35,18.04	1,57,52.69	-	1,57,52.69
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,10.07	-	1,10.07	33.28	-	33.28
	2250-	अन्य समाज सेवाएं	1,14.38	-	1,14.38	25.78	-	25.78
	2401-	फसल पैदावार	-	-	-	-	51.95	51.95
कुल-राजस्व			4,37,42.49	-	4,37,42.49	1,58,11.75	51.95	1,58,63.70
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	2408-	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	1,38,88.32	-	1,38,88.32	64,62.15	-	64,62.15
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9,08.43	-	9,08.43	3,89.04	-	3,89.04
कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले			1,47,96.75	-	1,47,96.75	68,51.19	-	68,51.19
लोक निर्माण	2059-	लोक निर्माण	5,88,40.02	-	5,88,40.02	2,52,58.30	-	2,52,58.30
	3054-	सड़कें एवं पुल	18.29	-	18.29	9.15	-	9.15
कुल-लोक निर्माण			5,88,58.31	-	5,88,58.31	2,52,67.45	-	2,52,67.45
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2210-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	24,62,58.70	1.30	24,62,60.00	10,76,31.11	2.10	10,76,33.21
	2211-	परिवार कल्याण	29,71.26	1,17,73.74	1,47,45.00	10,91.42	63,41.81	74,33.23
कुल-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			24,92,29.96	1,17,75.04	26,10,05.00	10,87,22.53	63,43.91	11,50,66.44
समाज कल्याण	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,79.55	-	1,79.55	39.60	-	39.60
	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	6,13.42	-	6,13.42	3,02.39	-	3,02.39
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	52,36.25	18,20.05	70,56.30	24,30.04	4,46.32	28,76.36
	2236-	पोषण	41,56.90	41,94.30	83,51.20	30,88.03	13,54.58	44,42.61
कुल-समाज कल्याण			1,01,86.12	60,14.35	1,62,00.47	58,60.06	18,00.90	76,60.96
आवास एवं शहरी विकास विभाग	2217-	शहरी विकास	65,63.96	-	65,63.96	35,00.57	-	35,00.57
कुल-आवास एवं शहरी विकास विभाग			65,63.96	-	65,63.96	35,00.57	-	35,00.57

परिशिष्ट-I-(जारी)								
वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)								
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)								
विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
पर्यटन	3452-	पर्यटन	33,42.84	-	33,42.84	15,33.73	-	15,33.73
कुल-पर्यटन			33,42.84	-	33,42.84	15,33.73	-	15,33.73
वन	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	47,82.06	-	47,82.06	24,14.74	-	24,14.74
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	6,65,76.62	-	6,65,76.62	2,99,15.80	-	2,99,15.80
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	28,10.63	-	28,10.63	11,36.63	-	11,36.63
कुल-वन			7,41,69.31	-	7,41,69.31	3,34,67.17	-	3,34,67.17
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2700-	मुख्य सिंचाई	3,50.80	-	3,50.80	1,73.85	-	1,73.85
	2701-	मध्यम सिंचाई	27,92.07	-	27,92.07	12,18.43	-	12,18.43
	2702-	लघु सिंचाई	3,26,66.50	-	3,26,66.50	1,38,35.48	-	1,38,35.48
	2711-	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	88,03.45	-	88,03.45	38,21.83	-	38,21.83
कुल-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			4,46,12.82	-	4,46,12.82	1,90,49.59	-	1,90,49.59
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2055-	पुलिस	5,79.42	-	5,79.42	2,90.66	-	2,90.66
	2215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	10,25,02.13	-	10,25,02.13	3,77,76.93	-	3,77,76.93
कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी			10,30,81.55	-	10,30,81.55	3,80,67.59	-	3,80,67.59
आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2055-	पुलिस	18,18.18	-	18,18.18	8,79.49	-	8,79.49
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20,36.75	-	20,36.75	8,55.13	-	8,55.13
	2216-	आवास	37,51.61	-	37,51.61	15,85.95	-	15,85.95
कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल			76,06.54	-	76,06.54	33,20.57	-	33,20.57
श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	29,36.09	-	29,36.09	22,50.24	-	22,50.24
	2230-	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	33,00.85	-	33,00.85	13,75.57	-	13,75.57
कुल-श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण			62,36.94	-	62,36.94	36,25.81	-	36,25.81
मत्स्यपालन	2405-	मत्स्यपालन	83,02.85	-	83,02.85	35,77.74	-	35,77.74
कुल-मत्स्यपालन			83,02.85	-	83,02.85	35,77.74	-	35,77.74

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
उच्चतर शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	4,90,45.48	-	4,90,45.48	2,11,25.68	-	2,11,25.68
	2203-	तकनीकी शिक्षा	16,00.92	-	16,00.92	7,45.45	-	7,45.45
कुल-उच्चतर शिक्षा			5,06,46.40	-	5,06,46.40	2,18,71.13	-	2,18,71.13
ग्रामीण विकास	2236-	पोषण	5,58.19	-	5,58.19	2,64.27	-	2,64.27
	2501-	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	22,29.09	-	22,29.09	17,93.88	31.32	18,25.20
	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,70,00.74	-	3,70,00.74	1,76,72.78	-	1,76,72.78
कुल-ग्रामीण विकास			3,97,88.02	-	3,97,88.02	1,97,30.93	31.32	1,97,62.25
परिवहन	2041-	वाहनों पर कर	14,09.42	-	14,09.42	7,51.93	-	7,51.93
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	37,67.00	-	37,67.00	16,30.99	-	16,30.99
कुल-परिवहन			51,76.42	-	51,76.42	23,82.92	-	23,82.92
जनजातीय मामले	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और	12,00.97	-	12,00.97	5,17.76	-	5,17.76
कुल-जनजातीय मामले			12,00.97	-	12,00.97	5,17.76	-	5,17.76
संस्कृति	2202-	शिक्षा	3,22.05	-	3,22.05	1,38.40	-	1,38.40
	2205-	कला और संस्कृति	17,28.80	-	17,28.80	8,09.16	-	8,09.16
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	62.82	-	62.82	35.25	-	35.25
कुल-संस्कृति			21,13.67	-	21,13.67	9,82.81	-	9,82.81
उद्यान कृषि	2236-	पोषण	3,85.57	-	3,85.57	1,63.39	-	1,63.39
	2401-	फसल पैदावार	85,31.12	-	85,31.12	37,11.90	-	37,11.90
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	23,50.00	-	23,50.00	10,08.56	-	10,08.56
कुल-उद्यान कृषि			1,12,66.69	-	1,12,66.69	48,83.85	-	48,83.85

परिशिष्ट-I-(समाप्त)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त)								
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण	2055-	पुलिस	1,46,66.59	-	1,46,66.59	73,50.62	-	73,50.62
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20.15	-	20.15	12.87	-	12.87
	2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	59.67	12.93	72.60	24.37	-	24.37
कुल-आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण			1,47,46.41	12.93	1,47,59.34	73,87.86	-	73,87.86
युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	2203-	तकनीकी शिक्षा	88,29.23	-	88,29.23	33,07.55	-	33,07.55
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	2,69,60.43	-	2,69,60.43	1,20,77.59	-	1,20,77.59
	2230-	श्रम एवं रोजगार	8,60.26	-	8,60.26	3,47.04	-	3,47.04
कुल-युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा			3,66,49.92	-	3,66,49.92	1,57,32.18	-	1,57,32.18
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	9,52.45	-	9,52.45	3,78.29	-	3,78.29
कुल-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			9,52.45	-	9,52.45	3,78.29	-	3,78.29
सहकारी	2425-	सहकारिता	39,76.28	-	39,76.28	17,80.29	-	17,80.29
कुल-			39,76.28	-	39,76.28	17,80.29	-	17,80.29
कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)			2,36,10,35.03	1,78,02.32	2,38,50,25.97	1,06,01,63.17	84,08.37	1,07,07,38.08
			61,88.62			21,66.54		
व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-								
योजना	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	16.53	-	16.53	-	-	-
कुल-योजना			16.53	-	16.53	-	-	-
कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)			16.53	-	16.53	-	-	-
कुल-योग-वेतन पर व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा)			2,36,10,51.56	1,78,02.32	2,38,50,42.50	1,06,01,63.17	84,08.37	1,07,07,38.08
			61,88.62			21,66.54		

परिशिष्ट-II

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-2020 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल
व्यय शीर्ष- (राजस्व लेखा)						(₹ लाख में)		
कृषि	2402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण पर सहायिकी	-	19.27	19.27	-	-	-
		कुल-कृषि	-	19.27	19.27	-	-	-
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	-	19.27	19.27	-	-	-
व्यय शीर्ष- (पूँजीगत लेखा)-								
उद्योग एवं वाणिज्य	4851-102-0407	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों पर सहायिकी	-	-	-	90.65	-	90.65
	4851-103-0367	हथकरघा उद्योगों पर सहायिकी	-	-	-	0.05	-	0.05
	4851-104-0363	हस्तशिल्प उद्योगों पर सहायिकी	-	-	-	12,74.98	-	12,74.98
		कुल-उद्योग एवं वाणिज्य	-	-	-	13,65.68	-	13,65.68
कृषि	4401-103-0081	बीजों के क्रय पर सहायिकी	-	-	-	-	25.55	25.55
	4401-103-2221	तिलहनों के विकास पर सहायिकी	-	7.25	7.25	-	12.22	12.22
	4401-108-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	-	4,86.58	4,86.58	-	5,29.83	5,29.83
	4401-113-0054	उन्नत कृषि सुधारों पर सहायिकी	-	30.88	30.88	-	1.76	1.76
	4401-800-0061	निदेशक कृषि कश्मीर हेतु सहायिकी	-	-	-	0.03	-	0.03
	4401-800-2191	कृषि विस्तारण एवं प्रशिक्षण पर सहायिकी	-	-	-	-	0.10	0.10

परिशिष्ट-II-(समाप्त)

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)
(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21			2019-2020 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल
व्यय शीर्ष- (पूँजीगत लेखा)-(समाप्त)								(₹ लाख में)
कृषि	4401-800-2417	कृषि विस्तारण एवं प्रशिक्षण पर सहायिकी	-	4.00	4.00	-	-	-
	4401-800-2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सहायिकी	-	8.73	8.73	-	1,90.00	1,90.00
	4401-800-2449	कृषि सिंचाई योजना पर सहायिकी	-	15,53.27	15,53.27	-	1,51.84	1,51.84
	4402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी	-	46.30	46.30	-	-	-
		कुल-कृषि	-	21,37.01	21,37.01	0.03	9,11.30	9,11.33
उद्यान कृषि	4401-119-2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	-	-	-	1,29.10	1,29.10
	4401-119-2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	1,04,83.20	1,04,83.20	-	63,62.58	63,62.58
	4401-800-0222	राष्ट्रीय उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम पर सहायिकी	9.99	-	9.99	-	-	-
		कुल- उद्यान कृषि	9.99	1,04,83.20	1,04,93.19	-	64,91.68	64,91.68
परिवहन	5055-102-1317	पुराने बेड़े के पुनर्स्थापन पर सहायिकी	1,75.00	-	1,75.00	-	-	-
		कुल-परिवहन	1,75.00	-	1,75.00	-	-	-
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	1,84.99	1,26,20.21	1,28,05.20	13,65.71	74,02.98	87,68.69
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)	1,84.99	1,26,39.48	1,28,24.47	13,65.71	74,02.98	87,68.69

परिशिष्ट-III

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान											
(संस्थान-वार और योजना-वार)											
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)											
जम्मू नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	2,03,45.63	-	2,03,45.63	-	72,98.07	-	72,98.07	-	
श्रीनगर नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	2,98,69.20	-	2,98,69.20	-	92,51.00	-	92,51.00	-	
शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	2,30,95.83	-	2,30,95.83	-	72,86.09	-	72,86.09	-	
शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	1,25,36.39	-	1,25,36.39	-	48,89.99	-	48,89.99	-	
शहरी विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	69.24	-	69.24	-	13.62	-	13.62	-	
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	9,85.27	-	9,85.27	-	5,01.64	-	5,01.64	-	
डल विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	32,50.00	-	32,50.00	-	12,95.00	-	12,95.00	-	

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट-III-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान											
(संस्थान-वार और योजना-वार)											
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)											
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर	बजटीय सहायता	सामान्य	2,62,99.32	-	2,62,99.32	-	1,72,13.00	-	1,72,13.00	-	
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बजटीय सहायता	सामान्य	1,23,29.52	-	1,23,29.52	-	62,81.00	-	62,81.00	-	
जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	बजटीय सहायता	सामान्य	28,79.50	-	28,79.50	-	16,40.00	-	16,40.00	-	
जम्मू एवं कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	बजटीय सहायता	सामान्य	5,10.00	-	5,10.00	-	19,28.14	-	19,28.14	-	
जम्मू विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	22,43.25	-	22,43.25	-	9,96.00	-	9,96.00	-	
जम्मू विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	2,01,02.86	-	2,01,02.86	-	97,55.00	-	97,55.00	-	

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अगस्त 2021)

परिशिष्ट-III-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान											
(संस्थान-वार और योजना-वार)											
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/	2020-21			परिसंपत्तियों	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			परिसंपत्तियों	
		एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	
(₹ लाख में)											
कश्मीर विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	2,65,00.00	-	2,65,00.00	-	1,26,00.00	-	1,26,00.00	-	
अन्य विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	75,32.13	-	75,32.13	-	34,70.00	-	34,70.00	-	
गैर-सरकारी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	48,69.53	-	48,69.53	-	52,57.39	-	52,57.39	-	
गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	14,16.61	6,40,04.14	6,54,20.75	-	1,77,35.46	-	1,77,35.46	-	
अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	1,31.11	-	1,31.11	-	1,45.07	4,04.75	5,49.82	-	
विविध विकास प्राधिकरण	बजटीय सहायता	सामान्य	68,43.31	-	68,43.31	-	48,42.59	-	48,42.59	-	
प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	19,78.22	-	19,78.22	-	6,23.59	-	6,23.59	-	
जेएण्डके राज्य उच्च न्यायालय/ राज्य विधिक सेवाएं	बजटीय सहायता	सामान्य	12,20.64	-	12,20.64	-	8,08.38	-	8,08.38	-	

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट-III-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान										
(संस्थान-वार और योजना-वार)										
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/	2020-21			परिसंपत्तियों	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			परिसंपत्तियों
		एससीएसपी/	संघ शासित क्षेत्र		केन्द्रीय	के सृजन हेतु	संघ शासित क्षेत्र		केन्द्रीय	के सृजन हेतु
		सामान्य/	निधि व्यय	सहायता	कुल	कुल संस्वीकृति	निधि व्यय	सहायता	कुल	कुल
		एफसी/ ईएपी		(सीएसएस/		राशि, निर्माचित		(सीएसएस/		संस्वीकृति
				सीएस सहित)		राशि का (क)		सीएस सहित)		निर्माचित
										राशि का (क)
(₹ लाख में)										
समाज कल्याण	मरकज बहबूदी खवातीन	सामान्य	25.00	-	25.00	-	1,25.00	-	1,25.00	-
	मिस्कीन बाग की स्थापना									
	गुज्जर एवं बकरवाल आवास	सामान्य	1,48.24	-	1,48.24	-	24.76	-	24.76	-
	मिस्कीन बाग									
	एससी/ एसटी का कल्याण	सामान्य	-	-	-	-	-	51.47	51.47	-
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम	संचारण और वितरण	सामान्य	27,59,98.04	-	27,59,98.04	-	23,87,68.13	-	23,87,68.13	-
सहकारिता	बजटीय सहायता	सामान्य	1,25.00	-	1,25.00	-	2,25.00	-	2,25.00	-
चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	आयुष/ एनआरएचएम/ नये चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्यान्वयन	सामान्य	38,89.25	5,66,03.85	6,04,93.10	-	-	31,63.23	31,63.23	-
अन्य	बजटीय सहायता	सामान्य	3,18,35.63	1,55,49.53	4,73,85.16	-	1,01,53.25	3,31,50.94	4,33,04.19	-
		कुल	51,70,28.72	13,61,57.52	65,31,86.24	\$	36,31,27.17	3,67,70.39	39,98,97.56	\$

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अगस्त 2021)।

(\$) पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 61,59.02 लाख सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-IV

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्भुगतान की गयी राशि*		व्यय*			
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक		
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल						
																(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	2151- जेएण्डके में अवसरचना पुनर्वास हेतु आईएनडी बहुक्षेत्रक परियोजना	10,12,50.00	1,12,50.00	11,25,00.00												
एशियन विकास बैंक	2331-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	1,89,90.00	21,00.00	2,11,00.00												
एशियन विकास बैंक	2925-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-I एवं II	4,95,00.00	55,00.00	5,50,00.00												

* पूरे परिशिष्ट में सूचना लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक शेषों को दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों में अभी तक प्रभाजित किया जाना है (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

बाहय रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त)															
सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्भुगतान की गयी राशि*		व्यय*		
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
		अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	3132-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-III	32,40.00	3,60.00	36,00.00											
अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन	5695-आईएन झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना	(क)	(क)	(क)	96,25.53	10,69.50	1,06,95.03								

* पूरे परिशिष्ट में सूचना लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक शेषों को दो संघ शासित क्षेत्रों में अभी तक प्रभाजित किया जाना है(अगस्त 2021)।

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी।

परिशिष्ट-V

योजनाओं पर व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)

क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2020-21 (क)			वास्तविक 2020-21(क)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	व्यय			
							जीओआई निर्मोचन	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल (ख)
(₹ लाख में)										
1	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (90:10)	वन्य जीव सुरक्षा विभाग	सामान्य				80.93			
2	हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम (90:10)	हरित भारत कार्यक्रम	सामान्य				25,72.70			
3	कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	वन	सामान्य				74.99			
4	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता पर राष्ट्रीय परियोजना (90:10)	कृषि	सामान्य				5,92.27			
5	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- प्रति बूंद अधिक फसल (90:10)	कृषि	सामान्य	2,24,65.00	16,38.00	2,41,03.00	10,00.00	16,45.14	1,08.36	17,53.50
6	कृषि सिंचाई विकास और जलवायु परिवर्तन	कृषि	सामान्य				1,00.00			
7	कोविड-19 स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं (एचसीडब्ल्यू) तथा फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) का टीकाकरण	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामान्य				4,13.14			
8	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामान्य				3,40,99.00			
9	स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) (90:10)	आवास	सामान्य	3,00.00	-	3,00.00	24,88.91	-	-	-
10	मत्स्यपालन का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन		सामान्य				18,28.68			
11	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (90:10)	पशु रोग नियंत्रण	सामान्य	48,11.79	1,95.48	50,07.27	18,58.69	15,94.16	-	15,94.16
12	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	सामान्य	86,40.00	-	86,40.00	17,47.25	14,07.59	-	14,07.59
13	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)		सामान्य				23,78.51			
14	100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन (90:10)	आवास	सामान्य	-	-	-	1,36,00.00	1,36,00.00	-	1,36,00.00
15	राज्य/ यूटी की अन्य मंदा - पीएमएवाई शहरी (90:10)	आवास	सामान्य				1,52.63			
16	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन -500 शहर (90:10)	आवास	सामान्य				40.00			
(क)	यूटी सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)। तथापि, पूरे परिशिष्ट में विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण सं. 14 से लिये गये अंकड़े।									
(ख)	पूरे परिशिष्ट में वर्ष 2020-21 के दौरान पुनः वैधीकृत विगत वर्षों के अव्ययित शेषों को शामिल करता है।									

परिशिष्ट-V-(जारी)										
योजनाओं पर व्यय-(जारी)										
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)-(जारी)										
क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2020-21 (क)			वास्तविक 2020-21(क)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	जीओआई निर्माचन	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल (ख)
(₹ लाख में)										
17	कौशल का विकास (100)	पीएचवाई/ टीईसीएच	सामान्य	18,00.00	1,00.00	19,00.00	10,10.89	-	-	-
18	औद्योगिक मूल्य वृद्धि हेतु कौशल सशक्तिकरण		सामान्य				6,12.00			
19	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (100)	आरजीडब्ल्यूवाई	सामान्य	60,42.60	7,05.54	67,48.14	25,00.00	28,42.00	3,15.78	31,57.78
20	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना	दिव्यांग पेन्शन योजना	सामान्य	1,83.75	-	1,83.75	52.05	73.78	-	73.78
21	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना	वृद्धावस्था पेन्शन योजना	सामान्य	63,68.53	-	63,68.53	35,53.43	17,65.86	-	17,65.86
22	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	विधवा पेन्शन योजना	सामान्य	4,75.27	-	4,75.27	1,94.79	2,35.02	-	2,35.02
23	मध्याह्न भोजन (90:10)	मध्याह्न भोजन	सामान्य	2,86,72.07	14,01.62	3,00,73.69	1,59,60.26	1,24,92.90	6,62.47	1,31,55.37
24	समग्र शिक्षा (90:10)	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	20,22,50.72	2,81,17.15	23,03,67.8	3,04,58.24	6,05,19.23	-	6,05,19.23
25	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	परिवार लाभ योजना	सामान्य	21,60.00	-	21,60.00	17.46	36.80	-	36.80
26	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	एनआरएचएम	सामान्य	4,96,00.00	59,36.00	5,55,36.00	7,80,36.87	4,89,84.27	36,75.00	5,26,59.27
27	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (90:10)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामान्य				11,07.00			
28	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-जनजातीय (100)	टीएसपी	टीएसपी	-	60,47.54	60,47.54	8,05.44	9,66.34	-	9,66.34
29	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	जनजातीय	जनजातीय				2,06.51			
30	बाल सुरक्षा योजना (90:10)	आईसीपीएस	सामान्य	39,84.11	9,99.45	49,83.56	14,90.54	8,10.87	6,34.74	14,45.61
31	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)-राज्य घटक (90:10)	आवास	सामान्य	9,00.00	1,50.00	10,50.00	3,66.94	3,66.94	-	3,66.94
32	राष्ट्रीय शिशुशाला योजना (90:10)	समाज कल्याण	सामान्य	18,59.86	-	18,59.86	6,39.14	-	-	-
33	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) 90:10	योजना	सामान्य				10,07.24			
34	हर खेत को पानी	सिंचाई	सामान्य				96,68.64			
35	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	सिंचाई	सामान्य				20,00.00			

परिशिष्ट-V-(जारी)										
योजनाओं पर व्यय-(जारी)										
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं) -(जारी)										
क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2020-21 (क)			वास्तविक 2020-21 (ख)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	जीओआई निर्मोचन	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल (ख)
										(₹ लाख में)
36	आंगनवाडी सेवाएं (तत्कालीन कोर आईसीडीएस)	आईसीडीसी	सामान्य	6,25,66.19	99,59.75	7,25,25.94	2,89,02.02	3,06,51.42	85,17.68	3,91,69.10
37	राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित) (90:10)	आईसीपीएस	सामान्य	5,59.15	4,50.00	58,09.15	4,92.24	40,12.20	-	40,12.20
38	स्वाधार गृह	समाज कल्याण	सामान्य	32.00	25.00	57.00	27.77	27.77	-	27.77
39	एमजीएनआरईजीए (90.10)	एनआरईजीए	सामान्य	10,81,30.00	4,00,41.00	14,81,71.0	3,42,15.26	5,15,31.79	1,36,55.08	6,51,86.87
40	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (90:10)	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना	सामान्य				6,64.64			
41	किशोर बालिकाओं के राजीव गांधी योजना आरजीएसईएजी (90:10)	किशोर बालिकाओं के	सामान्य	6,55.34	1,10.65	7,65.99	23.04	7,97.98	-	7,97.98
42	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (90:10)	एनआरएलएम	सामान्य	2,82,89.00	4,00.00	2,86,89.00	1,31,92.17	67,61.45	9,29.53	76,90.98
43	राष्ट्रीय आयुष मिशन (90:10)	आयुष	सामान्य	18,92.72	4,00.00	22,92.72	22,85.75	9,62.48	39.00	10,01.48
44	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (90:10)	उच्चतर शिक्षा	सामान्य	3,00,00.00	11,70.94	3,11,70.94	4,13.02	-	1,65.47	1,65.47
45	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य	50,00.00	2,60.00	52,60.00	3,95.34	5,04.24	-	5,04.24
46	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य	54,00.00	6,00.00	60,00.00	72,18.06	1,28,73.04	1,33.29	1,30,06.33
47	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (90:10)	एनआरडीडबल्यूपी	सामान्य				53,72.49			
48	कृषि विस्तारण का उप-मिशन (एटीएमए) (90:10)	कृषि	सामान्य	-	6,82.11	6,82.11	8,07.47	-	2,48.41	2,48.41
49	कृषि यंत्रिकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) (90:10)	कृषि	सामान्य				7,00.00			
50	केन्द्रीय सड़क योजना (100)	पीडबल्यूडी (आरएण्डबी)	सामान्य	-	-	-	79,40.00	3,72.50	-	3,72.50
51	पुलिस बल का आधुनिकीकरण(100)	गृह	सामान्य	90,00.00	90,00.00	1,80,00.00	8,55,35.00	97.56	13,69.04	14,66.60
52	पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	सामान्य	50.00	-	50.00	1,00.00	-	-	-
53	बीज और पौध सामग्री पर उप मिशन	कृषि	सामान्य				8,41.79			
54	राष्ट्रीय वृत्ति सेवा	श्रम	सामान्य				54.85			

परिशिष्ट-V -(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:

क्र. सं. योजना का नाम-

	(₹ लाख में)
1 राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन	72,18.06
2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3,95.34
3 कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	74.99
4 मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता पर राष्ट्रीय परियोजना	5,92.27
5 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- प्रति बूंद अधिक फसल	10,00.00
6 कृषि सिंचाई विकास और जलवायु परिवर्तन	1,00.00
7 कृषि विस्तारण पर उप मिशन	8,07.47
8 कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	7,00.00
9 बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	8,41.79
10 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम	25,72.70
11 वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	80.93
12 कोविड-19 स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं (एचसीडब्ल्यू) तथा फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) का टीकारण	4,13.14
13 स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	3,40,99.00
14 एससी छात्रों हेतु पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	51,49.00
15 राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	22,85.75
16 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एआरएएम)	7,80,36.87
17 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	11,07.00
18 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	4,13.02
19 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	8,55,35.00
20 राष्ट्रीय वृत्ति सेवा	54.85
21 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	6,64.64
22 जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	53,72.49

परिशिष्ट-V -(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:- (जारी)

क्र. सं. योजना का नाम-

(₹ लाख में)

23	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)	24,88.91
24	मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	18,28.68
25	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	18,58.69
26	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	17,47.25
27	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,78.51
28	100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	1,36,00.00
29	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-राज्य घटक	3,66.94
30	राज्य/ यूटी घटक-पीएमएवाई शहरी की अन्य मदें	1,52.63
31	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर	40.00
32	कौशल विकास	10,10.89
33	औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण	6,12.00
34	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	25,00.00
35	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना	52.05
36	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	35,53.43
37	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	1,94.79
38	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीए)	3,42,15.26
39	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	17.46
40	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,31,92.17
41	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण	6,22,72.22
42	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	17,27,29.61
43	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	91,21.00
44	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	1,59,60.26

परिशिष्ट-V -(समाप्त)

योजनाओं पर व्यय-(समाप्त)

ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:- (समाप्त)

क्र. सं. योजना का नाम-

	(₹ लाख में)
45 समग्र शिक्षा	3,04,58.24
46 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	1,05.30
47 एससी छात्रों हेतु पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	2,60.37
48 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2,30.00
49 उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-जनजातीय	8,05.44
50 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	2,06.51
51 बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम एफएमबीएपी	10,07.24
52 हर खेत को पानी	96,68.64
53 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	20,00.00
54 राष्ट्रीय शिशुशाला योजना	6,39.14
55 आंगनवाडी सेवाएं (तत्कालीन कोर आईसीडीएस)	2,89,02.02
56 राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)	4,92.24
57 किशोर बालिकाओं हेतु योजना	23.04
58 बाल सुरक्षा सेवा	14,90.54
59 स्वाधार गृह	27.77
कुल योग	64,37,23.56

परिशिष्ट-VI

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2020-21 (क)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
		(₹ लाख में)	
योजना का नाम			
स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन(एआईएम)	विभिन्न सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,10.00	24.00
एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलर मार्जिन की अंतर्राज्यीय गतिशीलता हेतु राज्य एजेन्सियों को सहायता	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	1,37,84.68	-
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	महिलाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय, एमए रोड, श्रीनगर, एसकेआईएसएस, सौरा, श्रीनगर	68.00	-
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	3,20.52	1,41.90
स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु अवसरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	47.99	42.20
नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय	11,25.00	26,25.00
आर्थिक जनगणना	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	-	18.90
जोनोटिक रोगों और अन्य नेगेलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नियंत्रण और तैयारी हेतु एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य पहल अंतर क्षेत्रीय समन्वयन का सशक्तिकरण और स्थापना वायरल हेपेटाइटिस एन्टी माइक्रोबियल रिजिस्ट्रेंस की निगरानी	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/ श्रीनगर	3.96	-
ई-न्यायालय चरण-II	महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	1,00.12	-
अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ती अनुसंधान परियोजनाएं	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू	9.00	-

(क) आँकड़े दिनांक 26.04.2021 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

परिशिष्ट-VI-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2020-21 (क)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
		(₹ लाख में)	
उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और लोक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	उच्चतर शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर	-	5.65
मानव संसाधन और क्षमता विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	6.54	-
कृषि संगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग	3,13.78	-
लोक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	45.42	68.14
नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1,98.60	-
अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं	जिला विकास आयुक्त, जम्मू	1,03.58	-
पंचायत का प्रोत्साहनीकरण	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	60.00	5.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न जिला उपायुक्त	22,50.00	20,00.00
राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्त पोषित	परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	20.00	-
वन स्टॉप सेन्टर	उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2,18.84	73.36
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	7,50.11	12,04.84
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	7,08,83.40	2,63,62.32
प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1,50.00	-
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज पीएम-एफएमई	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	6,68.64	-
मूल्य अनुवीक्षण संरचना	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	3.42	-
प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों हेतु राहत और पुनर्वास	जम्मू एवं कश्मीर के उपायुक्त/ अपर उपायुक्त	-	26.50

(क) आँकड़े दिनांक 26.04.2021 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

परिशिष्ट-VI-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2020-21 (क)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
		(₹ लाख में)	
अल्पसंख्यकों हेतु विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन	सरकारी डिग्री महाविद्यालय सोपोर, कश्मीर	2.50	-
अनुसंधान प्रशिक्षण तथा अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1,04.65	9,54.66
दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं	अवर सचिव, दिव्यांगजनों हेतु आयुक्त, जम्मू	-	0.30
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	सरकारी डिग्री महाविद्यालय	13.50	-
लोक वितरण प्रणाली परिचालनों का सशक्तिकरण	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	-	1.35
पीडीएस के अंतर्गत भुगतान योग्य चीनी सहायिकी	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	2,08.26	-
सांख्यिकी सशक्तिकरण हेतु सहायता	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	1,37.75	-
महिला हैल्प लाइन	उपायुक्त, जम्मू	60.07	-
	कुल	9,17,68.33 (ख)	3,35,54.12

(क) आँकड़े दिनांक 26.04.2021 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्माचित ₹ 27,61,19.19 लाख की कुल राशि में से ₹ 9,17,68.33 लाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों तथा ₹ 18,43,50.86 लाख की राशि सरकार के विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों/ अन्य अधिष्ठानों

(केन्द्रीय अभिकरणों को ₹ 59,18.14 लाख शामिल) को हस्तांतरित की गयी है। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के पैरा 2 (xx) का संदर्भ लें।

परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में प्रदर्शित है)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष और संस्थान का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं	अंतर की राशि
----------	------------------------------	----------------------------------	--	--------------

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अधीनस्थ लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम और 202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम के विस्तृत लेखा को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शेषों को अभी तक संबंधित ऋणियों को सूचित किया जाना है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को अभी तक दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित (जून 2021) नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(ख) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे अंतर संबंधित हैं	अंतर की राशि	विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके साथ अंतर समाधानाधीन है	प्रतीक्षित दस्तावेज/ विवरण इत्यादि का ब्योरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)				
7610- सरकारी सेवकों को ऋण-				
201- आवास निर्माण अग्रिम	2002-03	1.30	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
202- मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	2002-03	7.64	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान

परिशिष्ट-VIII-(समाप्त)

सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम-(समाप्त)

(बोर्ड में आंकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम\$	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			व्याज रहित निवल राजस्व		व्याज प्राप्ति के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्तियाँ	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कुल खर्च	प्रत्यक्ष# अप्रत्यक्ष	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) पर अधिशेष (+) या राजस्व पर दर	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज राजस्व (-) पर अधिशेष (+) पर दर प्रतिशत	प्रत्यक्ष व्यय (+) पर राजस्व या अधिशेष (-) पर व्यय की अधिकता	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
5	जैनगीर नहर	-	-	-	8.75	2.01	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					773.54	51.45	824.99													
6	आजी नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1610.55	370.43	1980.98													
7	दादी नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2395.68	64.44	2460.12													
	कुल	-	-	-	8.75	2.01	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					29978.42	8658.32	38636.74													

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701-"मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

परिशिष्ट-IX

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	स्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू											
1	सिंचाई प्रभाग सं. 1 जम्मू के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बेलीचरण में पूरी तवी नदी पर बैराज (कृत्रिम झील) का अभिकल्प एवं निर्माण	6970.00	2009-10	2009-10	मार्च -21	83	0.00	5818.53	0.00	0.00	
2	ग्राम तलूर जिला सांबा के पास बसनतर नदी पर 1 नं. चैक डैम और संबद्ध कार्यों का निर्माण	1471.00	2017-18	2017-18	मार्च -21	96	0.00	1411.25	0.00	0.00	
3	जल संग्रहण योजना खुबुन (आईडी ऊधमपुर)	109.52	2011-12	2011-12	मार्च -21	79	0.00	86.15	0.00	0.00	
4	थानजर खुल (ऊधमपुर) का निर्माण	111.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	81	0.00	89.61	0.00	0.00	
5	सरल सलामाबाद खुल का निर्माण	174.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	73	0.00	126.82	0.00	0.00	
6	सलोतरी खुल का निर्माण	202.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	54	0.00	108.28	0.00	0.00	
7	साइकलू खुल का निर्माण	152.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	69	0.00	105.53	0.00	0.00	
8	बिजीवाली खुल का निर्माण	143.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	85	0.00	121.33	0.00	0.00	
9	जायनर बाउली खुल की डिस्टी प्रणाली का निर्माण (डी1, डी2)	111.72	2011-12	2011-12	मार्च -21	47	0.00	52.63	0.00	0.00	
10	डिंगला खुल का निर्माण (डिस्टी सं. 2 व 4)	188.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	88	0.00	165.11	0.00	0.00	
11	शाही खुल डिस्टी प्रणाली का निर्माण	188.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	56	0.00	104.69	0.00	0.00	
12	बनी में डग्गर मधोता खुल का निर्माण	148.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	78	0.00	114.78	0.00	0.00	
13	तहसील बिलवार में चैक डैम भीनी का निर्माण	2200.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	21	0.00	462.41	0.00	0.00	
14	तहसील बिलवार में चैक डैम तल्लीयन का निर्माण	393.10	2011-12	2011-12	मार्च -21	61	0.00	239.56	0.00	0.00	
15	एलआईएस राजवाल्टा का निर्माण	344.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	68	0.00	233.34	0.00	0.00	

\$ पूरे परिशिष्ट में सूटी सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)										
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू-(जारी)										
16	जल भण्डान योजना घाट्याल (धानू) ऊधमपुर	158.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	69	4.47	109.04	0.00	0.00
17	तहसील एवं जिला रामबन में राजघर खुल का निर्माण	159.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	90	0.00	142.34	0.00	0.00
18	एएनएस सिंचाई नहर का निर्माण	5399.00	2011-12	2011-12	मार्च -21	16	0.00	849.28	0.00	0.00
19	सरार खुल का निर्माण (जिला सं.-1 व 2)	192.14	2011-12	2011-12	मार्च -21	71	8.72	136.82	0.00	0.00
20	तहसील बिलवार जिला कठुआ में लुदेरा खुल का निर्माण	204.92	2015-16	2015-16	मार्च -21	71	49.77	145.82	0.00	0.00
21	बिलवार तहसील में मुधाल खुल का निर्माण	204.44	2015-16	2015-16	मार्च -21	63	30.14	129.02	0.00	0.00
22	बिलवार तहसील में धान खुल का निर्माण	280.88	2015-16	2015-16	मार्च -21	70	65.87	195.77	0.00	0.00
23	सैम्पल सपला खुल का निर्माण	298.04	2015-16	2015-16	मार्च -21	59	53.47	177.11	0.00	0.00
24	गोला खुल का निर्माण	139.05	2015-16	2015-16	मार्च -21	74	31.66	103.37	0.00	0.00
25	निचले केया खुल का निर्माण	103.99	2015-16	2015-16	मार्च -21	65	10.51	67.12	0.00	0.00
26	तहसील चैनानी में खारा से पसकूर खुल ईआरडी 0-1500 मी का निर्माण	163.06	2015-16	2015-16	मार्च -21	62	35.59	101.80	0.00	0.00
27	तहसील रामनगर जिला ऊधमपुर में आरडी 0-185 मी तरनाह, फुरोह खुल का निर्माण	108.90	2015-16	2015-16	मार्च -21	62	12.26	67.67	0.00	0.00
28	तहसील रामनगर जिला ऊधमपुर में आरडी 0-1535 मी समफारी खुल का निर्माण	108.56	2015-16	2015-16	मार्च -21	66	8.15	71.62	0.00	0.00
29	कुलीनी से नीली खुल का निर्माण	157.93	2015-16	2015-16	मार्च -21	71	2.10	111.54	0.00	0.00
30	बुड्डा केदार खुल का निर्माण	262.83	2015-16	2015-16	मार्च -21	68	64.75	179.03	0.00	0.00
31	जिला ऊधमपुर में लाली- दूसरे खुल से आरडी 0-100 मी का निर्माण	106.52	2015-16	2015-16	मार्च -21	77	10.90	82.42	0.00	0.00

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	ग्रन्थि (\$)
(₹ लाख में)											
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू-(जारी)											
32	जिला ऊधमपुर में शोअर लाली खुल से आरडी 0-1000 मी का निर्माण	106.56	2015-16	2015-16	मार्च -21	67	0.00	71.23	0.00	0.00	
33	वलूटी वाली खुल का निर्माण	197.66	2015-16	2015-16	मार्च -21	58	20.07	115.53	0.00	0.00	
34	तहसील बिलवार में खोरा खुल का निर्माण	273.06	2015-16	2015-16	मार्च -21	46	0.00	125.85	0.00	0.00	
35	धानडियन खुल का निर्माण	185.12	2015-16	2015-16	मार्च -21	55	11.15	102.39	0.00	0.00	
36	हीरानगर जिला कठुआ में मन्यारी का निर्माण	127.18	2015-16	2015-16	मार्च -21	22	0.00	27.36	0.00	0.00	
37	निचले केया खुल का निर्माण	103.99	2015-16	2015-16	मार्च -21	65	10.51	67.12	0.00	0.00	
38	तहसील एवं जिला ऊधमपुर में जामवाल हरत्यान से आरडी 0-2550 मी खुल का निर्माण	120.91	2015-16	2015-16	मार्च -21	60	6.92	72.94	0.00	0.00	
39	नगना पानी से त्रिओली कथल खुल का निर्माण	218.26	2015-16	2015-16	मार्च -21	77	19.00	168.00	0.00	0.00	
40	प्रताप कोट स्वेनू खुल से होकर चरत जवोट का निर्माण	349.5	2015-16	2015-16	मार्च -21	58	52.75	202.50	0.00	0.00	
41	जिला रामबन ब्लॉक गुल में दीदा से दब्बार खुल आरडी 0-2500 मी का निर्माण	353.81	2015-16	2015-16	मार्च -21	65	35.81	229.09	0.00	0.00	
42	जिला रामबन ब्लॉक खुल में गार्जर सुला खुल आरडी 0-2500 मी का निर्माण	275.13	2015-16	2015-16	मार्च -21	66	31.26	181.77	0.00	0.00	
43	ऊधमपुर में चेतानी से दिब्बर और तवी नदी और इसकी सहायक नदियों पर संवेदनशील अपरदन रोधी निर्माण कार्य	1495.00	2009-10	2009-10	मार्च -21	97	74.66	1450.63	0.00	0.00	
44	सिधरा कस्बा और संलग्न क्षेत्रों में तवी नदी के डी/एस पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण	1466.00	2007-08	2007-08	मार्च -21	91	75.10	1334.86	0.00	0.00	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	स्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू-(जारी)											
45	कलगोनी नाला गंदोह (भलेसा) जिला डोडा के दार्यी/ बारीं ओर हेलीपैड और उप जिला अस्पताल गन्डोह में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1113.67	2014-15	2014-15	मार्च -21	94	265.30	1051.05	0.00	0.00	
46	कथर तवी/ क्वीर/ नाला अखनूर जिला, जम्मू में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1006.46	2014-15	2014-15	मार्च -21	76	0.00	764.86	0.00	0.00	
47	अखनूर जिला जम्मू में मावा ब्राहमणा में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1065.07	2014-15	2014-15	मार्च -21	77	0.00	815.95	0.00	0.00	
48	अखनूर जिला जम्मू में सुमहा नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1051.00	2014-15	2014-15	मार्च -21	76	0.00	798.48	0.00	0.00	
49	अखनूर जिला जम्मू में टण्डा नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1050.93	2014-15	2014-15	मार्च -21	77	0.00	804.73	0.00	0.00	
50	तहसील चैनानी ब्लॉक पंचारी टिकरी जिला ऊधमपुर में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का निर्माण	1248.85	2014-15	2014-15	मार्च -21	92	314.20	1143.58	0.00	0.00	
51	नाला छंगा स्टेडियम-पीएचसी छंगा, डिग्गी दुधवर इसकी सहायक नदियों चंती, इचीयर, सोटी और धौसा नाला के दार्यी/ ओर व बारीं ओर जिला डोडा सहित कहलजुगसर कलगोनी पर बाढ़ निर्माण कार्यों का निर्माण	1159.02	2014-15	2014-15	मार्च -21	94	285.88	1089.64	0.00	0.00	
52	कालगोनी नाला पर इसकी सहायक नदियों जिटोला नाला व चिली नाला बारीं/ओर व दार्यी/ ओर गंदोह (भलेसा) जिला डोडा गंदोह, शोरन, भट्यास, बम्बू, बथरी में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का निर्माण	1183.97	2014-15	2014-15	मार्च -21	94	351.99	1110.93	0.00	0.00	
53	तहसील रियासी में ब्लॉक रियासी, पौनी, अमास और महोर के विभिन्न नालों और रियासी जिले के महोर में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों/ अपरदन रोधी कार्यों का निर्माण	1006.57	2013-14	2013-14	मार्च -21	91	248.93	920.40	0.00	0.00	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	ग्रन्थि (\$)
(₹ लाख में)											
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू-(समाप्त)											
54	एएमके पोस्ट से अल्फा मचैल पोस्ट (आरएमबीए) हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ मकवाल कैम्प के आगे निकी तवी के दायीं/ बायीं ओर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य का निर्माण	1469.00	2014-15	2014-15	मार्च -21	97	106.71	1419.05	0.00	0.00	
55	नदी देवक व बसनतर के साथ रक्षा चौकी की सुरक्षा हेतु तटबंध स्पर्स और रिवर्टमेन्ट के निर्माण के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य का निर्माण	800.00	2014-15	2014-15	मार्च -21	66	0.00	528.71	0.00	0.00	
56	जवालापुर खुल (बंजवा) पीएच-II का निर्माण	100.00	2018-19	2018-19	मार्च -21	51	0.00	51.21	0.00	0.00	
57	मस्वाह खुल का निर्माण	141.66	2018-19	2018-19	मार्च -21	51	0.00	72.13	0.00	0.00	
58	पालियन खुल पार्ट 3 का निर्माण	107.17	2018-19	2018-19	मार्च -21	28	0.00	30.09	0.00	0.00	
59	नीरू नाला के दोनों किनारों (चरण-I) पर एफपीडब्ल्यू का निर्माण	302.39	2020-21	2020-21	मार्च -21	17	50.52	50.52	0.00	0.00	
60	बिलवारा में नाज भानो नदी (सुभेद्य स्थल) भाग-2 के बायीं ओर क्रोक को प्लंजिंग के माध्यम से एफपीडब्ल्यू का निर्माण	310.26	2020-21	2020-21	मार्च -21	16	49.85	49.85	0.00	0.00	
61	नदी यूजेएच के किनारे पर विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का निर्माण	279.25	2020-21	2020-21	मार्च -21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू											
1	डब्ल्यूएसएस कथर	161.21	08.02.2014	2013-14	2019-20	93	12.16	163.00		175.05	
2	डब्ल्यूएसएस छिम्बा चक मचलियन	156.70	16.08.2018	2011-12	2019-20	91	0.53	142.73		156.70	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	स्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)											
3	डब्ल्यूएसएस खीत्रीयन बनतलाब	199.00	06.08.2018	2011-12	2019-20	99	0.00	197.12		199.00	
4	डब्ल्यूएसएस साहनू	330.40	24.08.2018	2012-13	2019-20	99	34.16	327.30		330.40	
5	डब्ल्यूएसएस दगैर सलूरा	268.00	26.12.2017	2010-11	2019-20	94	3.92	250.83		268.00	
6	डब्ल्यूएसएस बाम्याल गोंडला	268.94		2011-12	2019-20	95	0.78	255.30		268.94	
7	डब्ल्यूएसएस डेलनी कसाना	180.00		2011-12	2019-20	100	15.65	179.99		180.00	
8	तवी नदी के बायीं ओर डब्ल्यूएसएस कृषणपुर कथार	270.70		2011-12	2019-20	90	5.50	244.31		270.70	
9	डब्ल्यूएसएस नजला चक	187.58	18.08.2018	2012-13	2018-19	86	0.30	174.04		201.25	
10	जमोतियन/ कोगर खू	149.78	21.12.2015	2013-14	2018-19	78	0.00	117.40		149.78	
11	टी/वैल चीरियन डब्ल्यूएसएस मावा ब्राहमणा	126.38	22.01.2016	2010-11	2018-19	76	0.00	95.57		126.38	
12	डब्ल्यूएसएस भूम कुलियां	197.50	01.09.2018	2010-11	2018-19	92	0.00	208.49		227.13	
13	डब्ल्यूएसएस मन्याल ब्राहमणा	225.63	24.08.2018	2006-07	2018-19	93	0.00	208.98		225.63	
14	शोनी जोथल	758.50		2014-15	2019-20	61	170.14	460.77		758.50	
15	डब्ल्यूएसएस राह/ हरदू मलारा	142.50	01.09.2018	2012-13	2019-20	79	0.00	113.16		142.50	
16	डब्ल्यूएसएस मकारा-II	188.77	16.08.2018	2013-14	2019-20	71	10.38	133.44		188.50	
17	डब्ल्यूएसएस सजवाल खराह	161.17	14.08.2018	2013-14	2019-20	49	0.00	90.22		182.54	
18	डब्ल्यूएसएस नरबीरा	176.52	14.08.2018	2013-14	2019-20	61	0.00	107.81		176.52	
19	डब्ल्यूएसएस डुम्मी	226.80	13.08.2018	2013-14	2019-20	59	15.91	133.09		226.80	
20	डब्ल्यूएसएस पूरन नगर/ कबीर नगर	199.50	16.04.2015	2012-13	2017-18	83	20.00	204.46		247.50	
21	डब्ल्यूएसएस लाले-दा-बाग	198.53		2012-13	2019-20	84	8.62	166.47		198.53	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित प्रास्थिति (\$)	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)											
22	डब्ल्यूएसएस थाथेर पलौरा	291.80	12.03.2015	2012-13	2019-20	92	0.00	267.00		291.80	
23	डी/ वैल खरोटे की कमीशनिंग	127.00		2003-04	2019-20	97	14.91	122.67		127.00	
24	डब्ल्यूएसएस करण बाग	157.00		2007-08	2012-13	97	0.00	351.71		362.22	
25	डब्ल्यूएसएस राजीव गांधी अस्पताल गांग्याल	146.19		2011-12	2019-20	74	0.00	108.41		146.19	
26	जोगियन मोहल्ला का डब्ल्यूएसएस एससी बस्तयीस	190.00		2011-12	2017-18	88	0.00	166.46		190.00	
27	डब्ल्यूएसएस नोनाथ-1	186.00		2003-04	2019-20	97	1.44	179.69		186.00	
28	डब्ल्यूएसएस निचला बडला	130.00		2012-13	2019-20	99	1.98	129.34		130.00	
29	डब्ल्यूएसएस क्रुखार	170.00		2012-13	2019-20	85	17.37	143.81		170.00	
30	डब्ल्यूएसएस एयरबन	124.45		2012-13	2019-20	91	15.39	112.74		124.45	
31	डब्ल्यूएसएस बुधी	149.53		2012-13	2019-20	90	36.90	135.00		149.53	
32	बुधी, निहालपुर व गोविन्दसर में 3 ट्यूबवैलों की कमीशनिंग	210.35		2010-11	2019-20	74	35.58	154.98		210.35	
33	डब्ल्यूएसएस दाबोवाल	184.44		2010-11	2019-20	76	0.00	139.26		184.44	
34	डब्ल्यूएसएस औद्योगिक संपदा कठुआ	142.00		2006-07	2019-20	91	0.00	128.72		142.00	
35	डब्ल्यूएसएस गडयाल	115.00		2012-13	2019-20	85	0.00	98.00		115.00	
36	डब्ल्यूएसएस करूल कृष्णा	149.50		2010-11	2019-20	88	16.49	131.32		149.50	
37	डब्ल्यूएसएस जुठाना	215.74		2006-07	2019-20	91	8.50	196.87		215.74	
38	डब्ल्यूएसएस भगतपुर	174.67		2011-12	2019-20	90	1.27	156.95		174.67	
39	डब्ल्यूएसएस तेहर - II	208.89		2010-11	2019-20	82	24.96	171.75		208.89	
40	आईएमपी/ टू डब्ल्यूएसएस दुंगा पंगा (होतार)	296.35		2011-12	2019-20	82	39.48	242.62		296.35	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	ग्रन्थि (\$)
(₹ लाख में)											
(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)											
41	डब्ल्यूएसएस सलादा पार्थ	174.50		2011-12	2019-20	73	11.42	127.27		174.50	
42	डब्ल्यूएसएस महनपुर	184.50		2012-13	2019-20	90	32.81	165.44		184.50	
43	डब्ल्यूएसएस प्लाही (बतेराह)	325.00		2010-11	2019-20	93	63.01	303.71		325.00	
44	डब्ल्यूएसएस मल्लामन	199.30		2006-07	2019-20	88	12.35	175.86		199.30	
45	डब्ल्यूएसएस संद्रून	156.43		2012-13	2019-20	82	6.59	128.38		156.43	
46	डब्ल्यूएसएस दुलानगल	161.83		2011-12	2019-20	80	4.92	129.29		161.83	
47	डब्ल्यूएसएस मल्हार	177.64		2006-07	2019-20	87	6.26	154.66		177.64	
48	डब्ल्यूएसएस किन्डली	185.56		2012-13	2019-20	85	38.28	157.28		185.56	
49	डब्ल्यूएसएस बंजल भटवल	167.56		2012-13	2019-20	83	19.07	138.93		167.56	
50	डब्ल्यूएसएस सायरकोरीबार	393.65	11.01.2016	2012-13	2019-20	94	9.60	369.67		393.65	
51	डब्ल्यूएसएस मोह. हंसा, भुगत्रियां	375.00	24.09.2018	2011-12	2019-20	92	0.00	344.71		375.00	
52	डब्ल्यूएसएस महानी	325.00	24.09.2018	2011-12	2019-20	85	2.40	276.03		325.00	
53	डब्ल्यूएसएस बचल	349.00	13.02.2014	2013-14	2019-20	72	0.00	251.73		349.00	
54	डब्ल्यूएसएस कैंथी	349.50	15.10.2018	2010-11	2019-20	83	6.91	288.74		349.50	
55	डब्ल्यूएसएस फैंटी गुरसाई	258.00	18.09.2018	2012-13	2019-20	40	17.25	102.79		258.00	
56	डब्ल्यूएसएस कसकूट जैनीहाल	116.90	24.07.2018	2011-12	2019-20	98	0.95	114.83		116.90	
57	डब्ल्यूएसएस बिनगारा	302.64	06.10.2018	2005-06	2019-20	98	7.92	297.76		302.64	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	स्थिति (\$)
----------	------------------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------	--	-------------

(₹ लाख में)

(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)

58	चर्ल दर्शीपुरा	493.37		2009-10	2019-20	44	0.00	214.97		493.37	
59	डब्ल्यूएसएस पोगल	466.51	15.09.2018	2002-03	2019-20	82	19.32	382.14		466.51	
60	चांगीलू	174.14		2009-10	2019-20	93	0.00	162.80		174.14	
61	डब्ल्यूएसएस हवास तंचाल	325.55	12.09.2018	2010-11	2019-20	75	18.02	244.67		325.55	
62	डब्ल्यूएसएस हेल्ला	210.00	13.08.2018	2012-13	2019-20	85	0.00	179.46		210.00	
63	डब्ल्यूएसएस गिरी मोहल्ला संगालधान	174.75	13.08.2018	2012-13	2019-20	74	0.00	128.73		174.75	
64	डब्ल्यूएसएस मोह. दब्बर देधा	232.00	13.08.2018	2011-12	2019-20	77	9.33	178.67		232.00	
65	अस्तान मार्ग	242.34	04.02.2010	2009-10	2019-20	92	3.19	223.03		242.34	
66	चुचवा	186.70	20.01.2010	2009-10	2019-20	83	6.68	154.97		186.70	
67	डब्ल्यूएसएस चीचा दछन	177.50	08.08.2018	2003-04	2019-20	95		169.29		177.50	
68	डब्ल्यूएसएस मस्सूगढ़	229.00	06.09.2018	2010-11	2019-20	96		218.84		229.00	
69	डब्ल्यूएसएस मचाली ल्हासिनी	191.38	08.03.2008	2009-10	2019-20	91		174.86		191.38	
70	डब्ल्यूएसएस पलमर	359.10	29.07.2017	2000-01	2019-20	97		350.05		359.10	
71	डब्ल्यूएसएस शाई बेली	342.10	20.03.2015	2011-12	2019-20	69	19.33	237.54		342.10	
72	डब्ल्यूएसएस मसरी मलानी	245.72	14.08.2018	2011-12	2019-20	96	10.48	237.07		245.72	
73	डब्ल्यूएसएस मोहरा गुजाराही	305.38	20.03.2015	2008-09	2019-20	93	0.00	284.33		305.38	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची											
क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रस्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
(ख) जन शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)											
74	डब्ल्यूएसएस चक मथोला	228.16	05.09.2018	2011-12	2019-20	97	2.87	221.35		228.16	
75	डब्ल्यूएसएस बंजाला (भदरवाह)	120.58	05.09.2018	2011-12	2019-20	89	5.48	107.60		120.58	
76	डब्ल्यूएसएस हुड्डल	324.89		2011-12	2019-20	89	19.14	289.03		324.89	
77	डब्ल्यूएसएस समसामत	485.00		2010-11	2019-20	38	51.87	182.22		485.00	
78	डब्ल्यूएसएस दोदासनबाला	415.41		2011-12	2019-20	64	151.09	266.43		415.41	
79	डब्ल्यूएसएस धोक बटाली	396.25		2003-04	2019-20	60	99.40	236.66		396.25	
80	डब्ल्यूएसएस धनोर लोहरियां	199.50	27.11.2018	2011-12	2019-20	79	49.08	157.76		199.50	
81	डब्ल्यूएसएस खाह/ जमोला	428.00		2011-12	2019-20	82	114.99	351.79		428.00	
82	डब्ल्यूएसएस प्लासी हिल	190.65	02.06.2008	2011-12	2019-20	85	0.00	161.55		190.65	
83	डब्ल्यूएसएस जब्बार कनारा	226.00	07.05.2016	2011-12	2019-20	66	17.34	149.52		226.00	
84	डब्ल्यूएसएस चौकी छप्पर	290.00	07.05.2016	2012-13	2019-20	85	60.58	246.05		290.00	
85	डब्ल्यूएसएस ऊपरी कलदुबी	108.60	02.06.2008	2012-13	2019-20	93	16.54	100.69		108.60	
86	डब्ल्यूएसएस मावा गुरजनी	191.29	02.06.2018	2012-13	2019-20	93	14.93	178.31		191.29	
87	डब्ल्यूएसएस भवानी	178.40	02.06.2008	2012-13	2019-20	88	6.05	157.20		178.40	
88	डब्ल्यूएसएस पटली कन्याल	141.73	04.10.2013	2012-13	2019-20	82	10.74	116.76		141.73	
89	डब्ल्यूएसएस तपस्वी मोहल्ला	144.44	02.06.2008	2012-13	2019-20	91	4.85	131.72		144.44	
90	रेडियन लोअर नोनियाल	172.74	31.10.2017	2007-08	2019-20	92	3.10	159.69		172.74	

परिशिष्ट-IX-(समाप्त)

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	(\$)
(₹ लाख में)											
(ख) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(समाप्त)											
91	डब्ल्यूएसएस गलान	149.44	21.08.2015	2011-12	2019-20	91	0.00	136.52		149.44	
92	डब्ल्यूएसएस नगसिंहपुरा	160.94	01.10.2010	2010-11	2019-20	90	4.64	144.83		160.94	
93	डब्ल्यूएसएस पंगलोट	195.30	01.10.2015	2011-12	2019-20	82	8.57	159.81		195.30	
94	डब्ल्यूएसएस ब्रूइन	182.70	26.11.2015	2010-11	2019-20	86	4.50	156.80		182.70	
95	डब्ल्यूएसएस कत्यारी जागीर	130.00	15.09.2018	2012-13	2019-20	92	124.76	119.92		130.00	
96	डब्ल्यूएसएस डाली	249.40	23.10.2015	2011-12	2019-20	95	45.42	236.60		249.40	
97	डब्ल्यूएसएस तातापानी	195.30	26.10.2015	2011-12	2019-20	92	25.16	179.12		195.30	
98	डब्ल्यूएसएस चक मियान मथयानी	253.00	23.10.2015	2011-12	2019-20	56	13.59	142.76		253.00	
99	सौंजियान	199.00		2009-10	2019-20	85	11.23	168.77		199.00	
100	डब्ल्यूएसएस चिकरीबन	197.00		2011-12	2019-20	89	19.37	175.20		197.00	
101	डब्ल्यूएसएस पठाना तीर	320.00		2006-07	2019-20	86	2.55	276.04		320.00	
102	डब्ल्यूएसएस फाजलाबाद छाम्ब्रा	240.00		2011-12	2019-20	97	25.31	232.55		240.00	
103	डब्ल्यूएसएस द्राबा	275.00		2011-12	2019-20	75	9.04	207.52		275.00	

परिशिष्ट-X

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	(₹ लाख में)		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-						
01	सामान्य प्रशासन	2012-03-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.62	8.62
		2051-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.79	4.79
		2052-00-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	11.58	11.58
		2062-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.99	5.99
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4,92.51	4,92.51
		कुल-सामान्य प्रशासन		-	5,23.49	5,23.49
02	गृह	2055-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	10,86.03	10,86.03
		2055-00-116-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.29	8.29
		2055-00-117-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.98	1.98
		2056-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	13.16	13.16
		2056-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3,09.02	3,09.02
		2070-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.27	0.27
		2070-00-108-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	44.90	44.90
		2070-00-108-363	बाह्य स्रोतन और समारक्षण	11.89	-	11.89
		2235-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.87	3.87
		कुल-गृह		11.89	14,67.52	14,79.41
04	सूचना	2220-60-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.99	3.99
		कुल-सूचना		-	3.99	3.99
07	शिक्षा	2202-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	28.66	28.66
		2202-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	44.45	44.45
		2202-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	73.47	75.47
		2202-02-109-025	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.27	1.27
		2204-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	18.82	18.82
		कुल-शिक्षा		-	1,66.67	1,66.67

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
08	वित्त	2030-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.74	0.74
		2039-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.79	1.79
		2043-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	98.44	98.44
		2054-00-003-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.46	7.46
		2054-00-095-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	46.69	46.69
		2054-00-097-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	33.68	33.68
		2054-00-098-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.50	1.50
		2054-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.31	1.31
		कुल-वित्त		-	1,91.61	1,91.61
09	संसदीय मामले	2011-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	58.66	58.66
		कुल-संसदीय मामले		-	58.66	58.66
10	विधि	2014-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	55.35	55.35
		2014-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.60	5.60
		2014-00-114-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	20.66	20.66
		2015-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.02	1.02
		कुल-विधि		-	82.63	82.63
11	उद्योग और वाणिज्य	2851-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.54	0.54
		2851-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.37	0.37
		2851-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.75	5.75
		2851-00-102-025	मजदूरियाँ	0.60	-	0.60
		2851-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	10.89	10.89
		2851-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.49	2.49
		2853-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.22	2.22
		2853-02-001-025	मजदूरियाँ	1.41	-	1.41
		कुल-उद्योग और वाणिज्य		2.01	22.26	24.27

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
12	कृषि	2401-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.86	4.86
		2401-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	19.86	19.86
		2401-00-119-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	0.24	-	0.24
		2402-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.99	1.99
		2406-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	45.82	45.82
		2406-02-112-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,12.41	1,12.41
		2705-00-602-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.00	2.00
		2705-00-603-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	15.00	15.00
		2851-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.87	7.87
		2851-00-107-025	मजदूरियाँ	0.48	-	0.48
		कुल-कृषि		0.72	2,09.81	2,10.53
13	पशुपालन/ भेड़ पालन	2403-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.99	0.99
				-	0.99	0.99
15	खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले	2408-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	11.30	11.30
		कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले		-	11.30	11.30
16	लोक निर्माण	2059-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	30,11.04	30,11.04
		2059-80-001-025	मजदूरियाँ	0.18	-	0.18
		2216-07-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	10,22.61	10,22.61
		3054-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	95,89.46	95,89.46
		3054-80-001-025	मजदूरियाँ	4.20	-	4.20
		कुल-लोक निर्माण		4.38	1,36,23.11	1,36,27.49

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	2210-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2,27.69	2,27.69
		2210-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.67	2.67
		2210-01-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	22,22.85	22,22.85
		2210-02-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.99	9.99
		2210-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	65.79	65.79
		2210-03-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.62	5.62
		2210-05-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	26,16.81	26,16.81
		2210-06-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.24	3.24
		2210-06-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.95	2.95
		2210-06-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.45	2.45
		2210-06-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.12	7.12
		2211-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.49	0.49
		कुल-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा		-	51,67.67	51,67.67
18	समाज कल्याण	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.10	5.10
		2225-80-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.35	1.35
		2235-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.43	1.43
		2235-02-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.08	2.08
		2235-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.02	3.02
		2235-60-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.19	0.19
		कुल-समाज कल्याण		-	13.17	13.17

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
19	आवास एवं शहरी विकास	2217-03-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.85	1.85
		2217-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5,03.61	5,03.61
		कल-आवास एवं शहरी विकास		-	5,05.46	5,05.46
20	पर्यटन	3452-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	20.41	20.41
		3452-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.72	2.72
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,34.55	1,34.55
		3452-80-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.25	9.25
		3452-80-800-025	मजदूरियाँ	4.08	-	4.08
		कुल-पर्यटन		4.08	1,66.93	1,71.01
21	वन	2402-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.11	5.11
		2406-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.24	6.24
		2406-01-004-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.00	5.00
		2406-01-070-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	38.52	38.52
		2406-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	34.83	34.83
		2406-01-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	44.50	44.50
		2406-02-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.37	8.37
		2406-04-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,25.42	1,25.42
		2406-04-103-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	81.62	-	81.62
		3435-04-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.03	2.03
		कुल-वन		81.62	2,70.02	3,51.64
22	सिंचाई	2700-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4,04.27	4,04.27
		2701-04-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7,88.90	7,88.90
		2701-04-001-025	मजदूरियाँ	0.14	-	0.14
		2701-04-612-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2,01.56	2,01.56
		2702-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17,11.19	17,11.19
		2711-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17,03.65	17,03.65
		कल-सिंचाई		0.14	48,09.57	48,09.71

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	(₹ लाख में)		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	35,17.11	35,17.11
		2215-01-001-025	मजदरियाँ	31.11	-	31.11
		कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी		31.11	35,17.11	35,48.22
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2070-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,34.58	1,34.58
		2216-05-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	28,13.29	28,13.29
		कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल		-	29,47.87	29,47.87
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण	2058-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17.60	17.60
		2230-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.49	5.49
		कुल-श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण		-	23.09	23.09
26	मत्स्यपालन	2405-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	41.28	41.28
		कुल-मत्स्यपालन		-	41.28	41.28
27	उच्चतर शिक्षा	2202-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	41.65	41.65
		कुल-उच्चतर शिक्षा		-	41.65	41.65
28	ग्रामीण विकास	2515-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,10.40	1,10.40
		कुल-ग्रामीण विकास		-	1,10.40	1,10.40
29	परिवहन	2041-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.49	0.49
		2070-00-114-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.00	1.00
		कुल-परिवहन		-	1.49	1.49
30	जनजातीय मामले	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.57	3.57
		कुल-जनजातीय मामले		-	3.57	3.57

परिशिष्ट-X-(समाप्त)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(समाप्त)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(समाप्त)						
31	संस्कृति	2205-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	19.10	19.10
		कुल-संस्कृति		-	19.10	19.10
32	उद्यान कृषि	2236-02-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.43	1.43
		2401-00-119-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.90	9.90
		2435-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	14.78	14.78
		कुल-उद्यान कृषि		-	26.11	26.11
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा	2203-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.67	4.67
		2203-00-001-025	मजदूरियाँ	4.78	-	4.78
		2204-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.99	6.99
		कुल-युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा		4.78	11.66	16.44
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-04-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.74	0.74
		कुल-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			0.74	0.74
		कुल-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)		1,40.73	3,40,38.93	3,41,79.66
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-						
		कुल-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)		-	-	-
		कुल-योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)		1,40.73	3,40,38.93	3,41,79.66

परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं

क्र. सं.	नीति निर्धारण की प्रकृति/ नयी योजनाएं	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती/ एक बार	आवर्ती के मामले में निवल नकद प्रवाह पर वार्षिक आंकलन का प्रभाव		वार्षिक व्यय		संभावित स्रोत जिनसे नयी योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है		
				निश्चित अवधि	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण

(क) यूटी सरकार द्वारा आँकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट-XII								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्त प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2020- 21)	शेष बाकी (31 मार्च 2021 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
I	देय लेखे							
	1 विद्युत							
	2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति							
	3 टीएण्डडी प्रणाली का सुधार							
	4 अवकाश वेतन							
	5 निर्माण							
	6 बाह्य स्रोतन और समारक्षण							
	7 आर.आर.टी.							
	कुल							
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य का अंश							
	1 भूमि प्रतिकर							
	कुल							
III	गैर-नियोजित शीर्षों को आयोजना योजनाओं के अंतरण के रूप में देयताएं							
	कुल							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न देयताएं							
	1 पीएमआरपी निर्माण							
	कुल							

परिशिष्ट-XII-(समाप्त)								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं-(समाप्त)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2020-21)	शेष बाकी (31 मार्च 2021 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
V	अन्य/ विविध							
1	भूमि अधिग्रहण प्रभार	25,44.75						25,44.75
2	निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल	35,90.30						35,90.30
3	मुख्य निर्माण और संविदाएं	31,42.71						31,42.71
	कुल	92,77.76						92,77.76
	कुल योग	92,77.76						92,77.76
(क) वर्ष 2021-22 हेतु ऑकड़े एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार संसद में प्रस्तुत किए गए (मार्च 2021)।								

परिशिष्ट-XIII

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
				(₹ लाख में)
पूँजीगत लेखा-				
1	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	4,07.12	- डे. 4,07.12
2	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	13,56,87.13	- डे. 13,56,87.13
3	4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	34,95.66	- डे. 34,95.66
4	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	61,53,32.68	- डे. 61,53,32.68
5	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,04,38.18	- डे. 1,04,38.18
6	4075- अन्य विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,63,21.31	- डे. 1,63,21.31
7	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	69,82,52.70	- डे. 69,82,52.70
8	4210- स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	49,06,21.72	- डे. 49,06,21.72
9	4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	7,97.04	- डे. 7,97.04
10	4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	79,46,76.20	- डे. 79,46,76.20
11	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,74,07.10	- डे. 3,74,07.10
12	4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	49,94,89.56	- डे. 49,94,89.56
13	4220- सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	33,49.14	- डे. 33,49.14
14	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर	डे.	3,05,37.92	- डे. 3,05,37.92
15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	27,77,64.10	- डे. 27,77,64.10
16	4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,70,82.30	- डे. 3,70,82.30
17	4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,72,60.88	- डे. 3,72,60.88
18	4401- फसल पैदावार पूँजीगत परिव्यय	डे.	19,46,40.11	- डे. 19,46,40.11
19	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,90,96.00	- डे. 3,90,96.00
20	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,71,42.41	- डे. 3,71,42.41
21	4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	11,56.14	- डे. 11,56.14
22	4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	2,22,29.55	- डे. 2,22,29.55

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जन्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	
	पूँजीगत लेखा-(समाप्त)			(₹ लाख में)	
23	4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	9,33,44.02	- ₹.	9,33,44.02
24	4408- खाद्य भण्डार एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	32,67,48.53	- ₹.	32,67,48.53
25	4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,36,07.44	- ₹.	3,36,07.44
26	4416- कृषिगत एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश	₹.	0.40	- ₹.	0.40
27	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,01,60.94	- ₹.	4,01,60.94
28	4435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,07.33	- ₹.	4,07.33
29	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,02,59,35.83	- ₹.	1,02,59,35.83
30	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	36,88,81.76	- ₹.	36,88,81.76
31	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	12,57,65.21	- ₹.	12,57,65.21
32	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	20,60,62.60	- ₹.	20,60,62.60
33	4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,22,06.01	- ₹.	3,22,06.01
34	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	16,96,00.97	- ₹.	16,96,00.97
35	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,42,12,79.98	- ₹.	1,42,12,79.98
36	4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	18,18,59.49	- ₹.	18,18,59.49
37	4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,09,24.24	- ₹.	2,09,24.24
38	4853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	77,69.55	- ₹.	77,69.55
39	4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	24.06	- ₹.	24.06
40	4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,25.23	- ₹.	1,25.23
41	4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	31,33.77	- ₹.	31,33.77
42	4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	6.01	- ₹.	6.01
43	4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	42,72.91	- ₹.	42,72.91
44	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,37,08,18.51	- ₹.	1,37,08,18.51
45	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,63,25.02	- ₹.	2,63,25.02
46	5056- अंतर्देशीय एवं जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	27,74.37	- ₹.	27,74.37
47	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2.09	- ₹.	2.09

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
				(₹ लाख में)
पूँजीगत लेखा-(समाप्त)				
48	5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,59,33.59	- डे. 1,59,33.59
49	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	22,84,77.74	- डे. 22,84,77.74
50	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश	डे.	6,08,19.24	- डे. 6,08,19.24
51	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	54,96,23.65	- डे. 54,96,23.65
कुल पूँजीगत लेखा		डे.	10,30,00,75.44	- डे. 10,30,00,75.44
ड- सार्वजनिक ऋण-				
1	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	क्रे.	4,54,29,09.06	- क्रे. 4,54,29,09.06
2	6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	क्रे.	12,37,12.40	- क्रे. 12,37,12.40
कुल सार्वजनिक ऋण		क्रे.	4,66,66,21.46	- क्रे. 4,66,66,21.46
च- ऋण और अग्रिम-				
1	6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु ऋण	डे.	5,45.58	- डे. 5,45.58
2	6210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु ऋण	डे.	1,92.53	- डे. 1,92.53
3	6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण	डे.	0.09	- डे. 0.09
4	6216- आवास हेतु ऋण	डे.	7,09.54	- डे. 7,09.54
5	6217- शहरी विकास हेतु ऋण	डे.	28,20.32	- डे. 28,20.32
6	6225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण	डे.	12.65	- डे. 12.65
7	6235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण	डे.	98,44.98	- डे. 98,44.98
8	6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण	डे.	5,08.48	- डे. 5,08.48
9	6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण	डे.	13.17	- डे. 13.17
10	6401- फसल पैदावार हेतु ऋण	डे.	19,32.67	- डे. 19,32.67
11	6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	डे.	5.12	- डे. 5.12
12	6403- पशुपालन हेतु ऋण	डे.	51.31	- डे. 51.31
13	6404- डेयरी विकास हेतु ऋण	डे.	30.08	- डे. 30.08
14	6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण	डे.	1.64	- डे. 1.64

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है-(जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
(₹ लाख में)				
च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
15	6425- सहकारिता हेतु ऋण	डे.	7,77.47	- डे. 7,77.47
16	6435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	12,66.58	- डे. 12,66.58
17	6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	5.41	- डे. 5.41
18	6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	1,43.14	- डे. 1,43.14
19	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	डे.	85,04.81	- डे. 85,04.81
20	6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	डे.	36,98.63	- डे. 36,98.63
21	6853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों हेतु ऋण	डे.	1,98.16	- डे. 1,98.16
22	6858- अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	डे.	33.84	- डे. 33.84
23	6860- उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	डे.	10,04.11	- डे. 10,04.11
24	6885- उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	डे.	7,50,28.18	- डे. 7,50,28.18
25	7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण	डे.	6,05,07.80	- डे. 6,05,07.80
26	7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	डे.	5,54.42	- डे. 5,54.42
27	7452- पर्यटन हेतु ऋण	डे.	16,22.05	- डे. 16,22.05
28	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	डे.	18,73.72	- डे. 18,73.72
29	7610- सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	डे.	21,56.71	- डे. 21,56.71
	कुल ऋण और अग्रिम	डे.	17,40,43.19	- डे. 17,40,43.19
आकस्मिकता निधि-				
1	8000- आकस्मिकता निधि	क्रे.	1,00.00	- क्रे. 1,00.00
	कुल आकस्मिकता निधि	क्रे.	1,00.00	- क्रे. 1,00.00
लोक लेखा-				
1	8009- राज्य भविष्य निधियाँ	क्रे.	2,61,55,86.49	- क्रे. 2,61,55,86.49
2	8011- बीमा और पेन्शन निधियाँ	क्रे.	10,05,75.13	- क्रे. 10,05,75.13
3	8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	12,60,62.05	- क्रे. 12,60,62.05
4	8222- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे.	3,55,86.76	- क्रे. 3,55,86.76
5	8223- अकाल राहत कोष	क्रे.	8,66.96	- क्रे. 8,66.96

परिशिष्ट-XIII-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (समाप्त)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	(₹ लाख में)
	लोक लेखा-(समाप्त)				
6	8226- मूल्यहास/ नवीकरणीय आरक्षित निधि	क्रे.	6,46,65.33	- क्रे.	6,46,65.33
7	8229- विकास और कल्याण निधियाँ	क्रे.	3,43,84.93	- क्रे.	3,43,84.93
8	8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	1,78,90.93	- क्रे.	1,78,90.93
9	8342- अन्य जमाएं	क्रे.	53,67.44	- क्रे.	53,67.44
10	8443- सिविल जमाएं	क्रे.	52,68,76.70	- क्रे.	52,68,76.70
11	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	क्रे.	10,18,16.64	- क्रे.	10,18,16.64
12	8449- अन्य जमाएं	क्रे.	5,73,62.51	- क्रे.	5,73,62.51
13	8550- सिविल अग्रिम	डे.	12,69.19	- डे.	12,69.19
14	8658- उचंत लेखे	डे.	3,44,14.18	- डे.	3,44,14.18
15	8671- विभागीय शेष	डे.	4,96.97	- डे.	4,96.97
16	8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय	डे.	12.59	- डे.	12.59
17	8673- नकद शेष निवेश लेखा	डे.	3,83,91.91	- डे.	3,83,91.91
18	8782- समान लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन	क्रे.	28,56,74.43	- क्रे.	28,56,74.43
19	8786- केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन	डे.	5,46.43	- डे.	5,46.43
20	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखे	डे.	3,79.44	- डे.	3,79.44
21	8999- रोकड़ शेष	क्रे.	4,41,95.18	- क्रे.	4,41,95.18
	निवल लोक लेखा	क्रे.	3,94,14,00.77	- क्रे.	3,94,14,00.77

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in



<http://www.agjk.nic.in>